

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH AT**NEW DELHI****IN O.A. NO 1299/2024****IN THE MATTER OF
VINOD SINGH RAWAT**

...COMPLAINANT

VERSUS


**STATE OF UTTARAKHAND
& ORS**

...RESPONDENTS

INDEX

S.No	Particulars	Page no
1.	Reply on behalf of respondent no 2, Director Mining and Geology, Government of Uttarakhand in compliance of the order dated 24.01.2024	1-6
2.	Annexure A Copy of the order dated 24.01.2024	7-8
3.	Annexure B Copy of the letter of renewal.	9-10
4.	Annexure C Copy of Uttarakhand Minor Mineral Concession Rules 2023.	11-81
5.	Annexure D Copy of the LOI dated 13.02.2024	82-84

Dated: 17.05.2025



Adv Anjali Rajput

Panel Counsel for State of Uttarakhand

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH
AT NEW DELHI

IN O.A. NO 1299/2024

IN THE MATTER OF

VINOD SINGH RAWAT

...COMPLAINANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND

...RESPONDENTS

& ORS


REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 2, DIRECTOR MINING
AND GEOLOGY, GOVERNMENT OF UTTARAKHAND IN
COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 24.01.2025 PASSED BY THIS
HON'BLE TRIBUNAL.

Most respectfully showeth:

I Rajpal Legha Aged about 45 Years S/o Shri Chandu Ram Legha presently posted as Director, Directorate of Geology & Mining Department, Government of Uttarakhand, Dehradun hereby solemnly affirm on oath and state as under:

1. That in my above-mentioned official capacity, I am acquainted with the facts and circumstances of the present case, and I am fully competent to file present Reply by way of affidavit.
2. That above mentioned case was listed before this Hon'ble court on 24.01.2024 and this Hon'ble Tribunal was pleased to pass following

order:



"2.Learned counsel for respondents no. 1 to 4, 6 and 7 seek adjournment for filing their replies/responses.

3.Replies/ responses by respondents no. 1 to 4, 6 and 7 may be filed

at least one week before the next date of hearing fixed with advance copy to the applicant and other respondents.

4.At this stage learned counsel for respondents no. 6 and 7 have

submitted that copies of letter petition, which has been registered as Original Application, and documents enclosed with the same have not been supplied to them..."

That the copy of the order dated 24.01.2024 is Annexed as **Annexure A.**

3. That vide letter number 1620/VII-1/288-kha/2-14 dated December 18, 2014, respondent no. 6 was granted permission in accordance with the Stone Crusher, Screening Plant, Pulverizer Policy 2011 for a period of three years to establish and operate a stone crusher with a capacity of 200 metric tons per day on private land measuring 0.645 hectares in Village Kotiyalgaon, Tehsil Barkot, District Uttarkashi.

4. That vide letter No. 250/VII-A-1/2024/228-kha/2014 dated 06 September 2024 operation of the said stone crusher was renewed till 22.04.2033. That the copy of the letter is annexed as **Annexure B.**

5. That in pursuance of the report of the Joint committee dated 04.05.2022 and on 26.05.2022 2 trucks and 1 JCB were found. District



Virender Singh

Magistrate, Uttarkashi imposed penalty of Rs. 1,06,42,748/- on respondent no 6 for illegal mining of 22603 cubic meters i.e. 49727 ton vide notice number 6879/32-M.B (2021-22) dated 06.08.2022.

6. That respondent no 6 preferred anstatuary appeal against the notices issued by District Magistrate, Uttarkashi which was allowed subsequently after giving due opportunity to party, and in conclusion, penalty imposed was set aside by the order no 805/VII-A-1/2023-10(22)/2022 dated 18.05.2023.
7. That the adjudication authority examined the records, Joint committee report, reply of the respondent no 6 and other relevant documents and arrived at the following conclusion, which is reproduced hereunder:



- a. That since joint committee has not was imposed any penalty on the 2 trucks and JCB machine found at the site at the time of inspection and failed to seize the vehicles in question, which should have been done at the spot as per rules.
- b. It was determined upon due consideration by the authority that it would be unsustainable to accuse Respondent No. 6 of engaging in illegal mining based solely on the circumstance of their ownership of vehicles present at the site. Further the findings committee does not indicate if, illegally mined sub-mineral was Seized from the either from the vehicles or from

(Handwritten signature in blue ink)

the premises of Respondent No. 6 or at any adjacent stone crushing units during the course of inspection.

- c. The authority observed that investigation of the official portal respondent no 6, no irregularity or any record pertaining to illegally mined mineral was found. Moreover the Joint inspection team did not gather any photographs of any unauthorized transportation of sub-mineral from the mining site.
- d. It was concluded by the authority after thorough examination the materials, the evidence gathered was insufficient to impute the alleged the illegal mining to respondent no 6. That the authority it untenable to hold respondent no. 6 guilty of illegal mining, the statutory appeal was allowed, and the penalty imposed upon respondent no 6 was waived off. That the copy of the order date 18.05.2023 is annexed herewith as **Annexure C**.



8. That Section 15 of Mines and Minerals (Development and Regulation Act, 1957 confers power on State Governments to make rules with respect to the minor minerals:

"15. Power of State Governments to make rules in respect of minor minerals.-(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for, regulating the grant of 3 [quarry leases, mining leases or other mineral concessions] in respect of minor minerals and for purposes connected therewith. "

(Handwritten signature)

9. That in the light of above powers State Government, aiming to regulate and manage the extraction of resources in orderly manner promulgated Uttarakhand minor mineral and Concessions Rules 2023. That these rules establish legal framework for granting concessions, generating revenue for the state and regularized mining operations. That the copy of the Uttarakhand minor mineral and Concessions Rules 2023 is annexed herewith as **Annexure D**.

10. It is respectfully submitted herein that as per rule 20 (2) Uttarakhand Minor Mineral and Concessions Rules 2023, LOI has been granted to respondent no 6 vide letter no 6070.Khanan/Bhu Kha Ni/E.Nel-98/2023-24 dated 13.02.2024 for mining sub-mineral at a rate of 148500 for a royalty of Rs 1,03,95,000/- metric tons per year for a period of 5 years in Tehsil Badkot, Village Kotiyalgaon, Khasra no. 2958 (0.250 hectare) and Khasra no. 3177m (2.500 hectare), total area 2.750 hectares, and is in accordance with the Uttarakhand Minor Mineral Concession Rules, 2023. It is respectfully submitted that mining deed is yet to be executed, as the conditions mentioned in the Letter of Intent, requiring necessary compliances from Respondent No. 6, has not been complied with Till date, mining operations have not commenced. That the Copy of the LOI is annexed herewith as **Annexure E**.



(Handwritten signature)

11. That, in view of submissions made hereinabove, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may graciously be pleased to take the present reply on record. It is further submitted that any further directions as may be issued by this Hon'ble Tribunal shall be duly complied with, in a timely manner and in the larger interest of environmental protection and public welfare.

12. That the deponent is a responsible Government servant having the highest regards for this Hon'ble Tribunal and orders passed by them.

[Handwritten Signature]
Deponent

Verification:

Verified at Dehradun on the ...17... of May 2025, that the contents of the response affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief based on the official record and nothing is false, and no material has been concealed therefrom.

[Handwritten Signature]
Deponent



SR. No. 248
Date... 17-05-2025

This affidavit is sworn before me by
snn.. Rajpal Jetha
who is identified by Snri Haresh Pal Singh Bisht (अनुसूचित)
at Dehradun on
17-05-2025
WIRENDER SINGH
Advocate & Notary Dehradun

Item No. 10

Court No. 2

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 1299/2024

Vinod Singh Rawat

Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors.

Respondents

Date of hearing: 20.03.2025

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER**

Applicant: None for the Applicant.

Respondents: Ms. Anjali Rajput, Advocate for respondents no. 1 to 3.
Mr. Mukesh Verma, Advocate for respondent no. 4. (through VC).
Ms. Soni Singh, Advocate for respondent no. 5-CPCB.
Mr. Rituparn Uniyal, Advocate for respondent no. 6.
Mr. Karthik Jayashankar, Advocate for respondent no. 7 (through VC).

ORDER

1. In compliance of order dated 24.01.2025, additional report dated 18.03.2025 of the Joint Committee has been filed by CPCB vide email dated 19.03.2025.
2. Learned counsel for respondents no. 1 to 4, 6 and 7 seek adjournment for filing their replies/responses.
3. Replies/ responses by respondents no. 1 to 4, 6 and 7 may be filed at least one week before the next date of hearing fixed with advance copy to the applicant and other respondents.
4. At this stage learned counsel for respondents no. 6 and 7 have submitted that copies of letter petition, which has been registered as

1

Original Application, and documents enclosed with the same have not been supplied to them.

5. The Registry is directed to supply copies of the letter petition and documents enclosed with the same to respondents no. 6 and 7 through email on email addresses to be furnished by them.

6. List on 19.05.2025 for further consideration.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM


March 20th, 2025
Original Application No. 1299/2024
AB

उत्तराखण्ड शासन
 औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1
 संख्या: /VII-A-1/2024/228-ख/2014
 देहरादून: दिनांक: 6 सितम्बर, 2024

-- कार्यालय ज्ञाप --

उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अन्तर्गत महाभिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा पत्र सं० 5992/खनन/भूखनि०नि०/स्टो०के०प्ला००नवी०/उत्तरकाशी/2023-24, दिनांक 08.02.2024 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में आवेदक श्री विनोद डोमाल पुत्र श्री नत्थी लाल, नि० ग्राम चक्रगांव, तहसील बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी के पक्ष में ग्राम कोटियालगांव, तहसील बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी के क्षेत्रान्तर्गत खसरासंख्या 2605, 2607, 2611, 2614 कुल रकबा 0.6550 है० भूमि में पूर्व से स्वीकृत/संचालित 40 टन प्रति घंटा क्षमता के स्टोन क्रेशर प्लांट तथा प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण दिनांक 23 अप्रैल, 2023 से आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 210/2021 प्रेम सिंह शवत बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2021 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 14 "स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट अनुज्ञा देने हेतु शर्तों" में उल्लिखित समस्त शर्तों (बिन्दु संख्या 02 से 09 तक) का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
2. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2021 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 8 (1) के अनुसार प्लांट संचालन से पूर्व संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) की अनुमति प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।
3. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2021 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 8 (2) के अनुसार पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं०-55 दिनांक 09 जून 2021, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु संरक्षण अधिनियम, 1981, जल संरक्षण अधिनियम, 1974 एवं संगत नियमावलियों तथा मा० न्यायालयों, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
4. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2021 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार प्लांट की क्रशिंग क्षमता का निर्धारण किया जाना होगा।
5. स्टोन क्रेशर नीति-2021 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 16 (3) के प्रावधानानुसार पर्वतीय क्षेत्रों में 100 टन प्रति घंटा क्षमता तक के स्टोन क्रेशर अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु निर्धारित अनुज्ञा शुल्क ₹ 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) के सापेक्ष अवशेष शुल्क ₹ 9,90,000/- (रुपये नौ लाख नब्बे हजार मात्र) प्लांट के नवीनीकरण स्वीकृति के उपरान्त, ई-रवन्ना जारी होने से पूर्व निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जाना आवश्यक होगा।
6. प्लांट स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर नीति-2021 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 38 के अनुसार स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट को प्रोसेसिंग यूनिट मानते हुए उत्पादित उपखनिज एक श्रेणी में होने के कारण प्लांट संचालक को उत्पादित/विक्रय की गयी मात्रा पर पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क ₹ 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक-0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।



7. प्लांट स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर नीति-2021 के अध्याय-I के विन्दु संख्या 39 (1) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।
8. स्टोन क्रेशर नीति-2021 के अध्याय-I के विन्दु संख्या 39 (3) के अनुसार स्थापित स्टोन क्रेशर प्लांट का प्रतिवर्ष (कम से कम एक बार) आधुनिक ड्रोन के माध्यम से सर्वे महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाएगा तथा अनियमितता पाये जाने पर सुसंगत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
9. प्लांट स्वामी के द्वारा वर्तमान में प्रचलित स्टोन क्रेशर नीति 2021 के प्रावधानानुसार प्लांट की क्रशिंग क्षमता के सापेक्ष अवशेष कच्चे माल की आपूर्ति तथा अवशेष अवधि के लिए कच्चे माल की आपूर्ति के सम्यन्ध में नोटर्सईज्ड शपथ पत्र जिलाधिकारी कार्यालय, जिला खान अधिकारी कार्यालय, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, देहरादून में प्रस्तुत किया जाना होगा।
10. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2021 के अध्याय-I के विन्दु संख्या 09 के अनुसार प्लांट में भण्डारण की मात्रा का निर्धारण किया जायेगा।
11. भूमि के बन्धक होने की दशा में अनुज्ञा जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर भूमि को बन्धकमुक्त कराया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा की दशा में प्लांट स्वामी का ई-रवन्ना पोर्टल नहीं खोला जायेगा।
12. प्लांट स्वामी के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)
अपर सचिव

संख्या:- 250 (1)/VII-A-1/2024/228-ख/2014, तद्विनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
4. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
5. आवेदक श्री विनोद डोभाल पुत्र श्री नत्थी लाल, नि0 ग्राम चक्रगांव, तहसील बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(हनुमान प्रसाद तिवारी)
उप सचिव

संख्या-३२ (क)

गौरीपुरा संख्या-५५/००/०००५/२०३ (१००३)



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-४, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, शुक्रवार, १६ जून, २०२३ ई०

ज्येष्ठ २६, १९४५ शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-१

संख्या १७७ / VII-A-1 / 2023-24 ख / 2007

देहरादून, १६ जून, २०२३

अधिसूचना

सा०प०नि०-१६

राज्यपाल, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५७ (केंद्रीय अधिनियम संख्या ६७, वर्ष १९५७) की धारा १६ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड राज्य के अधीन में उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, २००१ तथा इस विषय पर विद्यमान समस्त निषेधों एवं आदेशों को अतिक्रमणित करते हुए उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली-२०२३ को निम्नवत् प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात् :-

उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली-२०२३

अध्याय-१

प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त, शीर्षक, प्रसार, प्रारम्भ और प्रयुक्ति-

- (१) यह नियमावली उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली, २०२३ (Uttarakhand Minor Minerals (Concession) Rules, 2023) कहलायेगी।
- (२) इनका प्रसार समस्त उत्तराखण्ड में होगा।
- (३) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रचलित होगी।

- (4) यह राज्य में सम्पलब्ध सारलत उपखनिजों पर प्रवृत्त होगी।
 (5) यह नियमावली राज्य सरकार द्वारा सरकारी विभागों, सरकारी निगमों या कानूनी निगमों से खनन कार्य को कराने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।

परिभाषाएँ :- जब तक की भ्रंशंग द्वारा अन्यथा अभेक्षित न हो, इस नियमावली में :

- (1) "अधिनियम" का तात्पर्य माइन्स एण्ड मिनरल्स (डिप्लोमेन्ट एण्ड रेगुलेशन) एक्ट, 1957 (एक्ट संख्या 67 ऑफ 1957) समय-समय पर यथा संशोधित से है।
 (क) "समिति" का तात्पर्य जिस क्षेत्र में खनिज क्षेत्र स्थित है, उस जगह के उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में खनिज क्षेत्रों के चिन्तीकरण/निरीक्षण हेतु गठित समिति से है।
 (ख) "जिला खनन समिति" का तात्पर्य जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें प्रभागीय वनाधिकारी, जिला खान अधिकारी, राष्ट्रीय परिवहन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग सदस्य होंगे, से अभिप्रेत है।
 (ग) "महानिदेशक" का तात्पर्य महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड से है।
 (घ) "निदेशक" का तात्पर्य निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड से है।
- (2) "जिलाधिकारी" से तात्पर्य उस जिले के कलेक्टर से है, जिसमें भूमि स्थित हैं।
 (क) "जिला खान अधिकारी" से तात्पर्य उस जिले के खान अधिकारी से है, जिसमें भूमि स्थित है।
- (3) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली के तृतीय अनुसूची में दिये गये प्रपत्र से है।
 (क) "स्वस्थाने चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप" का तात्पर्य चट्टानों के रूप में पाये जाने वाले खनिज जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराइट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्ट्जमाईट, पत्थर, जिप्सम आदि समस्त उपखनिज से है, जो अपनी उत्पत्ति के स्थान से विस्थापित न हुआ हो।
- (4) "खनन और स्वामी" के यही अर्थ होंगे, जो माइन्स एक्ट 1952 (एक्ट सं० 35, 1952) में दिये गये हैं।
- (5) "खनन सक्रियताओं" का तात्पर्य किसी उप खनिज को लक्ष्य करने के प्रयोजन के लिये की गई सक्रियताओं (operation) से है।
- (6) "खनन पट्टा" का तात्पर्य उस खनन पट्टे (Mining Lease) से है, जो इन नियमों के अधीन एक निमत अवधि हेतु उप-खनिजों के विवोडन हेतु पर्यावरणीय अनुमति एवं अन्य संबंधित अनुमतियाँ प्राप्ति के उपरान्त शासन अथवा शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया हो।
- (7) "खनन अनुज्ञा-पत्र" का तात्पर्य उस अनुज्ञा-पत्र (परमिट) से है, जो इन नियमों के अधीन अनुज्ञा-पत्र में नियत अवधि के भीतर उप-खनिजों की निर्दिष्ट मात्रा को निकालने के लिये दिया गया हो।
- (8) "उप-खनिज" का तात्पर्य इमारती पत्थर (Building stone), बालू (Sand), बजरी (gravel), बौल्डर (Boulder), आरओएमओ (बालू, बजरी, बौल्डर मिश्रित अवस्था में), मामूली मृदा (clay) नियत प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली बालू (Sand) से भिन्न मामूली बालू, खनिज सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराइट, स्लेट अथवा किसी ऐसे खनिज से है, जिसे केन्द्र सरकार ने समय-समय पर घोषित किया है या जिसके उप-खनिज होने के बारे में माइन्स एण्ड मिनरल्स (रेगुलेशन एण्ड डिप्लोमेन्ट) एक्ट, 1957 (1957 की एक्ट संख्या 67) की धारा-3 के खण्ड (ड़) के अधीन सरकारी गजट में विज्ञापित द्वारा घोषित करें।
 (क) "खनिमुख मूल्य" का तात्पर्य खनिमुख पर मूल्य या उत्पादन के बिन्दु पर उपखनिज के विक्रय-मूल्य से है।

- (9) "स्रोत" और "रेलवे के प्रसारण" के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उनके जिसे इम्प्लियन रैलवेज एक्ट, 1890 (एक्ट संख्या 9, 1890) में दिये गये हैं।
- (10) "Silver Bed Material (झारोवी0एन0)" नदी/नला/गंधेरा में अवस्थित या लगी हुई भूमि में उपलब्ध रेत, बजरी, बोल्टर, मिश्रित अवस्था में या पृथक-पृथक अवस्था में उपलब्ध हो, से तात्पर्य है।
- (11) "नदी तल उपखनिज क्षेत्रों हेतु खनन सत्र" का तात्पर्य वर्षाकाल के उपरान्त 01 अक्टूबर से 30 जून तक की अवधि से है।
- (12) "स्वस्थानों (In-Situ) चट्टानों एवं नदी तल से गिन्ना उपखनिज क्षेत्रों हेतु खनन सत्र" का तात्पर्य 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि से है।
- (13) पर्वतीय क्षेत्र:- पर्वतीय क्षेत्र के अन्तर्गत जिला उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बानेश्वर एवं पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल (तहसील नरेंद्रनगर का मैदानी भाग छोड़कर), पीड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग छोड़कर), अल्मोड़ा (सम्पूर्ण भाग), चम्पावत (तहसील पूर्वागिरी का मैदानी भाग छोड़कर), नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालादूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र छोड़कर), देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग छोड़कर) सम्मिलित है।
- (14) मैदानी क्षेत्र:- मैदानी क्षेत्र के अन्तर्गत जिला टिहरी गढ़वाल (नरेंद्रनगर का मैदानी भाग), पीड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग), चम्पावत (तहसील पूर्वागिरी का मैदानी भाग), नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालादूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र), देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग), हरिद्वार एवं लखमसिंहनगर के सम्पूर्ण भाग सम्मिलित है।
- (15) "चुगान" का तात्पर्य नदी के जल प्रवाह को नदी के मध्य में वेन्द्रित करने हेतु नदी द्वारा निर्धारित/जमा उपखनिज बालू, बजरी व बोल्टर का मानव शक्ति से निष्कासी से है।
- (16) "अनुसूची" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न अनुसूची से है।
- (17) "राज्य और 'राज्य सरकार'" का तात्पर्य क्रमशः उत्तराखण्ड राज्य और उत्तराखण्ड सरकार से है।
- (18) "परिवार" का तात्पर्य माता, पिता, पति, पत्नी, पुत्र, भाई, अविवाहित पुत्री व अविवाहित बहन से है।
- (19) "शब्द" और "वच" जो परिभाषित नहीं हैं, परन्तु साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे, जो उनके लिए उक्त अधिनियम में दिये गये हैं।

3. खनन सक्रियार्य, खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा-पत्र के अधीन होगी-

- (1) कोई व्यक्ति राज्य के भीतर किसी क्षेत्र में ऐसे उप-खनिज की, जिस पर वह नियमावली प्रयोज्य हो, इस नियमावली के अधीन दिये गये खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा पत्र की शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन और उनके अनुसार के अतिरिक्त कोई खनन सक्रियार्य न कर सकेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी बात का प्रभाव इस नियमावली में प्रारम्भ होने से पूर्व स्थाविधि दिये गये खनन पट्टा या अनुज्ञा-पत्र की शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अनुरूप की गई खनन सक्रियार्यों पर न पड़ेगा।

- (2) कोई खनन पट्टा या खनन अनुज्ञा-पत्र इस नियमावली के सम्बन्धों से भिन्न प्रकार न दिया जायेगा।

अध्याय-2

उपखनिज क्षेत्रों को खनन पट्टे पर दिया जाना

4. खनन पट्टे को दिये जाने पर निर्बन्धन-

खनन पट्टा किसी ऐसे व्यक्ति को न दिया जायेगा, जो भारतीय राष्ट्रिक न हो।

स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजन के लिये कोई व्यक्ति भारतीय राष्ट्रिक समझा जायेगा:-

- (I) कम्पनीज एक्ट, 1956 में यथा परिभाषित "public company" (सार्वजनिक कम्पनी) की दशा में, केवल उस स्थिति में जब कम्पनी के अधिकांश निदेशक भारत के नागरिक हों और उसी अंशपूर्वी को कम से कम इच्छाजन प्रतिशत ऐसे व्यक्ति धारण करते हों, जो या भारत के नागरिक हों वा कम्पनीज एक्ट 1956 में यथा परिभाषित "companies" (कम्पनियां) हों।
- (II) कम्पनीज एक्ट 1956 में यथा परिभाषित "Private company" (निजी कम्पनी) की दशा में केवल उस स्थिति में जब कम्पनी के सभी सदस्य भारत के नागरिक हों।
- (III) फर्म या व्यक्तियों के अन्य संघ (Other association or individuals) की दशा में केवल उस स्थिति में जब फर्म के सभी सदस्य भारत के नागरिक हों और
- (IV) किसी व्यक्ति विशेष की दशा में, केवल उस स्थिति में जब वह भारत का नागरिक हो।

5. खनन पट्टा दिए जाने या उसके नवीनीकरण के लिये प्रार्थना पत्र:-

- (1) खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रपत्र एम0एम0-1 में या उसके नवीनीकरण के लिये प्रपत्र एम0एम0-1 (क) में जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।
- (2) उपनियम (1) में अभिविष्ट प्रार्थना पत्र जिला खान अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अधिकारी को छः प्रतियों में दिया जायेगा। ऐसा अधिकारी सभी छः प्रतियों में, प्रार्थना पत्र की प्राप्ति, उसकी प्राप्ति का स्थान, समय और दिनांक लिखकर पृष्ठांकित करेगा। उसकी एक प्रति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने वाले व्यक्ति को तुरन्त लौटा दी जायेगी तथा एक प्रति निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को सूचनार्थ प्रेषित की जायेगी।
- (3) खनन पट्टा हेतु आवेदनकर्ता की मृत्यु होने पर आवेदनकर्ता की विधिक वारिस द्वारा प्रस्तुत किया गया माना जायेगा, इस हेतु विधिक वारिस द्वारा सक्षम स्तर से निर्गत उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र तथा सक्त आवेदन हेतु इच्छुक होने का नोटराईज्ड अनुरोध शपथ पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी कार्यालय में 03 माह की अवधि के अन्तर्गत प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा की स्थिति में मूल आवेदन पत्र स्वतः निरस्त मानते हुए आवेदित क्षेत्र रिक्त माना जायेगा।
- (4) उप नियम (1) में अभिविष्ट प्रार्थना पत्र प्रपत्र एम0एम0-2 में खनन पट्टों के लिये प्रार्थना पत्रों के रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।

6- खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र शुल्क और जमा अभिलेख:-

(1) खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रत्येक प्रार्थना पत्र के साथ निम्नलिखित होगा:-

- (क) नदी ताल में अवस्थित निजी/राजस्व/वन भूमि उपखनिज क्षेत्रों के लिये आवेदन शुल्क रु0 1.00 लाख एवं नदीतल से भिन्न किसी नाम भूमि के तत्स्थाने प्रकृति के उपखनिजों हेतु आवेदन शुल्क 05 हे0 क्षेत्रफल तक हेतु रु0 2.00 लाख तथा 5.00 हे0 से अधिक क्षेत्रफल हेतु रु0 5.00 लाख देय होगा, जो निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा।

- (ख) स्थानों (In-situ) घट्टान किस्म के खनिज तथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैर्राईट, डोलोमाईट, जिप्सम आदि के खनन पट्टा क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि से खनन किये जाने के लिए आवेदित क्षेत्रफल 4.0 हेक्टर से न्यून नहीं होगा, जो एक संतुलित खण्ड में होगा।
परन्तु स्थानों (In-situ) घट्टान किस्म के ऐसे उपखनिज जो निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होंगे तथा स्लेट, क्वार्ट्जाईट, फ्लोर आदि हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 1.0 एकड़ होगा।
- (ग) राजस्व खसरा मानचित्र, जिसमें आवेदित क्षेत्र का लाल रंग से दर्शाया गया हो तथा राजस्व विभाग से सत्यापित हो, की प्रतियां एवं गुणवत्त मानचित्र, जिसमें आवेदित क्षेत्र को प्रदर्शित किया गया हो, की स्वप्रमाणित प्रति।
- (2) खसरा खतौनी की राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित प्रति।
 - (3) खनन आवेदता प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, की प्रति।
 - (4) आयकर बकाया न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र/शपथ पत्र की प्रति।
 - (5) चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति।
 - (6) मूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रति।
 - (7) जी०एस०टी० की प्रति।
 - (8) निजी नाप भूमि के उपखनिज के सम्बन्ध में सम्बन्धित भूस्वामियों की नोटिसाईज्ड अनापत्ति।
 - (9) निजी नाप भूमि होने पर भूमि बन्धक न होने का प्रमाण पत्र की प्रति।
 - (10) स्थानों (In-situ) घट्टान किस्म के खनिज निक्षेप जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैर्राईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्ट्जाईट, फ्लोर, जिप्सम आदि के खनन पट्टों के सम्बन्ध में निजी नाप भूमि में आवेदित कुल क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत क्षेत्रफल हेतु भूस्वामियों की नोटिसाईज्ड सहमति।
 - (11) यदि प्रार्थना पत्र किसी प्रकार से पूरा नहीं है या उसके साथ उपनियम (1) में उल्लिखित शुल्क जमा या अभिलेख नहीं हैं, तो जिला खान अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अधिकारी नोटिस द्वारा प्रार्थी से, ऐसे समय के भीतर जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रार्थना पत्र के सभी प्रकार से पूरा करने या शुल्क जमा करने या अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा करेगा और वह दिनांक जब प्रार्थना पत्र सभी प्रकार से पूरा हो, प्रार्थना पत्र की प्राप्ति का दिनांक समझा जायेगा।
 - (12) आवेदक व आवेदक के परिवार के विरुद्ध खनन सम्बन्धी देयता होने पर खनन पट्टा हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा।

क-खनन पट्टे का नवीनीकरण के लिये प्रार्थना पत्र शुल्क आदि:-

- (क) खनन पट्टा के नवीनीकरण के लिये-प्रार्थना पत्र, पट्टे की अवधि की समाप्ति के दिनांक से कम से कम छः माह पूर्व पट्टे द्वारा धृत क्षेत्र के मानचित्र, जिसमें वह क्षेत्र स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो, जिसके नवीनीकरण के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हो, की छः प्रतियां सहित दिया जा सकेगा और नियम 6 के उपनियम(1) खण्ड (क) आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।
- (ख) राज्य सरकार उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् खनन पट्टा के नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र में हुए क्लिम्ब की क्षमा कर सकेगी।

7- जांच और प्रतिवेदन:-

- (1) खनन पट्टे हेतु आवेदित क्षेत्र के स्थलीय जांच, अभिलेखों की जांच, खनिजों के प्रकार एवं रासायनिक संघटन, सीमांकन आदि हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर निम्नानुसार समिति का गठन किया जायेगा:-

1. उप जिलाधिकारी	- अध्यक्ष।
2. सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग (केवल नदी तट खनन क्षेत्रों हेतु)	- सदस्य।
3. प्रभागीय बनाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि	- सदस्य।
4. जिला खान अधिकारी	- सदस्य सचिव।

परन्तु उपरोक्त समिति में उप जिलाधिकारी की उपलब्धता न होने की स्थिति में नियमावली के नियम-66 के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त तहसीलदार/तारब तहसीलदार उक्त समिति की अध्यक्षता करेंगे।

- (2) जिला खान अधिकारी के द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर 01 माह के भीतर गठित समिति से स्थलीय जांच/निरीक्षणोपरान्त निर्धारित प्रपत्र में संयुक्त निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी, तदोपरान्त जिलाधिकारी के द्वारा संस्तुति सहित प्रस्ताव महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को समस्त संलग्नकों सहित प्रेषित किया जायेगा।

8- खनन पट्टे की स्वीकृति:-

(क) शासन द्वारा इस नियमावली के उपबंधों के अधीन रहते हुये नदी तट/नवी तट से जमीन भूमि में उपखनिज बालू, बजरी, बोल्टर (आरबीएम) एवं स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका रौण्ड, बैरईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्ट्जाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टे स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी से प्राप्त आख्या एवं अभिलेखों का परीक्षण करने के पश्चात् महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की संस्तुति पर उपलब्ध खनन पट्टे के प्रस्ताव को अस्वीकार किया जा सकता है अथवा आवेदित क्षेत्र के पूरे या उसके किसी भाग को लिये, उपखनिज बालू, बजरी, बोल्टर (आरबीएम) के खनन पट्टे की दशा में 06 माह की अवधि के लिए एवं स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका रौण्ड, बैरईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्ट्जाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टे की दशा में 01 वर्ष की अवधि के लिये, जैसा उचित हो, खनन पट्टा हेतु खनन योजना, पर्यावरणीय अनुमति एवं अन्य वांछित अनुमतियों की प्राप्ति हेतु जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की संस्तुति पर आशय पत्र (Letter of Intent) निर्गत/स्वीकृत किया जायेगा।

(ख) खनन पट्टे हेतु निर्गत आशय पत्र में उल्लिखित समस्त शर्तों यथा खनन योजना, पर्यावरणीय अनुमति एवं अन्य वांछित अनुमतियां प्राप्त हो जाने के उपरान्त महानिदेशक की संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा खनन पट्टा स्वीकृत किया जायेगा।

9- कतिपय व्यक्तियों के अधिमानी अधिकार:-

1. जहां वो या दो से अधिक व्यक्तियों ने एक ही भूमि के सम्बन्ध में खनन पट्टे के लिए आवेदन किया हो, वहां उस प्रार्थी को जिसका प्रार्थना पत्र अपेक्षाकृत पहले प्राप्त हुआ हो, उस आवेदक से, जिसका प्रार्थना पत्र बाद में प्राप्त हुआ है, ऊपर पट्टा दिये जाने का अधिमानी अधिकार होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ ऐसे प्रार्थना पत्र एक ही दिन प्राप्त हुये हों, वहाँ राज्य सरकार उपनियम-(2) में विनिर्दिष्ट बातों पर विचार करने के पश्चात् खनन पट्टा प्रार्थियों में से किसी एक ऐसे प्रार्थी को दे सकती है, जो वह उचित समझे।

2. उपनियम (1) में अतिविष्ट बातें—

- (क) भू-स्वामी या भू-स्वामी द्वारा सहमति प्राप्त आवेदक को छोड़कर अन्य आवेदक हेतु खनन संक्रियाओं में विशिष्ट ज्ञान उथता अनुभव।
 - (ख) भू-स्वामी या भू-स्वामी द्वारा सहमति प्राप्त आवेदक को छोड़कर अन्य आवेदन हेतु वित्तीय संशोधन सस खनन पट्टा क्षेत्र पर निर्धारित अपरिहार्य भाटक के खोना से कम नहीं होना चाहिए।
 - (ग) प्रार्थी द्वारा सेवायोजित या सेवायोजित किये जाने वाले प्राविधिक कर्मचारी वर्ग (स्टाफ) की प्रकृति और गुणवत्ता।
 - (घ) किसी पूर्व पट्टे या अनुज्ञा पत्र के आधार पर खनन संक्रियाओं को कार्यान्वित करने में और ऐसे पट्टे या अनुज्ञा पत्र की शर्तों या उसके सम्बन्ध में किसी विधि के उपबंधों का पालन करने में प्रार्थी का आचरण, और
 - (ङ) खनिज आधारित उद्योग स्टोन क्रेशर/स्लीनिंग प्लान्ट स्वामियों को खनन पट्टा स्वीकृति में प्राथमिकता दी जायेगी, और
 - (च) नियमावली के नियम-69 के अन्तर्गत चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को राज्य क्षेत्रान्तर्गत नदी तल उपलब्धता वाले रिक्त उपखनिज क्षेत्रों में खनन पट्टा, नियमावली के अध्याय-2 के अनुसार दिये जाने में प्राथमिकता दी जायेगी।
 - (छ) ऐसी अन्य शर्तें, जो राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझी जाय।
3. उपनियम (2) में किसी बात के होते हुये भी, किन्तु उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन रखते हुये सरकार किन्ही विशेष कारणों से जो अलिखित किये जायेंगे, किसी ऐसे प्रार्थी को, जिसका प्रार्थना पत्र पहले प्राप्त हुआ हो, अस्मिन् में, किसी ऐसे प्रार्थी को, जिसका प्रार्थना पत्र बाद में प्राप्त हुआ हो, पट्टा दे सकती है।

10- खनन पट्टे की अवधि :-

- (1) नदी तल अवस्थित राजस्व/वन भूमि के खनन क्षेत्रों में 05 हे० क्षेत्रफल तक 05 वर्ष की अवधि हेतु 05 हे० से अधिक क्षेत्रफल में 10 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टे स्वीकृत किये जायेंगे, जिसमें वर्षा ऋतु के तीन माह (जुलाई, अगस्त, सितम्बर) सम्मिलित होंगे, परन्तु उक्त अवधि में खनन/चुगान कार्य पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
- (2) स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किसम के खनिज यथा सोडस्टोन, सिलिका सैण्ड, तैराईट, डोलोमाईट, जिप्सम आदि के खनन पट्टे अधिकतम 25 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किये जायेंगे।
- (3) स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किसम के ऐसे उपखनिज, जो निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होंगे यथा स्लेट, क्वार्ट्जाईट, फ्लायर के 5.00 हे० क्षेत्रफल तक के खनन पट्टे अधिकतम 10 वर्ष तक तथा 5.00 हे० से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे अधिकतम 15 वर्ष तक की अवधि के लिए स्वीकृत किये जायेंगे, परन्तु यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि खनिज विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो

यह ऐसे स्तरक्षेत्र (In-situ) उपखनिजों के सम्बन्ध में उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, 20 (बीस) वर्ष से अधिक किन्तु 25 (पच्चीस) वर्ष से अधिक न हों, की अपेक्षा हेतु खनन पट्टा स्वीकृत करने की अनुमति दे सकती है।

11- पट्टे पर दिये गये क्षेत्र का सर्वेक्षण/सीमांकन :-

- (1) जब खनन पट्टा दिया जाय तो निदेशक द्वारा पट्टे पर दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन का प्रबन्ध किया जायेगा, जिसके लिये पट्टेदार से निम्नलिखित दर से प्रभार लिया जायेगा:-
राज्य के समस्त खनन पट्टा क्षेत्र में-
(1) 05 हे० क्षेत्र तक के लिये रु० 5000.00
(2) 05 हे० क्षेत्र से अधिक क्षेत्र के लिए प्रति हे० तक रु० 1000.00 की दर से अतिरिक्त।
- (2) पट्टेदार, उसे पट्टा दिये जाने के पश्चात् ट्रेजरी चातान या ई-चातान पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से सीमांकन प्रभार देगा और पट्टे पर दिये गये क्षेत्र का राजस्व विभाग द्वारा प्रमाणित एक मानचित्र सम्बन्धित जिला खान अधिकारी को या प्राधिकृत अधिकारी को, जिसे महानिदेशक/निदेशक द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, प्रस्तुत करेगा। जिला खान अधिकारी या इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी प्रमाणित मानचित्र प्राप्त होने और सन्तुष्ट होने पर कि सीमांकन प्रभार जमा कर दिया गया है, ऐसी प्रति के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर क्षेत्र का सर्वेक्षण और सीमांकन कर देगा।
- (3) महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी, क्षेत्र का सर्वेक्षण और सीमांकन के प्रयोजनार्थ जिले के राजस्व और वन विभाग के ऐसे अधिकारी की सहायता ले सकता है, जैसा वह आवश्यक समझे।
- (4) यदि क्षेत्र को सीमांकन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो नामला निदेशक को अभिदिष्ट कर दिया जायेगा, जो पक्षकारों की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् मामले का विनिश्चय करेगा।
- (5) उपनियम (1) के अर्धीन निदेशक का विनिश्चय अन्तिम होगा।

12- प्रतिभूति जमा :-

- (1) नियम 13 में अभिदिष्ट विलेख के निष्पादन के पूर्व खनन पट्टे का प्रार्थी पट्टे के निबन्धनों और शर्तों के उचित पालन के लिये उपखनिज रेत, बलरी, मोल्डर आदि पट्टाकृत क्षेत्र की वार्षिक पट्टा घनराशि के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य घनराशि के रूप में एफ०डी०आर० जमा करेगा, जोकि निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के पक्ष में बंधक होगी।
- (2) स्वस्थाने (In-situ) बट्टान किरण के खनिज निक्षेप जैसे सोपस्टॉन, सिलिका सैण्ड, बेसाल्ट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्ट्जाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के पट्टाकृत क्षेत्र के लिए 05 हे० तक क्षेत्रफल के लिये रु० 25,000/- तथा 05 हे० से अधिक क्षेत्रफल के लिये रु० 50,000/- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के पक्ष में एफ०डी०आर० के रूप में बंधक की जानी होगी।

13- पट्टा विलेख का विभाजन :-

- (1) राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा स्वीकृति संबंधी आदेश जारी होने के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा विलेख निष्पादन से पूर्व वार्षिक पट्टा धनराशि का मन्वीस प्रतिशत प्रतिभूति धनराशि एफ०डी०धारक, जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के पक्ष में बन्धक हो, जमा किया जायेगा तथा तदुपरान्त जिला उपनिबन्धक द्वारा सूचित स्टाम्प शुल्क के आधार पर पट्टाविलेख निर्धारित प्रारूप प्रपत्र एम०एम्०-3 में तैयार कराकर पट्टा विलेख (नदी तल क्षेत्र हेतु) महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा स्वीकृति के 01 माह के भीतर निष्पादित किया जायेगा एवं नदी तल से भिन्न क्षेत्र हेतु महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा स्वीकृति के 01 माह के भीतर निष्पादित किया जायेगा। पट्टाधारक द्वारा उक्त खनन पट्टा विलेख का पंजीकरण सम्बन्धित जनपद के जिला उपनिबन्धक अधिकारी से कराया जायेगा। पट्टाविलेख के पंजीकरण के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा उसकी एक-एक प्रति निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय संबंधित जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी कार्यालय को एक सप्ताह के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।
- (2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट खनन पट्टे के प्रारम्भ होने का दिनांक उक्त उप नियम के अधीन विलेख निष्पादित किये जाने के उपरान्त उपनिबन्धक द्वारा पंजीकरण किये जाने का दिनांक होगा।
- (3) पट्टा विलेख में निर्धारित वार्षिक पट्टा धनराशि का भुगतान पट्टेदार के द्वारा 08 समान मासिक किश्तों (माह जुलाई से माह सितम्बर तक की अवधि को छोड़कर) में निर्धारित तिथि से पूर्व किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक आगामी माह की किस्त अग्रिम रूप से जमा की जायेगी।
- (4) राजस्व व वन भूमि क्षेत्रों में नियमों के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा/नवीनीकरण के उपरान्त एक माह के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर एम०ओ०यू० महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के साथ हस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य होगा तथा एम०ओ०यू० हस्ताक्षर करने के उपरान्त ही उपखनिज का चुपान/खनन कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

14-पट्टे का समर्पण :-

कोई भी पट्टेदार राज्य सरकार को खनन पट्टा समर्पण करने हेतु सम्बन्धित जिला खान अधिकारी कार्यालय में लिखित प्रार्थना पत्र देने की दिनांक से अग्रिम तीन माह की पट्टा धनराशि जमा करने के उपरान्त जिलाधिकारी एवं निदेशक/महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा खनन पट्टा समर्पण स्वीकार किया जायेगा।

15-पट्टे का संक्रमण (Transfer):-

(1) पट्टेदार :-

- (क) पट्टेदार किसी खनन पट्टे को उसमें किसी अधिकार, स्वत्व या हित को न तो अभ्यर्पित करेगा, न शिकमों पर देगा, न बंधक रखेगा, न किसी अन्य रीति से उसका संक्रमण (Transfer) करेगा।
- (ख) न तो कोई प्रबंध, संविदा या समझौता करेगा, जिसके द्वारा पट्टेदार भर्त्ता नाना में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निःकाय द्वारा वित्त पोषित किया जा

सकता है या जिससे खनन सक्रियार्थे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के नियंत्रण द्वारा पर्याप्त रूप से नियंत्रित की जा सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि पट्टेदार राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, जैसा राज्य सरकार द्वारा आरोपित की जाए, खनन पट्टे या उसमें किसी अधिकार, स्वत्व या हित को राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी विलत निगम अथवा भारतीय बैंक अधिनियम, 1934 की धारा (2) के खण्ड (क) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक या बैंकिंग कम्पनोज (समूहों) या अर्जन और अन्तरण अधिनियम, 1970 की प्रथम अनुसूची के साम्-2 में विनिर्दिष्ट किसी बैंक को बंधक कर सकता है या किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को बिना मूस्वामी की सहमति के, परन्तु यह कि सम्बन्धित मूस्वामी की भूमि में खनन कार्य करने से पूर्व सहमति लिया जाना आवश्यक होगा, अन्वर्षित या संक्रमण (Transfer) कर सकता है या फर्म के पार्टनर को जोड़ या घटाया जा सकता है, जिसके लिए निम्नानुसार शुल्क देय होगा:-

1. खनन पट्टा किसी अन्य व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के नाम संक्रमण (Transfer) हेतु शुल्क - ₹0 2.00 लाख 05 है0 तक तथा 05 है0 से अधिक हेतु ₹0 5.00 लाख।
 2. फर्म के मामलों में भागीदार का नाम जोड़ने एवं घटाने हेतु शुल्क - ₹0 2.00 लाख।
- (2) यदि राज्य सरकार को शय में पट्टेदार ने खनन पट्टे या उसमें किसी अधिकार स्वत्व या हित को अन्वर्षण, बंधक, बंधक द्वारा या किसी अन्य रीति से किसी को संक्रमित कर दिया है या फर्म के मामले में भागीदार का नाम जोड़ एवं घटा दिया गया है या राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई प्रतिबन्ध, संविदा या समझौता करा लिया है या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ विनिर्दिष्ट किसी शर्त या निबन्धन का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा किसी भी समय ऐसे पट्टे को समाप्त कर सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई आदेश, पट्टेदार को अपना मामला बताने के लिये युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना पारित नहीं किया जायेगा।

- (3) निजी नाम भूमि के पट्टेधारक की मृत्यु होने पर बिना मू-स्वामियों की सहमति के तथा निजी नाम से मिले भूमि के खनन पट्टेधारक की मृत्यु होने पर पट्टे की अवशेष अवधि तक पट्टेधारक के विधिक वारिस को पट्टा हस्तान्तरण जिलाधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा अनुपूरक पट्टा विलेख के माध्यम से किया जायेगा।

16- निगमों/अन्य ठेकेदार/निविदाकार द्वारा खनन/घुगान कार्य:-

1. नदीतल में अवस्थित वन भूमि उपखनिज क्षेत्रों का आवंटन उत्तराखण्ड वन विकास निगम, राज्य क्षेत्र में अवस्थित खनन लॉटों को गढ़वाल गण्डल क्षेत्रान्तर्गत गढ़वाल गण्डल विकास निगम लि0 एवं कुमाऊ गण्डल क्षेत्रान्तर्गत कुमाऊ गण्डल विकास निगम लि0 के पक्ष में उनके द्वारा निर्धारित प्रारूप पर नियमानुसार आवेदन किये जाने पर नियमवली के अध्याय-2 के प्रावधानानुसार स्वीकृत किया जायेगा। निगमों के पक्ष में स्वीकृत खनन लॉटों में खनन/घुगान कार्य निगमों के द्वारा स्वयं किया जायेगा। यदि निगमों के द्वारा स्वयं घुगान/खनन कार्य नहीं किया जाता है, तो निगमों द्वारा घुगान का कार्य ई-नीलामी द्वारा चयनित व्यक्ति/समिति/फर्म/कम्पनी के माध्यम से कराया जायेगा।

परन्तु यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत होता हो कि निगमों के द्वारा किये जा रहे खनन/भुगतान कार्य से राजस्व घटित हो रही है तो ऐसी दशा में राज्य सरकार निगमों को आवश्यक सामग्री अथवा किसी खनन पट्टे को वापस लेकर नियम-69 के अन्तर्गत सफल निविदाकार/ठेकेदार को नियमावली के अध्याय-2 के अनुसार आवंटित किया जा सकता है।

2. राज्य सरकार किसी भी मामले में यदि उसको राय हो, तो विकल्प एवं राष्ट्रहित में लिखित आज्ञा द्वारा निगमों के पक्ष में स्वीकृत खनन लौटों के किसी भाग/गेट से उपखनिजों की आपूर्ति राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं यथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल), डीएनवीएआर(ग्रिफ), बीआरओ, एनटीपीसी, यूजेवीएनएल, एनएचपीसी आदि को किये जाने हेतु निर्देश दिये जाने पर निगमों के द्वारा उक्तानुसार सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को उपखनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

17- रजिस्टर :- जिला खान अधिकारी के कार्यालय में निम्नलिखित रजिस्टर रखे जायेंगे:-

- (क) प्रपत्र एमओएम 2 में खनन पट्टे के लिये प्रार्थना-पत्रों का रजिस्टर, और
- (ख) प्रपत्र एमओएम 4 में खनन पट्टे का रजिस्टर।

अध्याय -3

स्वामित्व (रायल्टी) और अपरिहार्य भाटक का भुगतान

18- स्वामित्व :-

- (1) इस नियमावली के लागू होने के दिनांक को या उसके पश्चात दिये गये खनन पट्टे का धारक, किसी ऐसे खनिज के सम्बन्ध में जिसे उक्त पट्टे पर दिये गये क्षेत्र हेतु उपखनिज की मात्रा निर्धारित की गयी हो, इस नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय निर्दिष्ट दरों पर उक्त निर्धारित मात्रा के सापेक्ष अग्रिम रूप से स्वामित्व का भुगतान करेगा, परन्तु स्वस्थान चट्टानों से सम्बन्धित उपखनिजों के खनन पट्टे का धारक किसी ऐसे प्रत्येक खनिज के सम्बन्ध में जिसे उसने पट्टे पर दिये गये क्षेत्र से निकाला हो, इस नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय निर्दिष्ट दरों पर अग्रिम रूप से स्वामित्व का भुगतान करेगा।
- (2) राज्य सरकार, गजट में विज्ञापित द्वारा किसी खनिज के स्वामित्व (royalty) की दर को ऐसे दिनांक से जो विज्ञापित में निर्दिष्ट किया जाये, शामिल करने से बहिष्कृत करने अथवा बढ़ाने या घटाने के लिये प्रथम अनुसूची को संशोधित कर सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी खनिज के सम्बन्ध में स्वामित्व की दर को तीन वर्ष की किसी अवधि में एक बार से अधिक नहीं बढ़ावेगी और स्वामित्व की दर को खनिमुख मूल्य (Fis mouth value) के 20 प्रतिशत से अधिक पर निर्धारित नहीं करेगा।

- (3) यदि खनिज के खनिमुख मूल्य पर स्वामित्व लिया जाने वाला हो तो राज्य सरकार ऐसे मूल्य का निर्धारण पट्टा देने समय कर सकती है और स्वामित्व की दर पट्टा विलेख में उल्लिखित की

जायेंगी। राज्य-सरकार वर्ष में अधिक से अधिक एक बार खनिज मूल्य का पुनः निर्धारण कर सकेगी, यदि यह इसको शक्या जाना आवश्यक रहे।

19- अपरिहार्य भाटक-

खनन पट्टे का धारक पट्टे की अवधि जिसमें अपरिहार्य कारणवश (मा0 न्यायालयों/एन0जी0टी0 के आदेशों, केंद्र/राज्य सरकार के शासनादेशों, महानिदेशक/निदेशक के आदेशों/जिलाधिकारी के आदेशों के क्रम में) खनन/चुगान में असमर्थ रहता है, जिसमें पट्टाधारक की कोई गलती न हो, जिसकी पुष्टि सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी के द्वारा किये जाने पर उक्त बाधित अवधि के समतुल्य अवधि पट्टाधारक को प्रदान की जा सकेगी, जिस पर रायल्टी की देयता तत्समय निर्धारित दर के अनुसार लागू होगी परन्तु यदि पट्टाधारक उक्तानुसार प्रदत्त अवधि लेने से इन्कार करता है तो पट्टाधारक बाधित अवधि हेतु आंगणित अपरिहार्य भाटक के रूप में, ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा, जैसी इस निष्ठापली की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित दरों पर राज्य सरकार द्वारा पट्टा विलेख में विनिर्दिष्ट की जायें। अपरिहार्य भाटक का आंगणन सम्बन्धित जिला खान अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

परन्तु स्वस्थानिक चट्टानों से सम्बन्धित उपखनिजों के सम्बन्ध में पट्टेदार अपरिहार्य भाटक या पट्टा धनराशि दोनों में से जो भी अधिक हो या देनदार होगा, किन्तु दोनों का नहीं। यदि पट्टा क्षेत्र में एक से अधिक खनिज निकालने की अनुमति है तो ऐसे प्रत्येक खनिज के लिए उक्त अपरिहार्य भाटक का भुगतान पृथक-पृथक रूप से किया जायेगा।

अध्याय -4

नीलामी-पट्टा

20-ई-नीलामी में पट्टे के लिये क्षेत्र की घोषणा :-

- (1) महानिदेशक/निदेशक, भूतल एवं खनिकर्म निदेशालय सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसे नदी तल राजस्व/बन क्षेत्रों में अवस्थित उपखनिज बालू, बजरी, बोल्टर, आर0बी0एम0 एवं नदीतल से भिन्न राजस्व/बन भूमि में अवस्थित स्वस्थाने (in-situ) चट्टान किस्म के उपखनिज जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, ग्रेनाइट, डोलोमाइट, स्लेट, क्वार्टजाइट, पत्थर, जिप्सम आदि समस्त उपखनिज की, जिसे या जिन्हें नीलाम करके निविदा द्वारा या नीलामी या ई-निविदा/ई-नीलामी पट्टे पर दिया जा सकेगा घोषणा कर सकेगी।
- (क) नदी तल एवं नदी तल से भिन्न निजी नाप भूमि में उपलब्ध उपखनिज बालू, बजरी, बोल्टर, आर0बी0एम0 एवं स्वस्थाने चट्टान किस्म के उपखनिज जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, ग्रेनाइट, डोलोमाइट, स्लेट, क्वार्टजाइट, पत्थर, जिप्सम आदि समस्त उपखनिजों के खनन/चुगान के पट्टों का आवंटन नियमावली के अध्याय-2 के नियमानुसार किया जायेगा।
- (2) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किये गये निर्देशों के अधीन रहते हुये, किसी भी क्षेत्र या क्षेत्रों को एक बार में ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा नदी तल अवस्थित 05 हे0 क्षेत्रफल तक के उपखनिजों के चुगान/खनन पट्टा 05 वर्ष की अवधि एवं 05 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे 10 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। स्वस्थाने प्रकृति के उपखनिज के खनन पट्टे

अधिकतम 25 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किये जायेंगे। पट्टे की अवधि की गणना पट्टाविलेख निष्पादन के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी। नदीतल स्थित राजस्व भूमि/वन भूमि एवं नदीतल से भिन्न राजस्व/वन भूमि या 5.0 हे० तक के खण्ड पट्टे राज्य के मूल निवासी/निवासियों की समितियों/फॉर्म/कमपनियों एवं 5.0 हे० से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे भारत के नागरिक/नागरिकों की समितियों/फॉर्म/कमपनियों को स्वीकृत किये जायेंगे।

- (क) उप नियम (1) के अधीन किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों की घोषणा किये जाने पर, इस नियमावली के अध्याय 2, 3 और 6 के उपबन्ध उस क्षेत्र अथवा क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे, जिसके या जिनके सम्बन्ध में घोषणा जारी कर दी गयी हो, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों को इस अध्याय में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पट्टे पर दिया जा सकेगा।
- (ख) उप नियम (1) के अधीन नदी तल राजस्व/वन भूमि खनन क्षेत्र या क्षेत्रों को घोषित किये जाने से पूर्व उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति यथा राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग (नदी तल क्षेत्रों हेतु), वन विभाग, खनन विभाग या अन्य कोई विभाग आवश्यक हो, के द्वारा उपखनिज क्षेत्रों का चिन्हीकरण, सीमांकन जी०पी०एस० कॉर्डिनेट्स सहित, निक्षेपित उपखनिज की मात्रा, गुणवत्ता एवं पहुँच मार्ग की उपलब्धता आदि वन निर्धारण कर आख्या जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी एवं जिलाधिकारी के द्वारा उक्तानुसार गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को ई-नीलापी से आवंटन की अप्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा।

परन्तु राजस्व/वन भूमि में अवस्थित स्वरूप में चट्टान किस्म के उपखनिज सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बेराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, फथर, जिप्सम आदि समस्त उपखनिज क्षेत्रों का चिन्हीकरण संयुक्त निदेशक, भूविज्ञान के पर्यवेक्षण में विभागीय गठित भूवैज्ञानिक दल के द्वारा या बाह्य स्रोत से किया जायेगा। उक्त चिन्हीत क्षेत्रों का भौतिक सत्यापन हेतु उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि, निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा नामित भूवैज्ञानिक/सहायक, भूवैज्ञानिक सदस्य होंगे। उक्त समिति चिन्हीत खनिज क्षेत्रों की स्थलीय निरीक्षण आख्या मय खसरा शतौनी, मानचित्र आदि अभिलेखों सहित सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को ई-नीलापी से आवंटन की अप्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा।

21-ई-नीलापी में से क्षेत्र का वापिस लिया जाना :-

राज्य सरकार घोषणा द्वारा नियम 20 के उप नियम (1) के अधीन घोषित किसी क्षेत्र या क्षेत्रों या उसके किसी भाग को निर्दिष्ट पट्टे पर देने की किसी प्रथा से वापिस ले सकेगी और घोषणा में निर्दिष्ट वापसी दिनांक से जो इस अध्याय के अधीन दिये गये पट्टे की साधारण अवधि के दौरान वापसी का दिनांक न होगा, इस नियमावली के अध्याय 2, 3 और 6 के उपबन्ध उस क्षेत्र या क्षेत्रों पर लागू होंगे।

22-ई-नीलापी के लिये घोषित क्षेत्र या क्षेत्रों का रजिस्टर :-

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नियम 20 के उप नियम (1) के अधीन क्षेत्रों का एक रजिस्टर प्रपत्र एच.एन. 5 में रखवायेगा।

23-पट्टे के देने पर निर्वन्धन :-

1. ऐसे व्यक्ति को नीलामी/निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा/ई-निविदा सह ई-नीलामी की बोली बोलने या पट्टे के लिये निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी-
 - i. जो भारतीय राष्ट्रिक न हो।
 - ii. जिसके विरुद्ध खनिज देय बलया हो।
 - iii. जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जहां वह प्रथमों रूप से निवास करता है, से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त न किया हो।
 - iv. जिसने अपने आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।
 - v. जो व्यक्ति/फर्म/कम्पनी किसी भी राज्य में नियत तिथि (जिस तिथि को निविदा प्रक्रिया में भाग लिया जायेगा) को ब्लैक लिस्टेड/डिबार्ड न हो, का शपथ पत्र निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रस्तुत न किया हो।
 - vi. ऐसी फर्म एवं कम्पनी के मामले, जिसने पेन कार्ड, जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण, फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र/मैनेरेण्डन आफ आर्टीफैक्ट की प्रति प्रस्तुत न की हो।
2. प्रतिमागी बोलीदस्तावेजों द्वारा बोली की धनराशि उतानी ही बोली जायेगी जिसका वह भुगतान करने में सक्षम हों, निविदा की कार्यवाही को प्रभावित करने के उद्देश्य से बोली गयी उच्चतर धनराशि के अनुसार उक्त धनराशि जमा न कराये जाने पर सम्बन्धित बोलीदाता के द्वारा जमा अर्नस्ट मनी को जमा करते हुए सफल बोलीदाता को राज्य में खनन लॉटों की निविदाओं/खनन पट्टा/खनन अनुज्ञा/मण्डलण अनुज्ञा/स्टोन क्लेशर अनुज्ञा/स्कीमिंग प्लान्ट अनुज्ञा प्राप्ति हेतु 01 वर्ष की अवधि हेतु प्रतिबन्धित करते हुए काली सूची में डाला जायेगा।
3. व्यक्ति/फर्म/समिति/कम्पनी/सोसाइटी आदि को विभाग द्वारा खनन पट्टे की आंगणित अधिकतम आधार मूल्य के शत-प्रतिशत हैसियत के अनुरूप ही खनन पट्टा/पट्टे आवंटित किये जा सकेंगे यदि सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत हैसियत उसके सफल हुये खनन पट्टों के आधार मूल्य से कम पायी जाती है तो सफल घोषित खनन पट्टे एवं अन्य सफल घोषित खनन पट्टों के लिए उसकी अर्हता समाप्त कर दी जायेगी।

24- ई-नीलामी की प्रक्रिया :-

1. राज्य क्षेत्रान्तर्गत नदी तल राजस्व/वन भूमि क्षेत्रों एवं नदी तल से निम्न राजस्व/वन भूमि में नियम-20(1) के अधीन चिन्कित सप खनिज लॉटों को निजी व्यक्तियों/निजी व्यक्तियों की कंपरेटिव समिति/फर्म/कम्पनी को परिहार पर स्वीकृत करने की प्रक्रिया ऑनलाईन ई-नीलामी के माध्यम से उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमवली-2017 के प्राविधानानुसार तकनीकी निविदा (Technical Bid) एवं वित्तीय निविदा (Financial Bid) पर आधारित होगी, जिसमें तकनीकी एवं वित्तीय निविदा की कार्यवाही uktenders.gov.in पर ही जायेगी।

ii. तकनीकी निविदा (Technical Bid) हेतु आवश्यक अनिलेख:-

(एक) आवेदक का आधार कार्ड/सतदाता पहचान पत्र की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड/सतदाता पहचान पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामले में कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रमुख निदेशक का Director Identification Number (DIN) के प्रमाण पत्र की प्रति तथा कोर्पोरेटिव सोसाइटी के सम्बन्ध में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव का आधार कार्ड/सतदाता पहचान पत्र की प्रति।

(दो) स्थायी निवास प्रमाण-पत्र।

(तीन) आवेदक का अद्यापधिक चरित्र प्रमाण पत्र, समिति के मामलों में समिति के अध्यक्ष/सचिव का चरित्र प्रमाण पत्र, फर्म के मामले में सभी भागीदारों का चरित्र प्रमाण पत्र एवं कम्पनी के मामले में इस आशय का शपथ पत्र कि कम्पनी को किसी अपराधिक याद में दण्डित नहीं किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहां आवेदक स्थायी रूप से निवास करता है।

(चार) आवेदक के बैंक खाते की प्रति।

(पांच) आवेदक के जी.एस.टी. नं० की प्रति।

(छ) बैंक खाते का विवरण, जिससे ई-नीलामी से सम्बन्धित समस्त वित्तीय हस्तान्तरण किया जायेगा, यथा बैंक व शाखा नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड तथा एक निरस्त चेक की प्रति।

(सात) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन अदेयता प्रमाण पत्र। जहां आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिष्कार धारित नहीं करता है, वहां इस आशय के शपथ पत्र की प्रति।

(आठ) कोर्पोरेटिव सोसाइटी के सम्बन्ध में कंपनी ऑफ रेज्यूटेशन के समस्त पृष्ठों की स्वप्रमाणित प्रति। भागीदारी फर्म के सम्बन्ध में भागीदारी विलेख एवं फर्म के पंजीकरण, कम्पनी के मामले में आर्टिकल आफ एसोसियेशन की प्रति।

(नौ) किसी भी राज्य में खनन सक्रियताओं की काली सूची में न होने सम्बन्धी शपथ पत्र।

(दस) आवेदक व उसके परिवार के विरुद्ध खनन देयता होने पर आवेदन अस्वीकार कर दिया जायेगा।

(ग्यारह) ई-नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु आवश्यक अन्य अनिलेख, शुल्क एवं धनराशि आदि:-

शुल्क:-ई-नीलामी में इच्छुक प्रतिभागी द्वारा नदी तल राजस्व/वन क्षेत्र खनन लॉट हेतु आवेदन रु० 1,00,000/- (रु० एक लाख मात्र) एवं नदी तल से निम्न राजस्व एवं वन भूमि के स्वस्थाने प्रकृति के उपखनिजों हेतु आवेदन शुल्क 05 है। क्षेत्रफल तक हेतु रु० 2.00 लाख तथा 5.00 है। से अधिक क्षेत्रफल हेतु रु० 5.00 लाख विभागीय मैनेजमेंट गेदवे अथवा ट्रेजरी बालान जैसा कि महानिदेशक/निदेशक द्वारा तत्समय निर्देशित किया जाये, के माध्यम से विभागीय लेखाशीर्षक में जमा कराकर बालान/रसीद की स्कैन प्रति तकनीकी निविदा के साथ तथा मूल प्रति भूतत्व एवं खनिकर्म

विभाग के जनपद कार्यालय में जमा करायी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व आवेदक का होगा। निर्धारित शुल्क विज्ञापित में प्रकाशित खनन लॉटवार पृथक-पृथक जमा किया जाना होगा।

1. धरोहर राशि (Earnest Money): किसी क्षेत्र के ई-नीलामी हेतु बिडर्स को बिड में भाग लेने हेतु Earnest Money जमा करना अनिवार्य होगा, जो निर्दिष्ट क्षेत्र के आधार मूल्य का 25 प्रतिशत होगी। धरोहर राशि (Earnest Money) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी एफ०डी०आर० के रूप में जमा करायी जायेगी, जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्ष निदेशालय के नाम एक वर्ष (01 वर्ष) की अवधि हेतु बन्धक की जायेगी तथा उक्त की छायाप्रति तकनीकी निविदा के साथ अपलॉड की जायेगी तथा मूलप्रति तकनीकी निविदा अपलॉड करने की अन्तिम तिथि से पूर्व मुख्यालय में जमा करायी जानी आवश्यक होगी। धरोहर राशि की मूल प्रति मुख्यालय में जमा न किये जाने की दशा में ऐसे आवेदन तकनीकी रूप से ग्राह्य नहीं होंगे।

आवेदक द्वारा धरोहर राशि के लिये स्वयं के खाते से ही एफ०डी०आर० बनवायी जानी होगी।

किसी उपखनिज लॉट के लिए विज्ञापन की पुनरावृत्ति होने पर धरोहर राशि के रूप में जमा एफ०डी०आर० की वैधता की अवधि को अद्यतन किये जाने का दायित्व आवेदक का होगा। पूर्व में जमा एफ०डी०आर० यदि कालातीत हो जाता है, तो ऐसा प्रतिभागी निविदाकार तत्काल प्रचलित ई-नीलामी प्रक्रिया हेतु बैंक नहीं माने जायेंगे व ऐसे आवेदकों के आवेदन अस्वीकार कर दिया जावेगा।

तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं के अतिरिक्त अन्य निविदादाताओं की धरोहर राशि के रूप में जमा की गयी एफ०डी०आर० वापस कर दी जायेगी।

2. हैसियत प्रमाण पत्र— जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गयी हैसियत प्रमाण पत्र या सम्पत्ति प्रमाण-पत्र या समाशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र (Solvency Certificate) जो आवेदित खनन क्षेत्र के आधार मूल्य से कम न हो।

या

यदि हैसियत प्रमाण-पत्र अद्यतन न हो तो इस शर्त के साथ अन्तरिम रूप से स्वीकार किया जायेगा कि आवेदक इसका शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि इस दौरान (हैसियत प्रमाण-पत्र की तिथि से अद्यतन) नीलामी बोलीदाता के द्वारा संलग्न हैसियत प्रमाण पत्र में अंकित चल/अचल सम्पत्ति का गिराव/हस्तांतरण नहीं किया गया है।

या

हैसियत प्रमाण पत्र के एवज में आवेदित खनन क्षेत्र के आधार मूल्य के बराबर की वनराशि का एफ०डी०आर० (राष्ट्रीयकृत बैंक) से बने हो न्यूनतम छः माह की अवधि के) जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्ष के नाम बंधक होगी, जमा कराये जा सकेंगे।

या

आवेदित खनन क्षेत्र के आधार मूल्य से यदि हैसियत प्रमाण पत्र की धनराशि कम है तो उक्त धनराशि के बराबर की धनराशि या एफ.डी.आर. (राष्ट्रीयकृत बैंक से बने हो, न्यूनतम छः माह की अवधि के) जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के नाम बंधक होने, जमा कराये जा सकेंगे।

26- ई-नीलामी द्वारा पट्टा दिया जाना:-

1. वित्तीय निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने एवं सफल बोलीदाताओं (M1 से M3 तक) की क्रमवार घोषणा किये जाने के उपरान्त सर्वप्रथम वित्तीय निविदा के सफल बोलीदाताओं में एच-1 बोलीदाता को उनके द्वारा प्रस्तुत उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर राशि (Earnest Money) के अतिरिक्त धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Money) के रूप में 15 कार्यदिवसों में एफडीआर के रूप में जमा करने का अवसर प्रदान किया जायेगा। एच-1 बोलीदाता द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत यदि उक्त धनराशि जमा नहीं करवाई जाती है तो सम्बन्धित की जमा अर्नैस्ट मनी को जब्त करत हुए उनके विरुद्ध नियम-23(2) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा कोटिक्रम में एच-2 बोलीदाता को एच-1 द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली पर खनन पट्टा लिये जाने तथा उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर धनराशि (Earnest Money) के अतिरिक्त धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Money) के रूप में 15 कार्यदिवसों में एफडीआर के रूप में जमा करने का अवसर प्रदान किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया कोटीकम में M3 तक अपनाई जायेगी। एच-3 द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत उक्तानुसार अनुपालन न किये जाने की दशा में ई-नीलामी की प्रक्रिया को समाप्त घोषित करते हुए पुनः ई-नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।
2. सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत अनिलेखों एवं उच्चतम बोली धनराशि की पच्चीस प्रतिशत धनराशि, प्रतिभूति धनराशि (Security Money) जमा कराये जाने पर महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के द्वारा सम्बन्धित के पक्ष में प्रस्तावित क्षेत्र का सीमाबन्धन विनिये जाने, खनन योजना तैयार कराने, पर्यावरणीय अनुमति, एनडीडब्ल्यूएल (यदि आवश्यक हो) की अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु नदी तल उपखनिज क्षेत्रों हेतु 08 (छ) माह की अवधि का एवं नदी तल से भिन्न राजस्व/का भूमि के स्वस्थाने प्रकृति के उपखनिजों हेतु 01 वर्ष की अवधि (जिसमें 08 माह की अवधि आवेदक के द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र में प्रोस्पेक्टिंग कार्य कराये जाने हेतु सम्मितित है) का "आशय पत्र (Letter of Intent)" निरगत किया जायेगा। निर्धारित समयवधि में आशयपत्र की अनुपालना न किये जाने पर आशयपत्र धारक के द्वारा आशय पत्र की अनुपालना में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में संतोषजनक कारण साक्ष्य सहित प्रस्तुत किये जाने पर आशय पत्र का अग्रतः 08 माह की अवधि हेतु नवीनीकरण महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा किया जायेगा।
परन्तु आशय पत्र धारक के द्वारा आशय पत्र की स्वीकृति से 02 वर्ष की अवधि तक आशय पत्र में उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों को पूर्ण न करने की दशा में सम्बन्धित आशय पत्र धारक से उच्चतम बोली का 05 प्रतिशत की धनराशि प्रतिवर्ष अतिरिक्त वसूल की जायेगी।
3. आशयपत्र धारक द्वारा विभाग में प्रेषित आशयपत्रों से खनन योजना तैयार कराकर तथा शुल्क रु० 50,000/- निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करते हुए संबंधित जगह के जिला खाण अधिकारी

- कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिला खान अधिकारी द्वारा उक्त खनन योजना को परीक्षण व सत्यापन के उपरान्त संसुत्री संहिता अनुमोदन हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को प्रेषित किया जायेगा तथा तदनुसार निदेशक द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त खनन योजना का अनुमोदन किया जायेगा।
4. आशयपत्र धारक के द्वारा आशय पत्र पर स्वीकृत खनन क्षेत्र हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2008 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति (Environmental Clearance), स्वीकृत क्षेत्र के राष्ट्रीय पार्क/सेन्सुरी के 10 कि0मी0 की परिधि के अन्तर्गत स्थित होने की दशा में एन0बी0डब्ल्यू0एल0 (National Board of Wild Life) की अनुमति एवं वन भूमि होने पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन वन भूमि हस्तान्तरण संबंधी अनुमति (Forest Clearance), नदी तल से निम्न सफर/वन भूमि में अवस्थित उपखनिजों के सम्बन्ध में प्रोस्पेक्टिंग रिपोर्ट एवं अन्य नाशित अनुमतियां व मानक, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायें, प्राप्त की जायेगी।
 5. शासन, मा0 न्यायालयों एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश बध्यकारी होंगे।
 6. सफल बोलीदाता द्वारा खनन पट्टा के संबंध में की जा रही कार्यवाही के दौरान आकारिमक निषेध अथवा गम्भीर आह्वान होने की दशा में अपेक्षित कार्यवाही उनके विधिक वारिस द्वारा की जा सकेगी।
 7. आशयपत्र धारक के जलवायु चिन्ता के अन्य प्रतिगणियों (जस्त सुदा को छोड़कर) की प्री-बीड अर्नेस्ट मनी वापिस कर दी जायेगी।
 8. आशयपत्र में उल्लिखित समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करने के उपरान्त आशयपत्र धारक द्वारा समस्त अभिलेख निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के पोर्टल पर ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यालय में जमा कराया जायेगा तथा महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की ऑनलाइन/ऑफलाइन संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा स्वीकृत किया जायेगा।
 9. अन्य मानक व शर्तें, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाव, लागू होंगी।

क- पट्टा विलेख का निष्पादन :-

1. राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा स्वीकृति संबंधी आदेश जारी होने के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा विलेख निष्पादन से पूर्व वार्षिक नीलामी पट्टा धनराशि की पच्चीस प्रतिशत धनराशि के साक्ष्य पूर्व में प्रतिभूति धनराशि (Security Money) के रूप में जमा एन0डी0आर0 को विद्यार्गीय लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा, जिसका समायोजन पट्टे के अन्तिम वर्ष में वार्षिक पट्टा धनराशि के साक्ष्य किया जायेगा। नदी तल अवस्थित उपखनिजों के सम्बन्ध में महानिदेशक द्वारा जिला सपनिबन्धक द्वारा सूचित स्टाम्प शुल्क के आधार पर पट्टा विलेख निर्धारित प्रपत्र एम0एम0-6 में निष्पादित किया जायेगा एवं नदी तल से निम्न सफर/वन भूमि में अवस्थित स्वस्थानों किस्म के उपखनिजों का पट्टा विलेख महानिदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा निष्पादित किया जायेगा। पट्टाधारक द्वारा उक्त खनन पट्टा विलेख का फंजीकरण सम्बन्धित जनपद के जिला सपनिबन्धक अधिकारी से कराया जायेगा। पट्टाविलेख के फंजीकरण के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा उसकी एक-एक प्रती निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, संबंधित जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी कार्यालय को एक सप्ताह के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जायेगी।

2. पट्टे की अवधि की संगणना- स्वीकृत खनन/चुगान पट्टों की पट्टावधि की संगणना पट्टा विलेख निष्पादन के उपरान्त पंजीकरण की तिथि से नदीतल स्थित राजस्व/वन भूमि से अतिरिक्त उपखनिजों के खनन पट्टों हेतु अग्रेत्तर 05 वर्ष की अवधि एवं 05 हे० से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे 10 वर्ष की अवधि के लिये तथा स्वस्थाने प्रकृति के उपखनिज के खनन क्षेत्र हेतु 25 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किये जायेंगे।

परन्तु पूर्व के ई-निविदा सह ई-नीलामी से स्वीकृत ऐसे खनन पट्टे, जिनकी पट्टावधि की गणना आराय मंत्र (Letter of Intent) की तिथि से की गयी है, की पट्टावधि की गणना पट्टा विलेख के निष्पादन के पंजीकरण की तिथि से अग्रेत्तर 05 वर्ष हेतु की जायेंगी। उक्त प्राविधान मात्र उक्त खनन पट्टों पर ही लागू होगा, जिनकी समायावधि दिनांक 31.12.2023 तक अवशेष है।

3. पूर्व में ई-निविदा सह ई-नीलामी से स्वीकृत खनन पट्टों हेतु सफल निविदादाता धनराशि (ई-नीलामी बोली का 10 प्रतिशत) एवं प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि (ई-नीलामी बोली का 10 प्रतिशत) एवं आशयात्र के अग्रेत्तर वर्ष के नवीनीकरण हेतु जमा 20 प्रतिशत धनराशि को उक्त खनन पट्टों की अग्रेत्तर वर्षों की पट्टा धनराशि के सामेक समायोजित किया जा सकेगा।
4. यदि नदी तल स्थित राजस्व/वन भूमि में बालू या मौरंग या बजरी या बोल्टर या इनमें से कोई भी मिली-जुली अवस्था में हो, के लिये खनन पट्टा दिये जाने के आदेश दे दिया हो, वहां उच्च बोली की धनराशि या पच्चीस प्रतिशत, आदेश के दिनांक के सात दिन के भीतर या सात दिन से अनधिक ऐसी अग्रेत्तर अवधि के भीतर जैसी निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय अनुमति करें, जमा कर दी जायेगी और प्रपत्र एम0एम0-6 में या लगभग उसके समान प्रपत्र में, जैसा प्रत्येक मामले के परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, एक पट्टा विलेख उक्त आदेश की संसूचना के दिनांक से एक माह के भीतर या ऐसी अग्रेत्तर अवधि के भीतर, जैसी निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय तदर्थ अनुमति करें, निष्पादित कर दिया जायेगा।

परन्तु यदि नदी तल से निम्न राजस्व/वन भूमि में स्वस्थाने प्रकृति के उपखनिजों सोफस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैसाईट, डोलोमाईट, स्लैट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के लिये खनन पट्टा दिये जाने के आदेश दे दिया हो, वहां उच्च बोली की धनराशि या पच्चीस प्रतिशत, आदेश के दिनांक के सात दिन के भीतर या सात दिन से अनधिक ऐसी अग्रेत्तर अवधि के भीतर, जैसी राज्य सरकार/शासन अनुमति करें जमा कर दी जायेगी और प्रपत्र एम0एम0-6 में या लगभग उसके समान प्रपत्र में, जैसा प्रत्येक मामले के परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, एक पट्टा विलेख उक्त आदेश के संसूचना की दिनांक से एक माह के भीतर या ऐसी अग्रेत्तर अवधि के भीतर, जैसी जैसी राज्य सरकार/शासन तदर्थ अनुमति करें, निष्पादित कर दिया जायेगा।

27. पट्टा का रजिस्टर :

1. खनन पट्टों का एक रजिस्टर जिला अधिकारी एवं जिला खान अधिकारी के कार्यालय में प्रपत्र एम0एम0-7 में रखा जायेगा और उसकी एक प्रतिलिपि जिला खान अधिकारी द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को भेजी जायेगी।

अध्याय-5
खनन पट्टे की शर्तें

28- इस अध्याय में उल्लिखित शर्तें सभी पट्टों में लागू होंगी :

- (1) प्रत्येक खनन पट्टा इस अध्याय में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा, जिन्हें इस निम्नावली के अधीन दिये गये खनन पट्टे में समाविष्ट कर लिया गया समझा जायेगा।

29- खन्य खनिजों की खोज :

- (1) पट्टेदार, पट्टे पर दिये गये क्षेत्र में किसी ऐसे खनिज की सूचना, जो पट्टे में निर्दिष्ट न हो, राज्य सरकार को तबत खोज के दिनांक से तीस दिन के भीतर देगा।
- (2) यदि पट्टे पर दिये गये क्षेत्र में किसी ऐसे खनिज का पता चल जाये, जो पट्टे में निर्दिष्ट न हो, तो पट्टेदार खनिज को तब तक लब्ध (win) और उसका निस्तारण नहीं करेगा, जब तक कि उसको लिये पृथक् पट्टा न ले लिया जाये।

30- विदेशी राष्ट्रिक सेवायोजित नहीं किया जायेगा :-

राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना पट्टेदार खनन संक्रियाओं के सम्बन्ध में किसी ऐसे व्यक्ति को सेवायुक्त नहीं करेगा, जो भारतीय राष्ट्रिक न हो।

31- खनन संक्रियाओं एक माह के भीतर प्रारम्भ होगी :-

- (1) सिवाय उस दशा में जब राज्य सरकार पर्याप्त कारणों से अन्यथा अनुमति दे, पट्टेदार पट्टा विलेख के निष्पादन व उपनिबन्धक द्वारा विलेख के निबन्धन के दिनांक से एक माह के भीतर खनन संक्रियाएँ प्रारम्भ और तत्पश्चात जानबूझकर आंतरायनिक (इंटरमिशन) किये बिना ऐसी संक्रियाओं का संवाहन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से तथा कुशल कारीगर की भाँति करेगा।
- (2) नदी तल उपखनिज क्षेत्रों एवं स्वस्थान चट्टान विस्म के खनिज निक्षेप के सम्बन्ध में खनन संक्रियाएँ, निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित योजना के अनुसार, जिसमें वार्षिक विकास योजनाओं का ध्यान होगा, की जायेगी।
- (3) उपनियम (2) में अभिविष्ट खनन योजना खान और खनिज (विनियम और विनियम) अधिनियम, 1957 के अधीन बनाये गये खनिज शिपयत नियमावली 1962 के उपबंधों के अन्तर्गत अर्हता रखने वाले भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में पंजीकृत आरक्षणपूषी (Registered Qualified Person) द्वारा तैयार की जायेगी।
- (4) पट्टेदार आरक्षणपूषी द्वारा तैयार किये गये खनन योजना की 04 प्रतियाँ अनुमोदन हेतु सम्बन्धित जिला खान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा एवं जिला खान अधिकारी के द्वारा खनन योजना का परीक्षण एवं सत्यापन किये जाने के उपरान्त 15 दिवस के भीतर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को प्रेषित की जायेगी। निदेशक के द्वारा खनन योजना की प्राप्ति के दिनांक से एक माह के भीतर उसे अनुमोदित कर सकता है, उपान्तरित कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है। नदी तल, नदी तल

से लगे क्षेत्रों में बासु, रजरी, बोलवर (आरबीवएम) से सम्बन्धित उपखनिज के खनन पट्टों एवं स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्ट्जाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टों की खनन योजना अनुमोदन हेतु शुल्क रु0 50,000/- देय होगा, जो कि निर्धारित विद्युतीय लेखा शीटों में जमा कराया जायेगा।

- (6) Registered Qualified personnel (RQP) के द्वारा खनन योजना में निकाली किये जाने वाले खनिज की मात्रा तथा उचित खनिज का तकनीकी एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से खनन संक्रियाएँ संचालित किये जाने की विधि का वर्णन निहित होगा। खनन योजना में खनन क्षेत्र के डी0जी0पी0एस0 कोर्डिनेट्स का वर्णन व जियोरेफरेंस रुड खसरा मानचित्र पर अंकन किया जाना होगा तथा खनन क्षेत्र में स्नाहित यथा स्थिति राजस्व भूमि व वन भूमि का क्षेत्रफल वार राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित वर्णन संलग्न किया जाना होगा। इससे अतिरिक्त खनन योजना में पांच सौ मीटर की परिधि में आने वाले सभी स्वीकृत खनन लॉटों, सार्वजनिक स्थलों, समीपस्थ पुलों को प्रदर्शित करता 1:10,000 का सैटेलाईट मानचित्र संलग्न करना होगा, जिसमें नदी की अद्यतन सीमा स्पष्ट रूप से चिह्नित हो तथा नदी के दोनों किनारों से निर्धारित दूरी छोड़ते हुए चिह्नित किया गया खनन योग्य क्षेत्रफल स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो। किसी भी खनन क्षेत्र के कोनों के डी0जी0पी0एस0 कोर्डिनेट्स आवश्यक रूप से अभिलिखित होंगे व बड़े खनन क्षेत्रों की दशा में प्रत्येक सौ मीटर की दूरी पर डी0जी0पी0एस0 कोर्डिनेट्स अंकित किये जाने होंगे। राजस्व एवं सैटेलाईट मानचित्र पर वथास्थिति राजस्व, वन भूमि एवं निजी नाप भूमि को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना होगा। समस्त मानचित्रों की डिजिटल प्रति भी प्रेषित की जानी होगी।
- (6) स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्ट्जाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टों से सम्बन्धित अनुमोदित स्कीम ऑफ माइनिंग की अवधि समाप्त होने से 03 माह पूर्व तक स्कीम ऑफ माइनिंग निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्मा निदेशालय को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी तथा यदि अनुमोदित अवधि व्यतीत हो गई हो तो उन खानों को तत्काल बन्द कर दिया जाये। जिला खान अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी खदान खनन योजना अनुमोदन के बिना संचालित न हो।
- (7) स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्ट्जाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टाधारकों को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्मा निदेशालय के पक्ष में बैंक गारन्टी रु0 2.00 लाख (दो लाख) 5.00 है0 क्षेत्रफल तक के खनन पट्टों हेतु तथा 5.00 है0 से अधिक के खनन पट्टों हेतु रु0 5.00 लाख (समस्त पांच लाख) खनन योजना, खनन स्कीम एवं उत्तरोत्तर खान बन्दी योजना की शर्तों की अनुपालना लागू किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्मा के पक्ष में 05 वर्ष की अवधि हेतु तैयार कर प्रस्तुत की जायेगी।
- (8) स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्ट्जाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत निरन्तर 02 वर्ष तक खनन शर्त बंद रहने की दशा में खनन पट्टा स्वतः समाप्त (Deemed to be lapsed) की श्रेणी में समझा जायेगा तथा ऐसे खनन पट्टाधारकों को सुनवाई वग युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करते हुए जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्मा द्वारा निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

32- सीमा चिन्ह खड़ा करना और उत्सर्जन अनुक्षण :-

पट्टेदार पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र का सर्वेक्षण और शीमांकन के पश्चात् और पट्टा विलेख निष्पादित करने के पूर्व अपने स्वयं के व्यय पर ऐसा सीमा चिन्ह और खम्भे वगैरे लगायेगा, जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने के लिये आवश्यक हो और उनका सदैव अनुक्षण करेगा और अच्छी दशा में रखेगा तथा प्रत्येक वर्षिकाल के उपरान्त प्रतिवस्त सीमास्तम्भों को पुनः स्थापित करेगा।

33- खनिजों का ठीक-ठीक लेखा रखना :-

पट्टेदार खनिजों का ठीक-ठीक लेखा रखेगा, जिसमें वह खान (Mine) से प्राप्त तथा भेजे गये सभी खनिजों की मात्रा तथा अन्य विवरण देगा और साथ ही परिवहन की प्रणाली वाहन का निबन्ध (रजिस्ट्रेशन) संख्या, वाहन या पशु का प्रभारी व्यक्ति तथा दिये गये खनिज का प्रकार और मात्रा, खनिज की सभी बिक्री के मूल्य तथा समस्त अन्य विवरण, उसमें सेवा युक्त व्यक्तियों की संख्या और राष्ट्रीयता तथा खान के पूरे नक्शे देगा और केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी को किसी समय उसमें (पट्टेदार) द्वारा रखे गये किन्हीं लेखों, नक्शों और अभिलेखों का परीक्षण करने की अनुमति देगा और केन्द्रीय या राज्य सरकार को ऐसी समस्त सूचना तथा विवरणियां देगा, जो केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा उसमें से किसी के द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी अपेक्षा करे।

34- खाइयों, गडदों आदि का अभिलेख रखना :-

पट्टेदार, पट्टे के अधीन अपने द्वारा की गयी खनन सक्रियताओं के दौरान में अपने द्वारा खोदी गयी खाइयों, गडदों और बरमा में बनाये गये सुराखों (Drillings) का ठीक-ठीक अभिलेख रखेगा और केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को उनका निरीक्षण करने की अनुमति देगा। ऐसे अभिलेखों में निम्नलिखित विवरण होंगे, अर्थात्

- (क) वह अधोभूमि (Sub soil) और भूगर्भ स्तर (strata), जिसमें होकर किसी ऐसी खाईयां गडदे खोदे जायें या बरमों से सुराख किये जायें।
- (ख) कोई खनिज जो प्राप्त हो।
- (ग) ऐसे अन्य विवरण, जिसकी केन्द्रीय या राज्य सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे।

35- पट्टेदार द्वारा मजबूत करना, टैक आदि लगाना :-

पट्टेदार यथास्थिति संबद्ध रेलवे प्रशासन या राज्य सरकार के संतोषानुसार खान के किसी ऐसे भाग को मजबूत करेगा और उसमें टैक लगावेगा (strengthen & support), जिसे ऐसे प्रशासन या सरकार की राय में किसी रेल, जलाशय (reservoir), नहर (canal), सड़क (road) या किसी अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्य या नदियों की सुरक्षा के लिये इस प्रकार मजबूत करना या उसमें टैक लगाना आवश्यक हो।

36- अग्रक्रयाधिकार (हकशक) :-

- (1) राज्य सरकार को सदा ऐसी भूमि, जिसके सम्बन्ध में पट्टा दिया गया हो, से लब्ध खनिजों या खनिजों के उत्पादन का अग्रक्रयाधिकार (right of pre-emption) होगा, जिस मूल्य का भुगतान किया जायेगा, वह अग्रक्रयाधिकार के समय प्रचलित उचित बाजार मूल्य होगा।

- (2) उक्त मूल्य निकालने में सहायता देने के लिये पट्टेदार यदि उस से ऐसी अपेक्षा की जाय तो राज्य सरकार को उसकी गोपनीय सूचना के लिये अन्य ग्राहकों को बेचे गये ऐसे खनिजों या सन्तों उत्पादनों तथा उन्हें बोलने के लिये अधिकतर पत्रों का विवरण और मूल्य प्रस्तुत करेगा।

37-पट्टेदारों की स्वतंत्रता, अधिकार और विशेषाधिकार :-

नियम 38 में उल्लिखित निश्चयन और शर्तों के अधीन रहते हुये, इस नियमावली के अधीन खनन पट्टा धारण करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित के सम्बन्ध में स्वतंत्रता अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे-

- (क) पट्टे में उल्लिखित भूमि पर प्रवेश करना और खनिज की खोज करना, उस खनिज को विशुद्ध लिये पट्टा हो, वेधन करना (bore) उसे खोदना, उनमें बरों द्वारा सुराग करना (drill) या उसे लम्ब करना, उस पर काम करना, उसका प्रशासन (Dress) करना, उसकी प्रक्रिया करना, उसे बदलना, उसे ले जाना और उसका निस्तारण करना।
- (ख) उक्त भूमि में कोई गड्ढा खोदना, कूपक (Shafts), ढाल (Inclines), पशुमार्ग (Drifts), समतल जलमार्ग (Water ways) बनाना या अन्य निर्माण कार्य करना।
- (ग) भूमि पर कोई मशीन, संयंत्र स्थापित करना, प्रशासन करना, फर्श बिछाना, भट्टिया बनाना, ईट गट्टे लगाना, कर्मशालाये, माल गोदाम और उसी प्रकार के अन्य भवनों का निर्माण करना।
- (घ) उक्त भूमि पर सड़क तथा अन्य सारतें बनाना और उनका उपयोग करना और उन पर आवागमन करना। यदि स्वीकृत खनन क्षेत्र के अन्तर्गत कोई गूल/नाला/मार्ग के कारण खनन कार्य प्रभावित होता है तो स्वीकृत क्षेत्रान्तर्गत ही उक्त स्थानों की प्रतिस्थानी व्यवस्था शर्तों के ध्य पर कर सकता है। स्वीकृत खनन क्षेत्र तक पहुंच मार्ग/छच्चा मार्ग का निर्माण राज्य सरकार की भूमि में अपने स्वयं के ध्य पर कर सकता है।
- (ङ) पत्थर खोदना (to quarry) और पत्थर की बजरी (stone gravel) तथा अन्य सपन और सड़क सम्बन्धी सामान्य तथा मृदा तैयार करना और उसका उपयोग करना और ऐसे ईंटों या खपरैल निर्मित करना और ऐसी मृदा से ईंटों या खपरैलों का प्रयोग करना, किन्तु ऐसे सामान ईट या खपरैलो (tiles) को बिना अनुमति न बेचना।
- (च) उक्त भूमि की सतह पर पर्याप्त भाग का खानों के लिये किसी उत्पादन या किये गये कार्यों और औजारों (tools), साज्जा (equipment) मिट्टी तथा सामानों और खोदे गये या निचाले गये पदार्थों का संग्रहण या जमा करने के प्रयोजन के लिये उपयोग करना और
- (छ) अन्य व्यक्तियों के वर्तमान अधिकारों के अधीन रहते हुये और नियम 38 के खण्ड (घ) में की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुये झाड़ियों (under growth) और घनी झाड़ी को साफ करना तथा उक्त भूमि पर खड़े या पाये गये वृक्षों या इमारती लकड़ी वृक्षों का गिराना और उसका उपयोग करना। बसने वाला अधिकारी पट्टेदार को उसके (पट्टेदार) द्वारा गिराये गये और उपयोग में लाये गये किन्हीं वृक्षों या इमारती लकड़ियों का उक्त दरों पर भुगतान करने के लिए कह सकता है, जो जिला अधिकारी द्वारा उनके बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुये निर्धारित की जाय।

अ- पट्टेदार की स्वतन्त्रता, अधिकार और विशेषाधिकार के प्रयोग के सम्बन्ध में निर्दिष्ट एवं शर्तों :-

पट्टेदार नियम 37 में उल्लिखित स्वतन्त्रता, अधिकार और विशेषाधिकार का प्रयोग निम्नलिखित निर्दिष्टियों एवं शर्तों के अधीन रहते हुये करेगा :-

- (क) निम्नलिखित स्थानों पर न कोई चीज खड़ी या स्थापित की जायेगी और न कोई सतह संक्रियाओं की जायेगी।
 - (1) किसी सार्वजनिक स्थल, शमशान अथवा कब्रिस्तान या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र माने जाने वाला कोई स्थान या मकान अथवा ग्राम-स्थल, सार्वजनिक सड़क या कोई अन्य स्थान, जो जिला अधिकारी द्वारा सार्वजनिक स्थान घोषित किया जाये
 - (2) ऐसी रीति से न तो कोई चीज खड़ी या स्थापित की जायेगी और न कोई सतह संक्रियाये की जायेगी, जिससे किसी भवन निर्माण कार्य, सम्पत्ति या अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को क्षति पहुँचे अथवा उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (ख) पट्टे में असम्बलित निर्माण कार्यो या प्रयोजनों के निमित्त कोई ऐसी भूमि, सतह संक्रियाओं के लिये प्रयुक्त न की जायेगी, जो राज्य सरकार से निम्न व्यक्तियों के दखल से पहले से ही हो।
- (ग) किसी भी मार्ग, कुआँ या तालाब का उपयोग करने के अधिकार पर हस्तक्षेप न किया जायेगा।
- (घ) प्रांतीय वन अधिकारी (Divisional Forest Officer) की लिखित पूर्ण स्वीकृति के बिना न तो किसी आरक्षित (reserved) सुरक्षित या निहित वन में प्रवेश किया जायेगा और न ही उक्त अधिकारी की लिखित स्वीकृति प्राप्त किये बिना और न ऐसी शर्तों के विपरीत, जो राज्य सरकार तदर्थ आरंभित करे, किसी इमारती लकड़ी या वृक्षों को गिराया, काटा या उनका उपयोग किया जायेगा।
- (ङ) सम्बद्ध रेलवे प्रशासन की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी रेलवे लाइन से या जिला अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्रतिकृत किसी अन्य अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी जलाशय (reservoir), नहर या अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्य जैसे सार्वजनिक सड़कों या भवनों या निवासित स्थल (In-habited site) से और ऐसे अनुदेशों तथा शर्तों के विपरीत चाहे वे सामान्य या विशेष हो, जो ऐसी अनुमति में दी जाय, 50 मीटर की दूरी के भीतर किसी स्थान (point) पर या किसी स्थल तक कोई खनन संक्रियाये न की जायेगी। रेलवे, जलाशय, नहर या सड़क की दशा में 50 मीटर की उक्त दूरी, यथास्थिति, किनारे (bank) के बाहरी जिहवांग (toe) या कटाई (cutting) के बाहरी कोर (edge) से क्षितिजरूप (horizontally) से और भवन की दशा में उखाड़ी छुर्ली (plinth) से क्षितिजरूप से मानी जायेगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ग्राम सड़क की दशा में यह कटाई के बाहरी कोर से 10 मीटर होगी।

स्पष्टीकरण :- इस उप नियम के प्रयोजनों के लिये इस "सार्वजनिक सड़क" का तात्पर्य ऐसी सड़क से होगा जो कृत्रिम रूप से समतल किये जाने के पश्चात् बनाई गई हो और जो निरन्तर प्रयोग के परिणामस्वरूप बने पथ (track) से भिन्न हो और ग्राम-सड़क के अन्तर्गत कोई ऐसा पथ होगा, जो राजस्व अधिलेख में ग्राम-सड़क के रूप में किया गया हो।

- (iv) किसी ऐसी भूमि के सम्बन्ध में जो पट्टेदार द्वारा धृत भूमि में समाविष्ट हो या उससे आसन्न हो या उससे अभिगम्य हो, सरकारी पट्टे या अनुज्ञा-पत्र के बर्तमान या भावी धारकों को वहां आने-जाने की समुचित सुविधाएँ दी जाएँगी। यदि इस सतत-रक्षा का प्रयोग करने के कारण ऐसे पट्टेदारियों या अनुज्ञापत्रधारियों द्वारा कोई हानि या क्षति पहुँचाई जाय तो ऐसे पट्टेदारों या अनुज्ञापत्रधारी द्वारा पट्टेदार को उसके लिये उचित प्रतिकर (जो परस्पर सहमति द्वारा तय हो जसहमति होने की दशा में, जो सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्णित किया जाये) देय होगा। स्वस्थाने चट्टानों में पट्टेदारक एवं भू-स्वामी की आपसी सहमति से खनन कार्य किया जायेगा। यदि भू-स्वामी द्वारा एक बार किसी निश्चित अवधि के लिए खनन कार्य किये जाने की सहमति हेतु अनुबन्ध किया गया है तो उक्त अवधि में दो गयी सहमति को वापस नहीं ले सकेंगा एवं अनुबन्ध के नवीनीकरण के समय पट्टेदारक एवं भू-स्वामी के मध्य सहमति नहीं बन पाती है तो ऐसी स्थिति में पट्टेदारक द्वारा भूस्वामी की सम्बन्धित भूमि को समतल कर फसली मुआवजा प्रतिवर्ष भूस्वामी को देना होगा ताकि खनन कार्य प्रभावित न हों। पट्टेदारक एवं भू-स्वामियों के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारी आर्बिटेटर होंगे तथा उनका निर्णय अन्तिम होगा।
- (v) पट्टेदार के द्वारा नदी तल में स्वीकृत खनन क्षेत्रों में खनन/चुगान कार्य सतह से अधिकतम 03 मी० की गहराई तक अथवा भू-जल स्तर, जो भी कम हो, तक किया जायेगा।

39- सभी दावों के विरुद्ध पट्टेदार सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा :-

पट्टेदार सभी हानि या विक्षेप के लिये, जो पट्टे द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करने में उसके द्वारा की गयी हों, भुगतान करने की प्रत्याभूति (guarantee) देगा और ऐसे समुचित प्रतिकर का भुगतान करेगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाये और उन सभी दावों, दावों तथा मांगों और उनके प्रति जो किसी ऐसी हानि, क्षति या विक्षेप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा की जायेगी या लायी जाये और उनके सम्बन्ध में सभी परिवर्षों को राज्य सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा पूर्णतया क्षतिपूर्ति करता रहेगा।

40- पट्टेदार गड़्ढो, कूपकों आदि को सुरक्षित और अच्छी दशा में रखेगा :-

पट्टेदार पट्टे की अवधि में ऐसे सभी गड़्ढो, कूपणों (shafts), और कार्यकरणों (workings) को, जो भूमि बनाये जाये या प्रयुक्त किये जाये, इमारती लकड़ी या अन्य स्थायी उपकरणों से पर्याप्त रूप से सुरक्षित और खुला रखेगा और राज्य सरकार के संतोक्तनुसार प्रत्येक ऐसे गड़्ढे, कूपक या कार्यकरण के चारों ओर, चाहे वह परित्यक्त कर दिया गया हो या नहीं, पर्याप्त रूप से बाड़े लगायेगा और उनका अनुसूक्षण करेगा और उसी अवधि में भूमि पर के सभी कार्यकरणों को सिफाय उनके, जो परित्यक्त किये जायें, प्रवेश और यथासंभव जल एवं दूषित वायु से मुक्त रखेगा।

41- पट्टेदार, कार्यकरणों के निरीक्षण की अनुमति देगा :

पट्टेदार, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी को भू-गृह दिनांक से, जिसके अन्तर्गत पट्टे में समाविष्ट कोई भवन, उत्खनन या भूमि भी है, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण करने और उसके नक्शे (plan) बनाने, न्यादर्शन (sampling) और कोई आधार सामग्री एकत्र करने के प्रयोजन के

लिप्त प्रवेश करने की अनुमति देगा और पट्टेदार ऐसे उपयुक्त व्यक्ति के साथ, जो पट्टेदार द्वारा संवायोजित किया गया हो तथा जो खानों और खनिजों से परिचित हो, उक्त अधिकारी, अभिकर्ताओं, सेवकों और कर्मचारी (workmen) को प्रत्येक ऐसे निरीक्षण करने में सहायपूर्ण रूप से सहायता देगा और उन्हे खानों की कार्यप्रणाली (working) से संबंध सभी सुविधायें व सूचना देगा, जिनकी वे उचित रूप में अपेक्षा करें और ऐसी सभी बाधाओं तथा विनिश्चयों के अन्वय में कार्य भी करेगा और उनका पालन करेगा, जिन्हे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण के फलस्वरूप या अन्य प्रकार से समय-समय पर देना या बनाना उचित समझे।

42- पट्टेदार, दुर्घटना का प्रतिवेदन देगा :-

पट्टेदार अविलम्ब जिला अधिकारी एवं जिला खान अधिकारियों को प्रत्येक ऐसी दुर्घटना का प्रतिवेदन भेजेगा, जो पट्टे के अधीन किन्हीं संक्रियाओं के दौरान हो जाये और जिसके कारण मृत्यु हो जाये या गंभीर शारीरिक चोट पहुँचे या सम्पत्ति को गंभीर क्षति पहुँचे या जिससे जीवन या सम्पत्ति पर गंभीर प्रभाव पड़े या वह संकट में पड़ जाये।

43- पट्टेदार आधुनिक ढील मशीन एवं सी०सी०टी०वी० कैमरा आदि की व्यवस्था करेगा :-

(क) पट्टाधारक के द्वारा चुगान/खनन पट्टा क्षेत्र के गेट पर कम्प्यूटाइज्ड धर्मकांटा एवं वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिये स्वयं के व्यय पर 300 डिग्रीकोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य आधुनिक आई०पी० वेरिड सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाने सहित चैक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चैक पोस्ट/गेट पर आर०एफ० आई०डी० स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक यान के सापेक्ष निर्गत विद्ये गये ई-रवना फ़ॉर्म एम्०एम०-11 पर अंकित बारकोड का डाटा पढ़ने व सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख-रखाव करेगा एवं राद्दय चले जाने तक अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी०सी०टी०वी० कैमरे और आर०एफ०आई०डी० स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम-88 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्डिंग मागे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा। पट्टाधारक द्वारा उक्त के अनुपालन के सम्बन्ध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ख) पट्टेदार/अनुज्ञापत्र धारक के द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्र के प्रवेश/निकासी गेट पर स्वीकृत खनन क्षेत्र का पूर्ण विवरण तथा पट्टाधारक का नाम एवं पता, सम्पर्क/दूरभाष नम्बर, स्वीकृत क्षेत्रफल, स्वीकृति आदेश की संख्या एवं दिनांक, स्वीकृत पट्टावधि, खनिज का प्रकार, प्रतिवर्ष निकासी की स्वीकृत मात्रा एवं खनिज पर खनिज के विषय मूल्य की दर को प्रदर्शित करेगा।

44- उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति:

पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र में खनन संक्रियाओं हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to establish एवं Consent to operate की अनुमति प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।

45- पट्टाधारक द्वारा पर्यावरणीय अनुमति (Environment Clearance), वन अनापत्ति (यदि लागू हो), एन०बी०डब्ल्यू०एल० की अनुमति (यदि लागू हो),

खनन योजना में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों, मा० न्यायालयों, केंद्र/राज्य सरकार द्वारा समझ-समझ पर निर्गत आदेशों/दिशा-निर्देशों के अधीन खनन संक्रियाएँ सम्पादित की जायेंगी।

46- पट्टेदार कोई भी अतिरिक्त आवश्यक धनराशि जमा करेगा :-

जब कभी प्रतिभूति जमा या कोई भाग या उसकी पूर्ति में राज्य सरकार के पास जमा की गई कोई अतिरिक्त धनराशि इस नियमावली द्वारा विधे गये अधिकार के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा जब्त कर ली जाये या प्रस्तुत की जाये, तो पट्टेदार राज्य सरकार के पास ऐसी और धनराशि जमा करेगा, जो ऐसी जखी या प्रस्तुत के कारण हुई कमी को पूरा करने के लिये आवश्यक हो।

47- सरकार द्वारा किये गये व्ययों की वसूली :-

यदि कोई निर्माण या विषय, जो इस नियमावली के अनुसार पट्टेदार द्वारा कार्यान्वित या संपादित किये जाने वाले हो, उच्य निर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्यान्वित या संपादित करा सकती है और पट्टेदार के मांगने पर राज्य सरकार को उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा किये गये सभी व्ययों का भुगतान करेगा। ऐसे व्ययों के सम्बन्ध में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

48- जमा प्रतिभूति को वापस किया जाना :-

खनन पट्टे की समाप्ति के पश्चात राज्य सरकार के पास जमा पड़ी हुई प्रतिभूति की धनराशि जो इस नियमावली में उल्लिखित किन्ही भी प्रयोजनों में प्रयुक्त किये जाने के लिये अधेक्षित न हो, सत्कारणतया पट्टे की समाप्ति के दिनांक से छः मास की अवधि के भीतर पट्टेदार को वापस कर दी जायेगी।

49- सार्वजनिक स्थल, नदी पर निर्मित पुल, नदी के किनारे आदि से सुरक्षित दूरी:-

क- राज्य के वन नदी क्षेत्रों में नदी की कुल चौड़ाई का दोनों किनारों से एक चौथाई भाग छोड़कर तथा राजस्व/निजी नाप भूमि के नदी तल उपखनिज क्षेत्रों में नदी की कुल चौड़ाई का दोनों किनारों से 15-15 प्रतिशत भाग अथवा न्यूनतम 10 मी० छोड़कर उपखनिज का भुगतान कार्य किया जायेगा।

ख- शमशान, सार्वजनिक स्थल आदि से 50 मी० की दूरी को प्रतिबन्धित करते हुये उपखनिज का भुगतान कार्य अनुमत गहराई तक किया जायेगा।

ग- नदी पुल के अपस्ट्रीम तथा डाउन स्ट्रीम में 100 मी० की दूरी तक अथवा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निर्धारित दूरी के अन्तर्गत भुगतान कार्य प्रतिबन्धित होगा।

50 - खनन पट्टा हेतु अतिरिक्त शर्तें:-

1. भुगतान पट्टा क्षेत्रों से निकारी किये गये उपखनिज की मात्रा का आगमन आयतन (Volume) में न करके भार (Weight) के अनुसार किया जायेगा।
2. भुगतान पट्टा क्षेत्रों से खनिजों के परिवहन हेतु उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों का पंजीकरण भूतत्प एवं खनिज निदेशालय में करवा जाना अनिवार्य होगा, जिस हेतु यदि राज्य सरकार के द्वारा कोई भूतत्प

निर्धारित किया जाता है तो वह खनन स्वामी को प्राप्त होगा।

3. प्रत्येक पट्टाधारक/अनुज्ञापत्र धारक को चुगान कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शण्डिज्यकर विभाग एवं मूलतः एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपद स्तरीय कार्यालयों में पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
4. स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्ट्जाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टों से उत्खनित कर विद्युत की गई उपखनिज की मात्रा पर दैन्य रायल्टी धनराशि का आंगणन किया जायेगा। खनन योजना से निर्धारित वार्षिक निकासी की मात्रा से 50 प्रतिशत से कम उत्पादन होने की दशा में पट्टाधारक को इस सम्बन्ध में लिखित रूप से कारणों का उल्लेख कर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को सूचित करना अनिवार्य होगा।
5. राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्ट्जाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के आशय पत्र पर स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रों में खनिज सम्पदा के भण्डार की मात्रा एवं गुणवत्ता का आंगणन पूर्ववत् की भाँति Pitting & Trenching के माध्यम से किया जा सकेगा। खनन पट्टा आशयपत्रधारक को खनन पट्टा क्षेत्रों में खनिज सम्पदा के भण्डार की मात्रा एवं गुणवत्ता का आंगणन आधुनिक ड्रिलिंग मशीनों से कराए जाने की शक्तजता होगी।
6. नदी तल उपखनिज क्षेत्रों में जे0सी0बी0, पोकलैण्ड, संवहन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन/धुगान कार्य नहीं किया जायेगा।

परन्तु विशेष परिस्थितियों में जैसे पहुंच मार्ग का निर्माण किये जाने, क्षेत्र में बड़े आकार के बोल्टर को हटाने, पट्टा क्षेत्र में फसे वाहनों को निकालने आदि की दशा में अनुमति सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के द्वारा खान अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त प्रदान की जायेगी।

7. स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्ट्जाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टों में Mechanized विधि से खनन सक्रियाएँ संचालन हेतु मशीन/पोकलैण्ड/डोजर/एक्सकेवेटर आदि के उपयोग की अनुमति जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा दी जायेगी।
8. पट्टाधारक राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क गणना आगकर विभाग का टी0सी0प0स0, जिला खनिज फाउन्डेशन (DMF) आदि अन्य शुल्क नियमानुसार जमा किया जायेगा।
9. पट्टाधारक पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों का विदोहन/परिवहन सूर्योदय से सूर्यास्त के काल में करेगा।
10. आवेदक के पक्ष में खनन पट्टा का आशय पत्र (Letter of Intent) व खनन पट्टा के शासनादेश निर्गत होने के उपरान्त यदि आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उक्त खनन पट्टा का आशय पत्र (Letter of Intent) व खनन पट्टा के शासनादेश आवेदनकर्ता के विधिक वारिस को सक्षम स्तर से निर्गत उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र तथा उक्त आवेदन हेतु इच्छुक होने का नोटराईज्ड अनुरोध शपथ पत्र निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में 03 माह की अवधि के अन्तर्गत प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत आशय पत्र/शासनादेश को निरस्त कर आवेदित क्षेत्र को रिक्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
11. पूर्व से स्वीकृत स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज सोपस्टोन के खनन पट्टों की अथवा का

विस्तारीकरण पट्टाधारक के अनुरोध पर महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा किया जायेगा। मार्च 2015 से पूर्व के स्वीकृत खनन पट्टों की अवधि का विस्तारीकरण मूल खनन पट्टा विलेख के पंजीकरण की तिथि से 50 वर्ष तक होगी। इस हेतु पट्टाधारक को अनुपूर्वक पट्टाविलेख रु० 10,000/- के एडवॉक पैपर पर कराया जायेगा। पूर्व से स्वीकृत खनन पट्टों की अवधि का विस्तारीकरण इस नियमानुसार के प्रस्थापन की तिथि से 06 माह के अन्तर्गत पट्टाधारक को द्वारा पूर्ण कराया जाना आवश्यक होगा।

12. स्वस्थानों पट्टानों हेतु स्वीकृत खनन पट्टों में ओवरलैंडिंग/मिट्टी/मलवा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर नहीं खला जायेगा, यदि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर ओवरलैंडिंग/मिट्टी/मलवा खला जाता है, तो सम्बन्धित पट्टाधारक पर रु० 5.00 लाख का जुर्माना जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा अधिरोपित किया जायेगा।
13. स्वस्थानों (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बेराईट, सेन्सोलाईट, स्लेट, क्वार्टजाइट, पत्थर, जिप्सम आदि हेतु आवेदित क्षेत्रफल के अन्तर्गत राज्य सरकार की भूमि आती है तो ऐसी भूमि को 25 प्रतिशत की सीमा तक निजी भूमि के साथ सम्मिलित किया जा सकेगा तथा प्रत्येक क्षेत्र से उत्खनित खनिज पर नियमानुसार रायल्टी देय होगी। पूर्व से स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत राज्य सरकार की भूमि आती है, तो उक्त क्षेत्र से खनिज को उत्खनित किया जा सकता है तथा उत्खनित खनिज पर नियमानुसार रायल्टी देय होगी।
14. स्वस्थानों (In-situ) चट्टान किस्म के खनन पट्टाधारकों को वर्षाकाल में खदान का मुहसाम से बचाव एवं Natural Drainage का प्रबन्ध करते हुए पूर्ण सुरक्षित उपायों के साथ खनन किया जा सकेगा।

अध्याय - 6

खनन अनुज्ञा-पत्र

51- खनन अनुज्ञा पत्र के दिये जाने पर निर्बन्धन :-

1. कोई खनन अनुज्ञा पत्र ऐसे व्यक्ति को न दिया जायेगा जो भारतीय राष्ट्रिक न हो, जिसके विरुद्ध या उसके परिवार के विरुद्ध खनन बन्दबा हो तथा राज्य का मूल निवासी/स्थायी निवासी न हो।
2. नदी तल/गड्ढेरा/नाला में उपखनिजों का चुगान, नदी तल से भिन्न निजी नाप/राजस्व भूमि में मन्तों के निर्माण हेतु बेरामेन्ट खुदान, ईट मिट्टी के खुदान, साधारण मिट्टी का खुदान आदि तथा कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा मोटर मार्ग निर्माण के चट्टान से निकलने वाले उपखनिज व जल विद्युत परियोजना के निर्माण की टनल आदि से निकलने वाले उपयोगी उपखनिजों, जिनका व्यवसायिक/परियोजना निर्माण में उपयोग किया जायेगा, हेतु अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी।
3. खनन अनुज्ञा की अवधि अधिकतम 06 माह (छ: माह) होगी तथा स्वीकृत अनुज्ञा की अवधि का विस्तार नहीं किया जायेगा।

52- खनन अनुज्ञा-पत्र दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र :-

खनन अनुज्ञा-पत्र दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रथम एमआरएम 8 में चार प्रतियों में जिला खान अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके द्वारा आवेदन पत्र तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न खनिलेखों का

परीक्षण किया जायेगा तथा अपूर्ण अविलेखों को पूर्ण करती हुए स्थलीय जांच/निरीक्षण हेतु समिति के सदस्यों को सूचित किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित होंगे:-

- (1) आवेदन शुल्क रु0 10,000.00 की जमा रसीद।
- (2) मू-कर श्रद्धांश पानचित्र की चार सत्यापित प्रतियां का ऐसे सर्वेक्षण के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्र की स्थिति में अद्यतन पानचित्र की ऐसे पैमाने पर, जिसमें कम से कम "4 इंच बराबर एक मील" के ही, चार ऐसी प्रतियां, जिसमें वह क्षेत्र जिसके लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है, स्पष्ट रूप से चिह्नित हो।
- (3) खसरा खतौनी की सत्यापित प्रति।
- (4) खनन अदेयता प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया हो।
- (5) आयकर बकाया न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र/शपथ पत्र की प्रति।
- (6) अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति।
- (7) मूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रति।
- (8) जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र की प्रति।
- (9) हैसियत प्रमाण पत्र की प्रति।

53- प्रार्थना पत्र का निस्तारण :-

1. उपरोक्त नियम-52 (2) में उल्लिखित अनुज्ञाओं हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों हेतु स्थलीय जांच/निरीक्षण उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया जायेगा।
2. मैदानी क्षेत्रों में स्वयं की निजी जाप में स्थल विकास करने के उद्देश्य से भूमि को समतल किये जाने, भवनों के बेसमेंट की खुदाई अथवा भूमि समतलीकरण किये जाने पर निकलने वाली साधारण मिट्टी आदि का उपयोग उसी निजी जाप भूमि के भूमि सुधार हेतु किये जाने पर अनुज्ञा स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु सम्बन्धित भूस्वामी के द्वारा कार्य आरम्भ करने से पूर्व उक्त के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी को सूचित किया जायेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में उपरोक्तानुसार उल्लिखित क्रिया कलापों हेतु सम्बन्धित खान निरीक्षक/जिला खान अधिकारी की संरक्षित पर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के द्वारा अल्प अवधि हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी। इस हेतु Excavator मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है। मैदानी/पर्वतीय क्षेत्रों में उक्त क्रिया के अन्तर्गत निकलने वाले उपखनिजों को अन्यत्र परिवहन किये जाने हेतु सम्बन्धित भूस्वामी के द्वारा प्रेषणीय मात्रा का सम्बन्धित खान निरीक्षक/जिला खान अधिकारी से आगमन करके नियमानुसार तत्समय प्रचलित रायल्टी एवं अन्य देयकों का गुणमान जमा करने के उपरान्त सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के द्वारा अल्प अवधि की खनन अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी। उक्त क्रिया कलाप खनन की श्रेणी में नहीं आयेगा तथा उक्त हेतु पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
3. नियम-51 (2) में उल्लिखित अनुज्ञाओं तथा ईट निर्माण हेतु मिट्टी के खुदान, साधारण मिट्टी का खुदान एवं पल विद्युत परियोजना के निर्माण की टनल आदि से निकलने वाले उपयोगी उपखनिजों, जिनका व्यवसायिक/परियोजना निर्माण में उपयोग किया जायेगा, के सम्बन्ध में अध्याय-2 के नियम-7 में गठित समिति के द्वारा स्थलीय जांच/निरीक्षण किया जायेगा। गठित समिति को उक्त

जांच आख्यायकों के आधार पर सम्बन्धित जिलाधिकारी अनुज्ञापत्र देने से इनकार कर सकता है या ऐसी शर्त और निर्बन्धनों के अधीन जो आवश्यक लगें, प्राणित क्षेत्र में पुल या कुछ भाग को तिरों एक नियत अवधि हेतु अनुज्ञापत्र दे सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे क्षेत्र के लिये, जो पट्टे या खनन अनुज्ञापत्र के अधीन पहले से धृत हैं, अनुज्ञापत्र दिये जाने के लिये कोई प्रार्थना पत्र समय से पूर्व समझ जायेगा और उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा और यदि कोई प्रार्थना पत्र शुल्क दिया गया है, तो उसे वास्तु नहीं किया जायेगा।

4. राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु भवनों के बेसमेन्ट से निकलने वाली साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटेरियल को रखने की व्यवस्था यदि भवन स्वामी के पास नहीं है और यह उसका व्यवसायिक उपयोग नहीं करता है तो उसे रखने हेतु स्थानीय प्रशासन की अनुमति से सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार द्वारा घोषित इम्पिंग जॉन में संरक्षित किया जायेगा, जिसका उपयोग पवित्र में मैदान/हैलीपैड आदि बनाने में किया जायेगा। यह प्रक्रिया केवल स्वयं के भवन निर्माण के प्रयोजन हेतु निकलने वाली साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटेरियल पर ही लागू होगी, इस हेतु रायल्टी व अन्य कर देय नहीं होंगे। इम्पिंग जॉन के अतिरिक्त साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटेरियल का अन्यत्र परिवहन किये जाने हेतु सम्बन्धित मूल्वाभी के द्वारा प्रेषणीय मात्रा का जिला खान अधिकारी से आंगणन कराकर नियमानुसार तत्समय प्रचलित रायल्टी एवं अन्य देयकों का भुगतान किया जायेगा तथा तदोपरान्त सम्बन्धित जग जिलाधिकारी द्वारा उक्त उपरखनित के अन्यत्र परिवहन की अनुमति प्रदान की जायेगी।
4. स्वरथाने (In-situ) घट्टान किस के खनिज निक्षेप जैसे सोपस्टोन, शिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, जिप्सम आदि के स्वीकृत खदानों से ओवरबर्देन (Over burden) के रूप में निकलने वाले वेस्ट मैटेरियल (Waste Material) को विभागीय रसायन प्रयोगशाला की विश्लेषण आख्या के आधार पर वेस्ट मैटेरियल (Waste Material) होने पर अन्यत्र परिवहन हेतु अन्य अवधि की अनुज्ञापत्र जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा स्वीकृत किया जायेगा, जिसे हेतु नियमानुसार रायल्टी एवं अन्य देयकों का भुगतान किया जायेगा।
5. सरकारी निर्माण इकाईयों जैसे लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, सिंचाई विभाग, डीएजी(बी)आर(ग्रेफ), राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आदि द्वारा सड़क, पहुँच मार्ग आदि बनाये जाने के दौरान निर्माण स्थल से निकलने वाले बोल्टर, पत्थर, बजरी आदि के निर्माण कार्य उपयोग हेतु अग्रिम रायल्टी को जमा कराये जाने तथा वांछित प्रपत्रों को निर्गत करने हेतु सम्बन्धित जतमद के जिला खान अधिकारी अधिकृत होंगे।

54-स्वामित्व या जमा किया जाना :-

- (1) जब नियम 53 के अधीन खनन अनुज्ञापत्र दिये जाने का आदेश दे दिया जाय, तब प्रार्थना आदेश की संशुद्धि दिये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, उक्त आदेश के अनुज्ञापत्र खनिज की कुल मात्रा के लिये नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्काल विनिर्दिष्ट दर पर एक मुद्रा स्वामित्व अग्रिम रूप से जमा करेगा। यदि अनुज्ञापत्र नारक किसी कारण से, जो उसके द्वारा हुआ माना जाय, अनुज्ञापत्र

समय के भीतर खनिज को नहीं हटा होता है तो स्वागित्व के तहत जमा कोई धनराशि वापस नहीं की जायेगी।

- (2) यदि प्रार्थी उपनियम (1) में उल्लिखित अवधि के भीतर या ऐसी अग्रोत्तर अवधि के भीतर, जैसी अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा दी जाये, स्वागित्व जमा करने में विफल रहता है तो अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाला आदेश प्रतिसंहत (रद्द) हो जायेगा और नियम 62 के खण्ड (एक) में उल्लिखित फीस राज्य सरकार के प्रति जमा हो जायेगी।

55- खनन अनुज्ञापत्र का जारी किया जाना :-

प्रार्थी को खनन अनुज्ञापत्र प्रपत्र एम0एम0 10 में ऐसी अतिरिक्त निर्बन्धनों और शर्तों के साथ, जिनके अधीन नियम 53 में आदेश दिये जाय, नियम 54 के उपनियम (1) में स्वागित्व जमा करने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर जारी कर दिया जायेगा और इस प्रकार जारी अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के दिनांक तक या ऐसे दिनांक तक, जब तक खनिज की अनुज्ञात मात्रा हटा न ली जाय, इसमें से जो भी पहले हो, वैध रहेगा।

56- खनन अनुज्ञापत्रों का रजिस्टर :-

खनन अनुज्ञापत्रों के सभी प्रार्थना-पत्रों का एक रजिस्टर जारी किये गये अनुज्ञापत्रों के ब्यॉरि के साथ प्रपत्र एम0एम0-9 में खनन अनुज्ञापत्र देने के लिये प्राधिकृत अधिकारी/जिला खात अधिकारी के कार्यालय में रखा जायेगा।

अध्याय-7

सल्लंघन अपराध और शक्तियां

57- अनधिकृत खनन के लिये शक्ति :-

- (1) जो कोई भी नियम-3 के उपबन्धों का सल्लंघन करे व दोष सिद्ध हो जाने पर प्रथम बार में अवैध सल्लंघित खनिज की मात्रा पर रॉयल्टी का 02 (दो) गुना तथा सल्लंघित रॉयल्टी का 03 (तीन) गुना तक के समतुल्य धनराशि वसूल की जायेगी।
- (2) अवैध खनन की प्रभावी रोकथाम के लिए निदेशालय स्तर पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्ष निदेशालय की अध्यक्षता में प्रवर्तन दल का गठन किया जायेगा, जिसके द्वारा अवैध खनन की शिकायत प्राप्त होने पर या समय-समय पर आकस्मिक जांचकारी सुनिश्चित की जायेगी।
- (3) अवैध खनन की प्रभावी रोकथाम एवं नियन्त्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सम्यक नियम/आदेश जारी किये जायेगे।
- (4) अवैध खनन की रोकथाम हेतु निदेशालय स्तर से माईनिंग सर्विलांस सिस्टम लागू किया जायेगा।
- (5) अवैध खनन की पुष्टि के कारणों को उल्लिखित करते हुए निदेशालय को सम्बन्धित प्रद्वारक/अनुज्ञापारक/पण्डारणकर्ता आदि का ई-खनना पोर्टल को लिखित सूचना देने के उपरान्त निलम्बित (Suspend) करने एवं नियमानुसार अन्य कार्यवाही किये जाने का अधिकार होगा।

58— स्वामित्व, भाटक या अन्य देयों की भुगतान न करने के परिणाम :-

- (1) राज्य सरकार या उसके द्वारा इस विहित प्रविष्टता कोई अधिकारी पट्टेदार पर इस बात की सूचना तारीख करने के पश्चात् कि वह सूचना प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को देय स्वामित्व (रागल्टी) सहित पट्टे के अधीन देय कोई धनराशि या अपरिहार्य भाटक (स्वरथाने पट्टानों हेतु) का भुगतान करें, यदि उस भुगतान के लिये निश्चित दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर उसका भुगतान न किया हो, तो खनन पट्टा समाप्त कर सकता है। यह अधिकार पट्टेदार से ऐसे देयों को भू-राजस्व के बकाया के रूप में पसूली करने के राज्य सरकार के अधिकार के अतिरिक्त होगा और उस पर कोई प्रतिफल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (2) इस नियमावली के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपनियम (1) के अधीन सूचना की अवधि की समाप्ति के पश्चात् इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार को देय किसी भाटक, स्वामित्व, सीमांकन शुल्क और किन्हीं अन्य देयों पर 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जा सकता है।

59— कतिपय शर्तों का उल्लंघन करने के परिणाम :-

खनन पट्टाधारण करने वाला कोई पट्टेदार नियमों में व्यवस्थित किन्हीं शर्तों को मंग कर, दोष सिद्ध हो जाने पर अर्धदण्ड से, जो रु० 2.00 (दो) लाख रुपये तक हो सकता है, से दण्डनीय होगा।

60— सामान्यतः नियमों और पट्टे की शर्तों के उल्लंघन का परिणाम :-

- (1) पट्टेदार द्वारा नियमों या पट्टे में दी गई सगड़ी जाने वाली शर्तों और प्रसविदाओं के सिवाय उनको, जो स्वामित्व, भाटक या राज्य सरकार को देय अन्य धनराशियों के भुगतान से सम्बन्धित हों, मंग या उल्लंघन किये जाने की दशा में राज्य सरकार पट्टेदार को अपना मामला खताने का युचितयुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् पट्टा समाप्त कर सकती है। यह अधिकार नियम 59 के उपबन्धों के अतिरिक्त होगा और इरादा खत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (2) यदि उप नियम (1) के अधीन पट्टा समाप्त कर दिया जाता है तो पट्टेदार का नाम निदेशक, भूतत्प एवं खनिकर्त द्वारा पांच वर्ष से अनाधिक ऐसी अवधि के लिए, जैसा उचित समझा जाय, पाली सूची में डाल दिया जायेगा और ऐसी अवधि के दौरान उसको इस नियमावली के अधीन कोई खनिज परिहार पर स्वीकृत नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में यथारिथि खनन पट्टे के रजिस्टर में या ई-नीलामी रजिस्टर के अभ्युक्ति दाले स्तम्भ में एक प्रविष्टि अंकित कर दी जायेगी।

अध्याय— 8

विधि

61— प्रत्यक्ष अशुद्धियों को ठीक करने का अधिकार :-

राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा इस नियमावली के अधीन दी गई किसी आज्ञा में कोई लिपिक या अंकीय अशुद्धि यथास्थिति राज्य सरकार, सक्षम प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा ठीक की जा सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसी आज्ञा, जो किसी व्यक्ति के लिये हानिकार हो, तब तक न दी जायेगी जब तक कि उसे अपना मामला खाने के लिये समुचित अवसर न दिया गया है।

62- रजिस्ट्ररों का निरीक्षण करने दिया जायेगा :-

(1) इस नियमावली द्वारा रखे जाने वाले नियुक्त सभी रजिस्ट्ररों को प्रत्येक प्रविष्टि के लिये पांच सौ रुपये का शुल्क भुगतान करने पर निरीक्षण करने दिया जायेगा।

(2) उपनियम (1) में अभिविष्ट रजिस्ट्ररों की प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतिलिपि निम्नलिखित शुल्क का भुगतान करने पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती है :-

(क) सात दिन के भीतर प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये 1000.00 रुपये और।

(ख) चौबीस घण्टे के भीतर प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये 5000.00 रुपये ।

स्पष्टीकरण :- (1) "प्रविष्टि" का तात्पर्य यथास्थिति एक अनुज्ञा पत्र या एक खगन पददा या एक ई-नीलामी पददा के सम्बन्ध में समस्त प्रविष्टियों से है।

स्पष्टीकरण :- (2) शुल्क का भुगतान नियमों में निहित रीति से किया जायेगा और यथास्थिति निरीक्षण के लिये प्रार्थना पत्र या प्रमाणित प्रतिलिपि के लिये प्रार्थना पत्र के साथ ट्रेजरी बालान लगाना होगा।

63- नाम, राष्ट्रिकता आदि में परिवर्तन की सूचना दी जायेगी :-

खगन पददे का प्रार्थी या उसका धारक राज्य सरकार के सात दिन के भीतर प्रत्येक ऐसे परिवर्तन की सूचना देगा जो उसके नाम, राष्ट्रिकता या रांगत प्रपत्रों में उल्लिखित अन्य विवरणों में किया जायेगा।

64- शुल्कों और जमा का भुगतान कैसे किया जायेगा :-

इस नियमावली के अधीन देय किसी धनराशि का भुगतान ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा राज्य सरकार उदर्य निर्दिष्ट करे।

65- छात्रों के प्रशिक्षण के लिये सुविधायें :-

(1) खगन का प्रत्येक स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित खनिकर्म एवं भूतत्व सम्बन्धी संस्थाओं के छात्रों को उनके द्वारा चलायी जाने वाली खानों और संयंत्रों का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति देगा और ऐसे छात्रों से प्रशिक्षण के लिये अपेक्षित सभी आवश्यक सुविधायें देगा।

(2) खनिकर्म या भूतत्व शास्त्र की शिक्षा देने वाली संस्थाओं के छात्रों के प्रशिक्षण के लिये प्रार्थना पत्र खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक को उक्त संस्थाओं के आचार्य या प्रधान के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। खान के किसी स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक द्वारा व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिये सुविधायों की व्यवस्था करने से इनकार करने के मामले महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड को अभिविष्ट किये जाने चाहिये।

66- निर्माण करने, प्रवेश और निरीक्षण करने का अधिकार :-

(1) किसी खान का परित्यक्त खान की रायल्टी का निर्धारण करने और उसकी वास्तविक या भावी कार्य की स्थिति की जांच करने के लिये या इस विभागवली के सम्बद्ध किसी प्रयोजन के लिये जिलाधिकारी या भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड के ऐसे अधिकारी, जो निदेशक द्वारा इस योजना के लिये नियुक्त खान निरीक्षक के पद से नीचे के पद के न हों या राज्य सरकार की सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी:-

(क) किसी खान में प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है।

(ख) किसी ऐसी खान का सर्वेक्षण कर सकता है और माप सकता है।

(ग) किसी खान में पड़े हुये खनिज स्टॉक को तौल सकता है, उसे माप सकता है या उसकी माप ले सकता है।

(घ) किसी ऐसे लेख, बही, रजिस्टर या अभिलेख का परीक्षण कर सकता है, जो किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे या अधिकार में हो, जिसका किसी खान पर नियंत्रण हो या जो उससे संबद्ध हो और उस पर पहचान के चिन्ह लगा सकता है और ऐसे लेख, बही, रजिस्टर या अभिलेख से उद्धरण ले सकता है या उसकी प्रतियां तैयार कर सकता है।

(ङ) खण्ड (घ) में निर्दिष्ट किसी ऐसे लेख, बही, रजिस्टर या अभिलेख को समन कर सकता है या उसे प्रस्तुत करने की आज्ञा दे सकता है।

(च) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका किसी खान पर नियंत्रण हो या जो उससे संबद्ध हो, समन कर सकता है या उसका निरीक्षण कर सकता है, और

(छ) ऐसी सूचना का विवरण मांग सकता है, जो आवश्यक समझी जाये।

परन्तु राज्य सरकार की सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत राजस्व विभाग का अधिकारी, जो नाराय तहसीलदार के पद से नीचे के पद का न हो (जिनके द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग से खनन से सम्बन्धित कार्यों का काम से कम 01 सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त कर निदेशक से प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो), भी इस निमित्त अधिकृत होंगे। सम्बन्धित द्वारा अवैध खनन की मात्र जांच कर अपनी रिपोर्ट तत्काल अधिकृत स्तर पर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

(2) उप नियम (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थात्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा और प्रत्येक व्यक्ति से जो उक्त सपनियम के खण्ड (ङ) या खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के आधार पर कोई आज्ञा या समन जारी किया जाय, यथास्थिति, ऐसी आज्ञा या समन का अनुपालन करने के लिये विधितः बाध्य होगा।

67- भूमि के स्वामी द्वारा खनन सक्रियाये पर कोई निर्वन्धन आदि आरोपित नहीं किया जायेगा :-

(1) कोई भी व्यक्ति, जिसे खनन पट्टा या खनन अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत आने वाली भूमि से किसी भी रूप में अधिकार प्राप्त हो, ऐसी भूमि के पट्टा या खनन अनुज्ञापत्र धारक खनन सक्रियाओं पर कोई

प्रतिशोध या निर्वन्धन आरोपित करने या उपखनिज पट्टा हटाने के लिये अधिगुल्य (प्रीमियम) या स्वामित्व के रूप में कोई धनराशि मांगने पर हकदार न होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा व्यक्ति भूमि के खनन संक्रियाओं के लिए उपयोग करने हेतु खनन पट्टा या खनन अनुज्ञा पत्र के सकत धारक से ऐसा वार्षिक प्रतिकर पाने का हकदार होगा, जो उनके बीच तय हों।

(2) जहां खनन पट्टा अनुज्ञा-पत्रधारक और भूमि की रक्षा के स्वामी वार्षिक प्रतिकर की धनराशि पर सहमत न हो और उनके सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो जिला अधिकारी द्वारा उसका अवधारण निम्नलिखित रूप से किया जायेगा:-

(क) कृषि योग्य भूमि की दशा में प्रतिकर की धनराशि उसी प्रकार की भूमि में विगत तीन वर्षों में की गई खेती से प्राप्त वार्षिक औसत शुद्ध आय के आधार पर निकाली जायेगी। प्रतिकर की धनराशि वार्षिक औसत शुद्ध आय के पांच गुना से अधिक नहीं होगी।

(ख) गैर कृषि योग्य भूमि की दशा में वार्षिक प्रतिकर की धनराशि उसी प्रकार की भूमि के विगत तीन वर्षों के वार्षिक भाटक मूल्य के आधार पर निकाली जायेगी। प्रतिकर की धनराशि वार्षिक भाटक मूल्य के पांच गुना से अधिक नहीं होगी।

(ग) यदि खनन कार्य से कोई आवासीय भवन/भौशाला/दुकान आदि क्षतिग्रस्त होते हैं, तो राजस्व विभाग के द्वारा लोक निर्माण विभाग के अभियन्ता से आंकलन करवाते हुए तैयार किये गये आंकलित मूल्य के अनुसार प्रतिकर की धनराशि पट्टाधारक के द्वारा प्रभावित व्यक्तियों/संस्थाओं को दी जायेगी।

88- विशेष मामलों में नियमों का सिध्दिल किया जाना :-

राज्य सरकार किसी भी मामले में यदि उसकी यह राय हो कि खनिज विकास के हित में लिखित आज्ञा द्वारा और उन कारणों से, जो अधिलिखित किये जायेंगे, ऐसा करना आवश्यक है, इस नियमबली में निधारित शर्तों और प्रतिबन्धों से भिन्न शर्तों और प्रतिबन्धों पर किसी खनिज को लब्ध करने के लिये खनन पट्टे/खनन अनुज्ञा को देने या किसी खान का कार्य करने का प्राधिकार दे सकती है।

89- स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक ठेकेदार/निविदाकार के माध्यम से वसूल किया जा सकता है :-

(1) सरकार, खनन पट्टे के धारकों से स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार द्वारा वसूल किये जाने का प्रबन्ध कर सकती है और ऐसे धारक, जब राज्य सरकार द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया जाये, स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक का भुगतान अपने पट्टे में निर्दिष्ट दरों पर चकत ठेकेदारों/निविदाकारों को ऐसी अवधि के भीतर करेंगे, जो निर्देशित की जाये।

(2) खनन पट्टे के धारक द्वारा चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार या यथास्थिति स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक भुगतान न करने के वही परिणाम होंगे, जो राज्य सरकार को भुगतान करने के होते हैं और उस दशा में राज्य सरकार को पट्टेदार से बकाया की वसूली करने तथा पट्टे को समाप्त करने के सम्बन्ध में ऐसे सभी अधिकार होंगे, जो इस नियमबली में व्यवस्थित हैं।

- (3) राज्या सरकार किरिी ब्यक्ति कें साथ, जो उपयुक्त साझा जाये, पाँच वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिये निर्दिष्ट क्षेत्र में खनन पट्टों के धारकों से स्थायित या अपरिहार्य भाटक वसूल करने के लिये नीलाम करके या टेण्डर आमंत्रित करके या ई-टेंडर/ई-निलामी या किसी अन्य रीति से ऐसी शर्तें और प्रतिबन्धों पर अनुबन्ध कर सकती है, जो उपयुक्त समझी जाये। टेकेंदार/निविदाकार के चयन के लिए सर्वता एवं नीलामी प्रक्रिया के मापदण्डों का निर्धारण हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा पृथक से निविदा प्रपत्र तैयार कर शासन से अनुमोदन प्राप्त करेंगे।
- (4) उपरोक्तानुसार चयनित टेकेंदार/सफल निविदाकार को राज्य क्षेत्रान्तर्गत नवी तल चगलबता वाले विजा उपखनिज क्षेत्रों में खनन पट्टा, नियमावली के अन्वय-2 के अनुत्तर दिये जाने में प्राथमिकता दी जायेगी।
- (5) चयनित टेकेंदार/सफल निविदाकार को अनुबन्ध के अन्तर्गत दिये गये दायित्वों के निर्वहन एवं अवैध खनन/परिवहन/मण्डारण की रोकथाम हेतु विभागीय ई-स्वन्ना पोर्टल का अवलोकन किये जाने हेतु निवेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय से अनुषोध करने पर अनुमति प्रदान की जा सकती है।

70- खनिज के परिवहन पर निर्बन्धन :-

- (1) खनिजों के परिवहन हेतु पट्टाधारक/अनुज्ञाधारकों को भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के ई-स्वन्ना पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- (2) खनन पट्टा या खनन अनुज्ञापत्र धारक या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत व्यक्ति, किरिी गाडी, पशु या परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा उपखनिज का परिषण (कन्साइनमेंट) कर ले जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ई-स्वन्ना प्रपत्र एन0एम0 11 में पास जारी करेगा।
- (3) कोई भी व्यक्ति राज्य के भीतर रेल को छोडकर, पशु, गाडी या परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा कोई उपखनिज उपनियम (1) के अधीन ई-स्वन्ना प्रपत्र एन0एम0 11 में तथा राज्य के बाहर ई-स्वन्ना प्रपत्र-11 "ओ एस" में जारी पास के बिना नहीं ले जायेगा, परन्तु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को विशेष परिस्थितियों में ई-ट्राजिट पास (ई-स्वन्ना प्रपत्र एम0एम0-11 एवं ई-स्वन्ना प्रपत्र-11 "ओ एस") के ऑनलाईन जनरेशन (Online generation) के उपयोग हेतु छूट प्रदान करने का अधिकार होगा। ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों हेतु जिनमें ऑनलाईन ई-ट्राजिट पास (ई-स्वन्ना प्रपत्र एन0एम0-11 एवं ई-स्वन्ना प्रपत्र-11 "ओ एस") के उपयोग को छूट प्रदान किया जाये, खनिजों के परिवहन हेतु मैन्युअल ट्राजिट पास (स्वन्ना प्रपत्र एम0एम0-11 एवं स्वन्ना प्रपत्र-11 "ओ एस") का उपयोग किया जा सकेगा।
- (4) किसी उपखनिज को ले जाने वाला व्यक्ति, नियम 66 के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांगने पर उक्त "पास" को ऐसे अधिकारी को दिखायेगा और उसी सप खनिज की मात्रा के संदर्भ में "पास" के विवरणों की शुद्धता को सत्यापित करने देगा।
- (5) महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय खनिजों के अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु खनन पट्टा या अनुज्ञा पत्र में सम्मिलित किसी क्षेत्र के लिये जांच चौकी (चेक पोस्ट)/मोबाईल चेक पोस्ट स्थापित कर सकता है और जब ऐसी जांच चौकी स्थापित कर दी जाय तो इस तथ्य की सार्वजनिक सूचना

- गजट में प्रकाशित करके और ऐसी अन्य रीति से दी जायेगी, जैसा महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उपयुक्त समझे।
- (6) कोई व्यक्ति, ऐसे उपखनिज का, जिस पर बंध नियमावली लागू होती हो, परिवहन ऐसे क्षेत्र से उस क्षेत्र के लिये स्थापित जांच चौकी पर खनिज के प्रकार या मात्रा के सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये बिना नहीं करेगा।
 - (7) खनिज का अवैध परिवहन करते हुए पाये जाने पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
 - (8) कोई व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में यह पाया जाय कि उसने इस नियम का उल्लंघन किया है, दोष सिद्ध हो जाने पर अर्शदण्ड से दण्डनीय होगा, जो रू० 2.00 (दो) लाख रुपये तक हो सकता है।
 - (9) अवैध परिवहन या ई-रवना प्रपत्रों का दुरुपयोग पाये जाने पर निदेशालय को सम्बन्धित पट्टाधारक/अनुज्ञाधारक/भण्डारणकर्ता आदि का ई-रवना पोर्टल बिना पूर्व सूचना के अस्थायी रूप से निरन्वित (Suspend) करने एवं नियमानुसार अन्य कार्यवाही किये जाने का अधिकार होगा।

71-प्रतिनिधान :

जब राज्य सरकार गजट में विज्ञापित द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि इस नियमावली के अधीन उसके द्वारा प्रयोज्य कोई भी अधिकार किन्हीं ऐसी विषयों के सम्बन्ध और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जो विज्ञापित में निर्दिष्ट की जाय, राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग किये जा सकते हैं, जो विज्ञापित में निर्दिष्ट किये जाये।

72- पुनः स्वीकृति के लिए क्षेत्र की उपलब्धता का अधिसूचित किया जाना:-

- (1) निजी नाम भूमि को छोड़कर यदि कोई क्षेत्र जो अध्याय-2 के अन्तर्गत खनन पट्टा के अधीन घृत था या अधिनियम की धारा 17-क के अधीन आरक्षित था, पुनः खनन पट्टे पर दिये जाने के लिए उपलब्ध हो जाता है, तो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म नोटिस के माध्यम से उक्त क्षेत्र की उपलब्धता अधिसूचित करेगा, जिसमें दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए, जो नोटिस के दिनांक से तीस दिन पहले का न होगा और ऐसे क्षेत्र का ब्यापक होगा। खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र आमंत्रित करेगा और ऐसी नोटिस की प्रति उसके कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी और एक-एक प्रति उस क्षेत्र के सभ जिलाधिकारी व खान अधिकारी को भी भेजी जायेगी।
- (2) उप नियम (1) के अधीन खनन पट्टा दिये जाने के लिए प्रार्थना पत्र उक्त उप नियम में निर्दिष्ट नोटिस में विनिर्दिष्ट दिनांक से सात कार्य दिवसों के भीतर प्राप्त किये जायेंगे। यदि फिर भी किसी क्षेत्र के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या तीन से कम हो तो निदेशक अवधि को अग्रेत्तर सात कार्य दिवसों के लिये और बढ़ा सकता है और यदि उसके पश्चात भी प्रार्थना पत्र की संख्या तीन से कम रहती है तो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उक्त उप नियम के अनुसार नये सिरे से क्षेत्र की उपलब्धता को अधिसूचित करेगा।
- (3) ऐसे क्षेत्र का, जो पहले से किसी पट्टा के अधीन घृत है या नियम-20 के उप नियम (1) के अधीन अधिसूचित है या अधिनियम की धारा 17-क के अधीन आरक्षित है और जिसकी उपलब्धता उप नियम (1) के अधीन अधिसूचित नहीं की गयी है, खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र समथ पूर्व

समझा जायेगा और उस पर विचार नहीं किया जायेगा और यदि कोई प्रार्थना पत्र शुल्क दिया गया है तो उसे वापस कर दिया जायेगा।

73- विवरणियां (रिटन्सी):

- (1) इस नियमावली के अधीन खनिज परिहार धारक प्रत्येक माह के आगामी 07 तारीख तक फॉर्म ए१०एम्०-12 में जिलाधिकारी और जिला खान अधिकारी को मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।
- (2) जब कभी भी खनिज परिहार धारक उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरण प्रस्तुत करने में विफल होता है तो यह छा 5000.00 की सारित का मागी होगा।

74- अपराधों का संज्ञान:-

- (1) कोई न्यायालय, जिला अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिखित परिवाद जिसमें ऐसे अपराध के गठन करने वाले तथ्यों का उल्लेख होगा, के सिवाय इस नियमावली के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।
- (2) प्रथम श्रेणी के गजिरट्टेड न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई न्यायालय इस नियमावली के अधीन अपराध का विचार नहीं करेगा।

75- अपराधों का शमन :-

- (1) इस नियमावली के अधीन-दण्डनीय किसी अपराध का शमन अभियोजन संचालित किये जाने के पूर्व या पश्चात निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्ष निदेशालय या जिलाधिकारी द्वारा या ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ प्राधिकृत करे, राज्य सरकार को ऐसी धनराशि का भुगतान करने पर, जैसी ऐसा अधिकारी विनिर्दिष्ट करे, किया जा सकेगा :-

प्रतिबंध यह है कि केवल अर्थ दण्ड से दण्डन विभागीय किसी अपराध की दशा में, ऐसी धनराशि उस अपराध के लिये आरोपित की जा सकने वाली अधिकतम धनराशि से अधिक नहीं होगी।

- (2) जहां उपनियम (1) के अधीन किसी अपराध का शमन किया जाता है, वहां इस प्रकार शमन किये गये अपराध के सम्बन्ध में अपराधी के विरुद्ध ग्यारिश्चिती कोई कार्यवाही या अग्रोत्तर कार्यवाही नहीं की जायेगी और अपराधों को, यदि अभिरक्षा में हो, तत्काल उन्मोचित कर दिया जायेगा।
- (3) उपनियम (1) के अधीन अपराध का शमन करने वाला अधिकारी एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें निम्नलिखित धारों की दर्शाया जायेगा :-

(क) क्रम संख्या (वित्तीय वर्ष)

(ख) अपराधी का नाम और पता।

(ग) दिनांक और अपराध के व्यौर।

(घ) शमन धनराशि और उसके भुगतान का दिनांक।

(ङ) दिनांक और मोहर सहित अधिकारी के हस्ताक्षर।

76- पुलिस की सहायता:-

नियम 66 के अभिदिष्ट अधिकारी इस नियमावली के अधीन अपनी शक्तियों के विधि सहमत प्रयोग के लिये स्थानीय पुलिस, की सहायता के लिये प्रार्थना पत्र कर सकता है और स्थानीय पुलिस, उन अधिकारी को इस नियमावली के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक सभी सम्भव सहायता देगी।

77- अपील :-

इस नियमावली के अधीन जिला अधिकारी या जिला धन अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध, ऐसा आदेश कृप्य पत्रकार को संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर मण्डलायुक्त के यहाँ अपील की जायेगी।

78- पुनरीक्षण :-

राज्य सरकार किसी भी समय या तो स्वयं या आदेश की संसूचना के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर प्रार्थना पत्र दिये जाने पर जिलाधिकारी, निदेशक या मण्डल आयुक्त द्वारा इस नियमावली के अधीन पारित किसी आदेश या की गई किसी कार्यवाही से सम्बन्धित अभिलेख मांग सकती है और उसका परीक्षण कर सकती है और ऐसा आदेश पारित कर सकती है जैसा वह उचित समझे।

79- शुल्क :-

नियम 77 के अधीन अपील या नियम 78 के अधीन कोई प्रार्थना पत्र प्रपत्र एम्0एम0 13 में दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा और उसके साथ एक ट्रेजरी रसीद होगी, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि नियम 64 में विनिर्दिष्ट शीर्षक के अन्तर्गत राज्य सरकार के मददे बीस हजार रुपये का शुल्क विभागीय लेखाशीर्षक में जमा किया जा चुका है।

आज्ञा से,
डॉ० धनंजय सुन्दर पाण्डेय,
सचिव।

प्रथम अनुसूची (दिले नियम-18)

खनिज	स्वामित्व (रायल्टी) की दर (रु० में)
1- चूना पत्थर	200.00 प्रति टन
2- चार्लैट या मार्बल/ब्लैक (सिंगरगर)	500.00 प्रति टन
3- ईट बनाने की गिट्टी	100.00 प्रति हजार ईट
4- शीरा (साबु पीटर)	6.00 प्रति क्विण्टल या 800.00 प्रति कुन्टल
5- इमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन)- 1. सभी प्रकार के छप खनिजों से निर्मित (ग्रेनाइट को छोड़कर) स्लैब अथवा स्लैब साइज 25 सेमी से अधिक हो	350.00 प्रति टन
2. गिल स्टोन व इथर/ब्लैक (सिंगरस्टोन क्वार्टजाइट)	500.00 प्रति टन
6- नदी तल से विभिन्न खनिज पदार्थों से प्राप्त खण्ड/बोल्डर (जिसकी कोई भी एक साइज 25 सेमी से अधिक न हो), बजरी/गिट्टी बैलर/सिंगर/पहाड़ों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू	88.50 प्रति टन
7- ग्रेनाइट (साइज) अयस्क/ब्लैक स्टोन	1000.00 प्रति घण्टी
8- नदी तल में साधारण/घन भूमि में खनिज पदार्थ हेतु उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो (निची भूमि को छोड़कर)	1. 8.50 प्रति कुन्टल (गौला नदी) 2. 8.00 प्रति कुन्टल (कौसी, दाबका नदी) 3. 7.00 प्रति कुन्टल (हरिद्वार एवं अन्य स्थान हेतु)
9- नदी तल/नदी तल से लगी निजी नाग भूमि में खनिज पदार्थ हेतु उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो	7.00 प्रति कुन्टल तथा रु० 7.00 प्रति कुन्टल अतिरिक्त रूप से
10- कार्यकारी संस्थाओं सहित समस्त प्रकार की खनिज अनुसंधान हेतु (साधारण गिट्टी की अनुसंधान को छोड़कर)	7.00 प्रति कुन्टल तथा रु० 7.00 प्रति कुन्टल अतिरिक्त रूप से
11- कंकड़	200.00 प्रति टन
12- साधारण गिट्टी	50.00 प्रति टन
13- सिलिका रीण्ड	100.00 प्रति टन
14- सोसागाइट	500.00 प्रति टन
15- बैराइट	250.00 प्रति टन
16- क्वार्टजाइट	100.00 प्रति टन
17- जोपरस्टोन	1. निम्न श्रेणी - रु० 350.00 प्रति टन (Brightness 85 प्रतिशत से कम) 2. उच्च श्रेणी - रु० 450.00 प्रति टन (Brightness 85 प्रतिशत से उससे अधिक)
18- अन्य कोई खनिज जो ऊपर सूचित नहीं है	खनिज मूल्य का 20 प्रतिशत

द्वितीय अनुसूची (दिखें नियम-19)

खनिज	अपरिहार्य घाटक (डेडवैन्ट) की वार्षिक दर (रु० में)
1- मार्बल या मार्बलचिप्स	40000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हों)
2- चूना पत्थर लाईम स्टोन	40000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हों)
3- नदी तल से निम्न स्थानों से प्राप्त खण्डास/बोल्डर्स (जिसकी कोई भी एक साईट 25 सेमी० से अधिक हो), बजरी /मिट्टी ब्लास्ट सिंगल/पहाड़ों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बाजू	40000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हों)
4- नदी तल में उपलब्ध साधारण बाजू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो	80000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष
5- साधारण मिट्टी (आर्डिनरी ग्ले) अथवा साधारण मिट्टी (आर्डिनरी अथ)	25,000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष
6- खनिज सिलिका रीफ़ हेतु	6000.00 प्रति हेक्टे० प्रति वर्ष व तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हों)
7- खनिज डोलोमाईट हेतु	20000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हों)
8- खनिज क्वार्ट्जाईट हेतु	20000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हों)
9- खनिज बेसाईट	20000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हों)
10- खनिज सॉपरस्टोन हेतु	5000.00 प्रति हेक्टे० प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हों)

तृतीय अनुसूची
THIRD SCHEDULE

अध्याय एम. एम.-1

खनन पट्टे के लिये प्रार्थना पत्र (दिएँ नियम-5)
(चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा)

दिनांक..... 20.....

(सितय)..... गजे

(स्थान).....

(दिनांक)..... को प्राप्त हुआ। सभी प्रकार से पूर्ण/वापूर्ण

(पाने वाले अधिकारी/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर)

प्रार्थना पत्र सभी प्रकार से दिनांक..... को पूर्ण किया गया।

(पाने वाले अधिकारी/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर)

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,

जनपद.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता हूँ/करते हैं कि गुड्डे/हमें उत्तसखण्ड तम खनिज (परिहार) निगमावली, 2023 के अधीन खनन पट्टा दिया जाय।

2. उक्त निगमावली में नियम 8 के उपनियम (1)(क) के अधीन इस प्रार्थना पत्र के संबंध में देय आवेदन शुल्क रुपया जमा कर दिया गया है।

3. अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये हैं :-

(एक) प्रार्थी का नाम और पूरा पता.....

(दो) क्या प्रार्थी गैर-सरकारी व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म या निकाय या संस्था है.....

(तीन) यदि प्रार्थी :-

(क) व्यक्ति विशेष है तो उसकी राष्ट्रिकता

(ख) निजी कम्पनी है तो कम्पनी के सभी सदस्यों की राष्ट्रिकता और उसके निबंधन (रजिस्ट्रेशन) का स्थान

(ग) सार्वजनिक कम्पनी है तो निदेशनों की राष्ट्रिकता, भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा चूत अंशपूजी का प्रतिशत तथा उसके निगमन का स्थान.....

(घ) फर्म या निकाय या संस्था है तो फर्म के सभी भागीदारों या निकाय या संस्था के सभी सदस्यों की राष्ट्रिकता.....

- (घर) प्रार्थी का व्यवसाय या कारोबार.....
 (गाँव) खनिज जिसे/जिन्हें प्रार्थी खनन करना चाहता है.....
 (हक) अवधि, जिसके लिये खनन पट्टा अपेक्षित है.....
 (सात) उस क्षेत्र का ब्लॉक, जिसके संबंध में खनन पट्टा अपेक्षित है-

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	क्या रिक्त है/किसी के द्वारा घृत है और यदि घृत है तो उसका ब्लॉक।
1	2	3	4	5	6	7

(आठ) निम्नलिखित के संबंध में विशेष उल्लेख के साथ क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण :-

- (क) प्राकृतिक आकृतियाँ, ऐसे स्रोत आदि के उल्लेख के साथ क्षेत्र की स्थिति।.....
 (ख) वन क्षेत्रों की दशा में, कार्यवृत्त (वर्किंग सर्किल) का नाम, घन (रजि) और घातन क्षेत्रों (फेसिंग सीरीज); यदि कोई हो, वन में ज्ञात और सीमांकित क्षेत्रों के संबंध में क्षेत्र का विवरण तथा विस्तार (लगभग)।.....
 (ग) भू-कर सर्वेक्षण (कैंडेस्ट्रल सर्वे) के अन्तर्गत न आने वाली क्षेत्र की दशा में, मसालत मानचित्र (टोपोग्राफी) में निश्चित स्थानों के अभिदेश में क्षेत्र के प्रारम्भिक स्थान (Starting Point) विवरण और सीमा रेखा की रेखीय दूरियाँ और उनकी 4 इंच बराबर 1 मील के पैमाने के घ्रातल मानचित्र में दिये गये क्षेत्र के तदनुसृत यथासम्भव ठीक-ठीक दिक्स्थिति (बियरिंग)।.....
 (घ) मानचित्र पर काम से कम से कम दो स्थायी अभिदेश बिन्दु अवश्य दर्शाया जाना चाहिये.....
 (नी) राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के भीतर, खनिजयुक्त ऐसे क्षेत्रों के विवरण :-
 (क) जिन्हें प्रार्थी या कोई व्यक्ति, जो उसके साथ स्वतः में संयुक्त (ज्वाइन्ट इन्टरेस्ट) हो, पट्टे के अधीन पहले से धारण किये हो;.....
 (ख) जिसके लिये उसने पहले से ही प्रार्थना पत्र दिया हो किन्तु स्वीकार न किया गया हो;.....
 (ग) जिसके लिये एक साथ ही प्रार्थना पत्र दिया जा रहा हो;.....
 (दस) संयुक्त स्वत्व का प्रकार, यदि कोई हो
 (ग्यारह) रीति, जिसके अनुसार संग्रह किये गये खनिज का उपयोग किया जायेगा, यदि प्रार्थी आवेदित खनिज का उपयोग स्थापित करना चाहता हो, या उसने पहले से ही स्थापित किया हो उसका पूर्ण विवरण और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र दिनांक ज्ञाना चाहिये।.....
 (बारह) प्रार्थी के वित्तीय संसाधन.....
 (तेरह) अन्य वांछित अभिलेख जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किये जायेंगे:-
 (क) उपयुक्त बिन्दु-2 पर उल्लिखित गनराशि के लिए संलग्न रसीद वाले ऑनलाइन पेमेंट गेट-वै रसीद/कोषगार घातल आदि के विवरण।.....

- (ख) नू-कर सर्वेक्षण समन्वित की राजस्व विभाग से सत्यापित प्रतियाँ।.....
- (ग) स्वशासक एजेंसी की राजस्व विभाग से सत्यापित प्रतियाँ।.....
- (घ) खनन क्षेत्र प्रकाशा न होने का खिला खान अधिकारी द्वारा जारी किया गया अद्यतन खनन आवेदना प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिये। यदि प्रार्थी द्वारा राज्य क्षेत्र के भीतर कोई खनन पट्टा या कोई अन्य खनिज परिहार धारित नहीं करता है या धारित नहीं किया था तो इस कथन का प्रमाण पत्र स्वतः प्रमाण पत्र के स्थान पर दिया जाना चाहिये।.....
- (ङ) आगकर बकाया न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र/समर्थ पत्र की प्रति।.....
- (च) अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति।.....
- (छ) मूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण की जायाप्रति।.....
- (ज) जी०एस०टी० प्रमाण पत्र की प्रति।.....
- (झ) हैसियत प्रमाण पत्र की प्रति।.....
- (ञ) यदि आवेदक को आवेदित क्षेत्र का सखी अधिकार प्राप्त नहीं है तो उसने खनन संक्रिया के लिये क्षेत्र के स्वामी की सहमति प्राप्त कर ली है? यदि सहमति प्राप्त कर ली है तो स्वामी की लिखित सहमति की राजस्व विभाग से सत्यापित प्रति।.....

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण जिसके अन्तर्ग्रहण यथार्थ नकों और प्रतिभूति जमा आदि हैं; देने को तैयार हूँ/हैं, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों।

भवदीय

प्रार्थी/प्रार्थियों के हस्ताक्षर

स्थान _____

दिनांक _____

- अवशेष :- (1) यदि प्रार्थना पत्र प्रार्थी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाय तो अभिकरण-पत्र (पावर ऑफ एटर्नी) संलग्न किया जाना चाहिये।
- (2) प्रार्थना पत्र केवल एक सहित खण्ड (ब्लॉक) के लिये होना चाहिये।

प्रपत्र एतावत्-1 (क)
(यार प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा)
खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिये प्रार्थना पत्र (देखें नियम 6)

स्थान _____ दिनांक _____ को प्राप्त हुआ।

(पाने वाले अधिकारी/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर)

प्रार्थना पत्र सही प्रकार से दिनांक _____ को पूर्ण किया गया।

(पाने वाले अधिकारी/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर)

सेवा में

जिला खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
जनपद _____

गहोदय,

मैं/हम उत्तराखण्ड सप खनिज (परिहार) नियामकली, 2023 के अधीन अपने खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिये निवेदन करता हूँ/करते हैं। उक्त नियमावली के नियम-6(क) के अधीन देय रुक _____ (लाया _____) का प्रार्थना पत्र शुल्क जमा कर दिया गया है। उक्त के सम्बन्ध में आपेक्षित विवरण नीचे दिये गये हैं:-

1. प्रार्थी का नाम और पूरा पता _____
2. क्या प्रार्थी कोई नैस-सरकारी व्यक्ति/निजी कंपनी/सार्वजनिक कंपनी/फर्म या निकाय या संस्था है। _____
3. यदि प्रार्थी :-
(क) व्यक्ति विशेष है, तो उसकी राष्ट्रिकता _____
(ख) निजी कंपनी है, तो कंपनी के सभी सदस्यों के रजिस्ट्रीकरण के रवान के साथ उसकी राष्ट्रिकता _____
(ग) सार्वजनिक कंपनी है, तो निदेशकों की राष्ट्रिकता, भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा धृत अग्रभूजी का प्रतिशत तथा उस निगमन के स्थान _____
(घ) फर्म या निकाय या संस्था है तो सभी भागीदारों या संगत के सदस्यों की राष्ट्रिकता _____
4. प्रार्थी/प्रार्थियों के व्यवसाय या कारोबार की प्रकृति _____
5. खनन देय बलाया न होने का जिला खान अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन खदेयता प्रमाण पत्र। _____
6. (क) खनन पट्टे का विवरण, जिसका नवीनीकरण वांछित है _____
(ख) पूर्व में स्वीकृत नवीनीकरण के थोरे, यदि कोई हों _____
7. अवधि जिसके लिये खनन पट्टे का नवीनीकरण अपेक्षित है _____
8. क्या नवीनीकरण का आवेदन धृत पट्टे के सम्पूर्ण या उसके भाग के लिये किया गया है _____

- (क) क्षेत्रफल जिसको नदीनीकरण के लिये आवेदन किया गया.....
- (ख) उस क्षेत्र का विवरण, जिसके नदीनीकरण के लिये आवेदन किया गया है (विवरण पृष्ठपत्र के सीमांकन के लिये पर्याप्त होना चाहिये).....
- (ग) घूत पट्टा क्षेत्र के मानचित्र का विवरण, जिसमें नदीनीकरण के लिये आवेदित क्षेत्र का स्पष्ट रूप से चिह्नित किया गया हो (संलग्न).....
- (घ) विद्यमान या सुवि मल्लये के विवरण यदि कोई हो.....
9. क्या प्रार्थी का उस भूमि के धरातल, जिसमें खनन पट्टे के नदीनीकरण के लिये उसने अपेक्षा की है, अधिकार है?.....
10. यदि उसको सतही अधिकार प्राप्त नहीं है तो उसने खनन संप्रक्रिया के लिये क्षेत्र के स्वामी की सहमति प्राप्त कर ली है? यदि सहमति प्राप्त कर ली है तो स्वामी की लिखित सहमति प्रस्तुत की जायेगी!.....
11. शपथ पत्र द्वारा समर्थित प्रत्येक राज्य में खनिजमय क्षेत्र का विवरण जिस पर आवेदक या उसके साथ संयुक्त स्वतन्त्र रखने वाला व्यक्ति :-.....
- (क) खनन पट्टे के अधीन पहले से धारित करता है,.....
- (ख) पहले ही आवेदन किया हो, किन्तु यह स्वीकार न किया गया हो, या.....
- (ग) साथ-साथ आवेदन कर रहा हो.....
12. खनन योजना में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-
- (क) क्षेत्र का मानचित्र जिसमें खनिज निकास तथा खनिज स्थल या स्थलों का प्रकार और उनका विस्तार दर्शाया गया हो, जिसमें प्रथम वर्ष में उत्खनन किया जाना हो और उसका विस्तार, प्रार्थी द्वारा एकत्र किये गये पूर्वज्ञान आंकड़ों पर आधारित उत्खनन स्थल का विस्तृत ब्यौरा पट्टे की अपाधि के लिये अगन्तित खनन योजना.....
- (ख) क्षेत्र के भू-विज्ञान एवं अश्म-विज्ञान (Lithology) का ब्यौरा, शारीरिक श्रम और मशीन द्वारा खनन का विस्तार.....
- (ग) वार्षिक कार्यक्रम और वर्षानुवर्ष उत्खनन योजना.....
- (घ) क्षेत्र का नक्शा, जिसमें प्राकृति जल स्रोत, आरक्षित वन तथा अन्य वनों की सीमा और वृक्षों की संघनता, खनन क्रिया-कलाप का वन, भूमि और पर्यावरण, जिसमें वायु प्रदूषण भी सम्मिलित है, पर प्रभाव का आकलन और वन रोपण भूमि-पुनरुत्थार, प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के प्रयोग की योजना के बारे में दर्शाये गये हों।.....
13. साधन, जिससे खनिज निकाला जाता है अर्थात् शारीरिक श्रम द्वारा या यान्त्रिक या विद्युत युक्ति द्वारा.....
14. रीति जिसके अनुसार संग्रह किया गया खनिज उपयोग में लाया जायेगा:-
- (क) भारत को विनियोग के लिये.....
- (ख) विदेशों को निर्यात करने के लिये.....
- (ग) पूर्ववर्ती दशा में उन उद्योगों को, जिसके सम्बन्ध में यह अपेक्षित है, विनिर्दिष्ट किया जायेगा पश्चात्पूर्वी दशा में, उन देशों का उल्लेख किया जाना चाहिये, जिनकी खनिज का निर्यात किया जायेगा का उल्लेख किया जाना चाहिए कि क्या खनिज प्रक्रमण के पश्चात् निर्माण किया जायेगा या कच्चे रूप में.....

15. विगत तीन वर्षों में उत्पादन का ब्यौरा और आगामी तीन वर्षों के दौरान विकास के लिये अभिन्यास योजना सहित उत्पादन के लिये ऋणवद्ध कार्यक्रम, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाना चाहिये।—
16. विद्यमान उपलब्ध रेलवे परिवहन सुविधा और अतिरिक्त परिवहन सुविधा, यदि कोई अपेक्षित हो।—
17. कोई अन्य विवरण जो प्रार्थी देना चाहते हों।—

मैं/हम एतद्वारा घोषित करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये विवरण सही है और मैं/हम पट्टा दिये जाने या उसका नवीकरण किये जाने के पूर्व आपके द्वारा अपेक्षित कोई अन्य ब्यौरा, चिन्तन वगैरह भी है, देने का उत्तर हूँ/हैं।

भवदीय

प्रार्थी का हस्ताक्षर और पदनाम

स्थान

दिनांक.....

अवशेष :- यदि प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है तो अनिकरण पत्र संलग्न किया जाना चाहिये।

प्रपत्र पुनःपुनः-2

खनन पट्टों के लिये प्रार्थना पत्र का रजिस्टर देखें नियम 05(4) एवं नियम-17

1. क्रम संख्या.....
2. खनन पट्टों के लिये प्रार्थना पत्र का दिनांक.....
3. दिनांक जब पाने वाले अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ.....
4. यदि प्रार्थना पत्र पहले बार प्राप्त होने पर सभी प्रकार से पूर्ण न रहा तो वह दिनांक जब वह पूरा किया गया.....
5. प्रार्थी का नाम और पूरा पता.....
6. उक्त व्यक्ति का ठीस जिसके लिये प्रार्थना पत्र दिया गया है :-
 (क) तहसील.....
 (ख) परगना.....
 (ग) ग्राम.....
 (घ) प्लॉट नं०.....
 (ङ) क्षेत्रफल.....
7. भूमि का कुल क्षेत्रफल.....
8. उन खनिजों का विवरण जिन्हें प्रार्थी खनन करने का इच्छुक है.....
9. दालान संख्या और दिनांक सहित मुग्तान किया प्रार्थना पत्र शुल्क और जमा किया गया प्रारम्भिक व्यय.....
10. उस अन्तिम अज्ञा की संख्या और दिनांक जब प्रार्थना पत्र निस्तारित किया गया.....
11. दी गई आज्ञा का संक्षिप्त विवरण.....
12. अभ्युक्तिर्या :.....
13. जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर.....

प्रयत्न एगपएनए-3

खनन पट्टे का आदर्श (Model) प्रपत्र (देखें नियम-13)

यह अनुबन्ध बाज्य दिनांक को
 उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे 'राज्य सरकार' कहा गया है, जिस पदावलि में यदि संदर्भ से ऐसा
 ग्राह्य हो उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तांकितों भी सम्मिलित समझे जायेंगे) एक पक्ष और

यदि पट्टेदार एक विशेष व्यक्ति हो : (व्यक्ति का नाम, पता तथा व्यवसाय)
 (जिसे आगे 'पट्टेदार') कहा गया है, जिस पदावलि में, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उसके दाय्यद,
 निष्पादक, प्रशासक और प्रतिनिधि भी सम्मिलित समझे जायेंगे) दूसरा पक्ष

यदि पट्टेदार एक से अधिक व्यक्ति हो : (व्यक्ति का नाम, पता तथा
 व्यवसाय) जिसे आगे 'पट्टेदार' कहा गया है, जिस पदावलि में, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उसके दाय्यद,
 निष्पादक, प्रशासक और प्रतिनिधि भी सम्मिलित समझे जायेंगे) दूसरा पक्ष

यदि पट्टेदार कोई रजिस्ट्रीकृत फर्म हो : (भागीदार का नाम) आत्मज
 निवासी जो सभी भारतीय भागीदारी
 अधिनियम, (1932 एक्ट संख्या 09) के अधीन नियन्त्रित फर्म (फर्म का नाम) के नाम और रूप के अधीन
 भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय नगर में,
 पर है। (जिन्हें आगे 'पट्टेदार' कहा गया है, जिस पदावलि में, यदि संदर्भ से ऐसा
 ग्राह्य हो, उसके समस्त भागीदार, उनके अपने-अपने दाय्यद, निष्पादक और विधिक प्रतिनिधि भी सम्मिलित
 समझे जायेंगे) दूसरा पक्ष

यदि पट्टेदार रजिस्ट्रीकृत कम्पनी हो : (कम्पनी का नाम) (अधिनियम जिसके
 अधीन नियमित है, के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय
 में है (पता) जिसे आगे 'पट्टेदार' कहा गया है, जिस पदावलि में, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य
 हो, उसके दाय्यद, निष्पादक, प्रशासक और प्रतिनिधि भी सम्मिलित समझे जायेंगे) दूसरा पक्ष

चूंकि पट्टेदार/पट्टेदारों ने उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली 2023 (जिसे आगे 'उक्त
 नियमावली' कहा गया है) के अनुसार राज्य सरकार की निम्नलिखित अनुसूची के भाग-1 में वर्णित मूिम
 एकड़ के निमित्त खनन पट्टे के लिये प्रार्थना पत्र दिया है और उसने/उन्होंने राज्य सरकार के प्राज्ञ
 रूपरेखा की घनराशि प्रतिभूति के रूप में तथा 30
 की घनराशि खनन पट्टे हेतु आत्मिक व्ययों की पूर्ति के लिये जमा कर दी है।

यह इस बात का साक्ष्य है कि उपस्थापन पत्र और निम्नलिखित अनुसूची द्वारा रक्षित और उनमें दिये
 गये और पट्टेदार/पट्टेदारों को ओर से भुगतान किये जाने वाले मालन और सम्पादन किये जाने वाले,
 किरायों स्वामित्वों, प्रसविदाओं तथा अनुबन्धों के प्रतिफल में राज्य सरकार एतद्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों को
 निम्नलिखित प्रदान और पट्टेदान करती है (यहां खनिज या खनिजों का

पल्लेख (बीजेयो) (जिन्हें आगे अधिदेष्ट अनुसूची में "उक्त खनिज" कहा गया है) की समस्त खानें, तल्ल (Beds) संदर्शीया (Veins) जो अनुसूची के भाग-1 में अधिदेष्ट भूमि में या उसके नीचे स्थिति हों, यहीं हों या हों, उन स्वतंत्रताओं या अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के साथ जिनका इसमें उल्लेख है, उन नियमों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए प्रयोग या उपयोग किया जाएगा, जो ऐसी स्वतंत्रताओं, अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के प्रयोग तथा उपयोग करने के बारे में हो सिवाय इसके और इसमें से आरक्षित उक्त नियमावली में उल्लिखित स्वतंत्रताओं, अधिकार तथा विशेषाधिकार राज्य सरकार में पट्टान्तरित हो जायेंगे। दिनांक..... से वर्ष की आगामी अवधि के लिए पट्टेदार/पट्टेदारों का पट्टेद्वारा दिये गये और पट्टान्तरित ऐसे भू-गृहादि धारण करना, जिसमें खनिज निकालने लगे और राज्य सरकार को उक्त अनुसूची के भाग-2 में उल्लिखित कई क्रियाओं और स्वाधिन्यों का भुगतान उसमें विनिर्दिष्ट गिन्-गिन् समर्थों पर होने लगे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा उक्त भाग में उपबन्धों के अधीन हो और पट्टेदार पट्टेद्वारा राज्य सरकार के साथ प्रसविदा करता है/करते हैं और राज्य सरकार पट्टेद्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों के साथ प्रसविदा करती है, जैसा कि उक्त नियमावली में अभिव्यक्त है और पट्टेद्वारा इसके साथ दिये गये शर्तों के अधीन परस्पर सहमत हुआ है और जैसा कि उक्त अनुसूची के भाग-3 में अभिव्यक्त है।

(ऊपर अधिदेष्ट अनुसूची)

भाग-1

इस पट्टे का क्षेत्रफल

पट्टे का स्थान और क्षेत्र : यह समस्त भू-खण्ड, जो जिला की तहसील
..... ग्राम..... के अन्तर्गत खसरा संख्या..... कुल क्षेत्रफल..... है, जो कि
..... नदीतल/नदीतल से गिन् स्थानों में स्थित है, जिसका चित्रण इसमें संलग्न नक्शे में किया
गया और उसे रंजित (coloured) किया गया है और जिसकी सीमायें निम्नलिखित हैं:-

उत्तर में -

दक्षिण में -

पूर्व में -

तथा

पश्चिम में -

और जिसे पट्टेद्वारा "उक्त भू-खण्ड" कहा गया है तथा जिसके जी०पी०एस०/डी०जी०पी०एस० कॉर्डिनेट्स
निम्नवत हैं:-

1-

2-

3-

4-

भाग-2

इस पट्टे द्वारा आरक्षित अपरिहार्य भाटक या पट्टा धनराशि का भुगतान करना— (1) पट्टेदार पट्टे के अत्यंत वर्ष के लिये अत्यंत खनिज के संबंध में, इस भाग के खंड (2) में विनिर्दिष्ट स्थानों (In-Situ) घट्टान किस्म के खनिजों यथा सोपस्टोन, सिलिका सैंड, ग्रेसाईट, डोलोमाईट, जिप्सम आदि के खनन पट्टा क्षेत्र के लिए अपरिहार्य भाटक या स्वाभित्य की धनराशि, जो भी अधिक हो परन्तु दोनों का नहीं, का वार्षिक भुगतान करेगा तथा स्वरक्षाने घट्टानों से निम्न खनन क्षेत्रों यथा नदी तल एवं नदी तल से लगी भूमि में उपलब्ध उपखनिजों यथा बालू, बजरी, बोल्टर एवं आराशीपत्थर युक्त खनन पट्टा क्षेत्रों के लिए वार्षिक पट्टा धनराशि का भुगतान करेगा।

खनन यह एक धारक पट्टे की अवधि, जिसमें अपरिहार्य कारणवश (मात्र न्यायालयों/एनाजीपटी० के आदेशों, केंद्र/राज्य सरकार के शासनादेशों, महानिदेशक/निदेशक के आदेशों, जिलाधिकारी के आदेशों के क्रम में खनन/चुगान में असमर्थ रहता है, जिसमें पट्टाधारक की कोई गजती न हो, जिसकी पुष्टि सन्निधित जनपद के जिला खान अधिकारी के द्वारा किये जाने पर उचित बाधित अवधि के समतुल्य अवधि पट्टाधारक को प्रदान की जा सकेगी जिस पर राबल्टी की देयता तत्समय निर्धारित दर के अनुसार लागू होगी परन्तु यदि पट्टाधारक उक्तानुसार इदत्त अवधि लेने से इन्कार करता है तो पट्टाधारक बाधित अवधि हेतु आगणित अपरिहार्य भाटक के रूप में, ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा, जैसी इस नियमावली की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित दरों पर राज्य सरकार द्वारा मज्ज विलेख में विनिर्दिष्ट की जायें। अपरिहार्य भाटक का आगणन सम्बन्धित जिला खान अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

(2) स्थानों घट्टान किस्म के खनिजों यथा सोपस्टोन, सिलिका सैंड, ग्रेसाईट, डोलोमाईट, जिप्सम आदि के खनन पट्टा क्षेत्र के लिए अपरिहार्य भाटक भुगतान करने की रीति : इस भाग के खंड (1) के उपबंध के अधीन रहते हुये पट्टे की अवधि में पट्टेदार राज्य सरकार को इस अनुसूची के भाग-1 में वर्णित और पट्टान्तरित (demised) भूमि के प्रति खनिज प्रति एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक निम्नलिखित दर/दरों पर या ऐसी संशोधित दर/दरों पर भुगतान करेगा/करेंगे जो पट्टेदार/पट्टेदारों को राज्य सरकार द्वारा लिखित रूप से संसूचित किया जायेगा/किये जायेंगे—

खनिज का नाम	प्रति एकड़ निश्चित किया गया अपरिहार्य भाटक	पट्टान्तरित भूमि का क्षेत्रफल	देय अपरिहार्य भाटक	एक वर्ष में देय कुल अपरिहार्य भाटक
1	2	3	4	5
1				
2				
3				

- अपरिहार्य भाटक का राज्य सरकार के प्रति भुगतान पट्टा वर्ष के पूरा होने के एक माह के भीतर उस जिले के मुख्यालय के राजकीय कोषागार में, जिसमें घुट पट्टा स्थित हो, ऐसे लेखाशीर्षक के अन्तर्गत जमा करके, जैसा कि समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रति वर्ष किया जायेगा।

(क) नदीतल एवं नदीतल से लगी भूमि में उपलब्ध उपखनिजों यथा बालू, बजरी, बोल्टर एवं आराशीपत्थर युक्त खनन पट्टा क्षेत्रों के लिए पट्टा धनराशि भुगतान करने की रीति : इस भाग के खंड (1) के उपबंध के अधीन रहते हुये पट्टे की अवधि में पट्टेदार राज्य सरकार को इस अनुसूची के भाग-1 में वर्णित और पट्टान्तरित (leased) भूमि में प्रतिवर्ष निःशुल्क हेतु निर्धारित उपखनिज की मात्रा पर तत्समय निर्दिष्ट

स्वामित्वों की दर एवं अन्य देयकों के अनुसार आगभित पट्टा धनराशि को निम्नानुसार संसूचित किया जायेगा:-

• खनिज का नाम	उपखनिज की मात्रा टन में	स्वामित्व/रायल्टी की दर (रु0 प्रति टन)	अन्य देयकों की धनराशि (रु0 प्रति टन)	पट्टाधनराशि (रु0 में)
1	2	3	4	5 (2 x (3+4))
1				
2				
3				

- पट्टाधनराशि का राज्य सरकार के प्रति भुगतान 08 मासिक समान किस्तों में (अक्टूबर से जून तक) अग्रिम रूप से विभागीय आनलाईन पोर्टल-गेटवे वा राजकीय कोषागार में, जिसमें धृत पट्टा स्थित हो, ऐसे लेखाशीर्षक के अन्तर्गत जमा करेगा, जैसा कि समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रति वर्ष किया जायेगा।
- (3) अपरिहार्य भाटक और स्वागित्व कटौती आदि मुक्त होने :- इस भाग में उल्लिखित अपरिहार्य भाटक और स्वामित्व का भुगतान बिना किसी कटौती के राज्य सरकार को ऐसी रीति से किया जायेगा, जो राज्य सरकार विहित करें।
- (4) स्वामित्व के संगणन की रीति :- उक्त स्वामित्वों के संगणन करने के प्रयोजनों के लिये पट्टेदार खान से संग्रह किये गये खनिज/खनिजों का और उसको/उनको गेजने की रीति का सही-सही लेखा रखेगा, जिसमें तह/वे परिवहन की प्रणाली, वाहन की नियंत्रण संख्या, माहन के प्रभारी व्यक्ति, वाहन द्वारा परिवहन किये गये खनिज/खनिजों का विवरण और परिमाण का उल्लेख करेगा/करेंगे, जो ई-खाना प्रपत्र एम.एम्. 11 में प्राप्त जारी करेगा और ऐसे अन्य विवरणों का उल्लेख करेगा/करेंगे, जो राज्य सरकार का सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें। नियम 68 के अधीन अधिवृत्त अधिकारी या ऐसी अन्य अधिकारी जिन्हें राज्य सरकार नियमावली के अधीन समय-समय पर प्राधिकृत करें, स्टॉक में रखे गये और निर्यात किये जाने वाले या ई-खाना प्रपत्र एम.एम्. 11 में उल्लिखित खनिज/खनिजों के लेखा उसके/उनके परिमाण की जांच कर सकता है। पट्टेदार प्रति वर्ष जिला अधिकारी और जिला खान अधिकारी कार्यालय को मासिक रूप से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक मासिक विवरणों प्रस्तुत करेगा और यदि विवरणी नियत समय के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है तो पट्टेदार चूक के प्रत्येक अवसर पर रुपये 5000.00 (रु0 पांच हजार मात्र) की धनराशि का भुगतान करेगा।
- (5) ई-खाना प्रपत्र एम.एम्. 11 निर्गत किया जाना :- पट्टेदार, जिला खान अधिकारी के वार्षिक में स्वीकृत पट्टे हेतु पंजीकरण कराकर ई-खाना प्रपत्र एम.एम्. 11, जैसा नियमावली के नियम 70(1) में अधिष्ठित है, अग्रिम भुगतान करने पर प्राप्त करेगा/करेंगे।
- (6) नियत समय पर भाटक, स्वागित्व आदि का भुगतान न करने पर कार्यवाही :- यदि पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा इस उपस्थापन पत्र के निर्बन्धों और सर्तों के अधीन किसी भाटक, स्वामित्व या राज्य सरकार को देय किसी अन्य धनराशि का भुगतान विहित समय के भीतर नहीं किया जाता है तो नियमावली के नियम-58 के प्राचलानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भाग-3

सामान्य उपबन्ध

- (1) नियमों, प्रसविदाओं और शर्तों के भंग करने पर पट्टा समाप्त किया जा सकता है : यदि पट्टेदार सत्तराव्वण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के किसी नियम या इस पट्टे की किसी प्रसविदा और शर्त को भंग करे/करें तो राज्य सरकार पट्टा समाप्त कर सकती है और प्रतिभूति जमा को पूर्णतः या अंशतः जब्त कर सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पट्टा समाप्त किये जाने के पूर्व पट्टेदार/पट्टेदारों को चयन शर्त भंग करने का स्पष्टीकरण देने के लिये युक्तिगुक्त अवसर दिया जायेगा। यदि पट्टेदार यथास्थिति, इस नियमावली या इस पट्टे के अन्वीन किसी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से मुक्त हैं तो वह/वे इस नियमावली के नियम 77 और 79 के अन्वीन अपील/पुनरीक्षण दाखल कर सकता है।
- (2) पट्टेदार, पट्टे की समाप्ति पर अपनी सम्पत्तियों को हटायेंगा/हटायेंगे :- पट्टेदार इस उपरखण्ड पत्र (प्रलेन्डेशन) के आकर पर देय किराये और स्वामित्व का पहले भुगतान और जम्मेवन कर चुकने पर, चयन अवधि की समाप्ति पर या उसके शीघ्रतर समाप्ति पर या उत्पश्चात् तीन कलेण्डर मास के भीतर (जब तक पट्टा इस भाग के खण्ड (1) के अन्वीन समाप्त न कर दिया जाय और उस वशा में किसी समय ऐसी समाप्ति के पश्चात् कम से कम एक कलेण्डर मास में और अधिक से अधिक तीन कलेण्डर मास में) अपने लाभ के लिए ऐसी सभी या किसी इंजन, मशीन, संयंत्र, भवन, संरचनाओं और अन्य निर्माण कार्य, परिनिर्माण (रेपैरेशन) और अस्थायी आवास-स्थानों को चलाइ सकता है/राखते हैं और हटा सकता है/सकते हैं, जो चयन भूमि में या उस पर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा खनन किया गया हो, खड़े किये गये हों, स्थापित किये गये हों या रखे गये हों और जिन्हें पट्टेदार, राज्य सरकार को देने के लिये बाध्य नहीं है/हैं और जिन्हें राज्य सरकार खरीदने के लिये इच्छुक न हो।
- (3) पट्टे की समाप्ति के पश्चात् एक मास के अधिक समय तक छोड़ी गई सम्पत्ति की जबाबदारी :- यदि चयन अवधि की समाप्ति या उसके शीघ्रतर समाप्ति के पश्चात्, तीन कलेण्डर मास के अन्त में, चयन भूमि में या उस पर कोई इंजन, मशीन, संयंत्र, भवन, संरचनाओं और अन्य निर्माण कार्य, परिनिर्माण और अस्थायी आवास-स्थान या अन्य सम्पत्ति रहे तो उनके संबंध में, यदि वे ऐसे लिखित नोटिस देने के पश्चात् जिसमें जिला अधिकारी द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों से उन्हें हटाने की अपेक्षा की गई हो, एक कलेण्डर मास के भीतर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा न हटायें जायें, यह समझा जायेगा कि वे राज्य सरकार की सम्पत्ति हो गई है और किसी प्रतिफल का भुगतान किये बिना या उसके संबंध में पट्टेदार/पट्टेदारों को कोई हिसाब दिये बिना, उनकी बिक्री करके निस्तारण ऐसे रीति से किया जा सकता है, जो राज्य सरकार उचित समझे।
- (4) ठेकेदार के माध्यम से स्वामित्व और अपरिहार्य भाटक की मसूली करना : यदि राज्य सरकार इस प्रकार निर्देश दे, तो पट्टेदार इस उपरखण्ड पत्र द्वारा संरक्षित स्वामित्वों/पट्टा धनराशि/अपरिहार्य भाटक का भुगतान की मसूली करने वाले ठेकेदार को राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से ऐसी शर्तियों में करेगा, जो विनिर्दिष्ट की जायें।
- (5) नोटिस :- इस उपरखण्ड पत्र द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों को दिए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक नोटिस चयन भूमि पर रहने वाले ऐसे व्यक्ति को लिखित रूप में दिया जाएगा, जिसे पट्टेदार ऐसी नोटिस प्राप्त करने के लिए नियुक्त करे/करें और यदि इस प्रकार कोई नियुक्ति न की गयी हो ऐसी प्रत्येक नोटिस पट्टेदार/पट्टेदारों को पब्लिकीकृत डाक द्वारा पट्टे में उनके/उनके अनिलिखित पते पर या भारत में ऐसे अन्य पते पर भेजी जाएगी, जिसे पट्टेदार समय-समय पर लिखित रूप में राज्य सरकार को नोटिसों को

प्रपत्र एम. एन. 4

खनन पट्टों का रजिस्टर— (वैलें नियम 17)

- 1— क्रम संख्या _____
- 2— पट्टेदार का नाम _____
- 3— पट्टेदार का निवास स्थान और पूरा पता _____
- 4— प्रार्थना-पत्र का दिनांक _____
- 5— (क) पट्टा देने की आज्ञा की संख्या और दिनांक _____
(ख) खनन पट्टे के निष्पादन का दिनांक _____
- 6— भूमि का ब्यौरा _____
(क) तहसील _____
(ख) परगना _____
(ग) ग्राम _____
(घ) प्लॉट नं. _____
(ङ) क्षेत्रफल _____
- 7— कुल क्षेत्र, जिसके लिए पट्टा दिया गया हो _____
- 8— खनिज जिसके/जिनके लिए पट्टा दिया गया हो _____
- 9— निश्चित अपरिहार्य भाटक _____
(क) खनिज _____
(ख) प्रति एकड़, अपरिहार्य भाटक _____
(ग) कुल अपरिहार्य भाटक _____
(घ) वार्षिक पट्टाधनराशि _____
- 10— पट्टा प्रारम्भ होने का दिनांक _____
- 11— अवधि, जिसके लिए पट्टा दिया गया हो _____
- 12— जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर _____
- 13— ऐसे परिवर्तन के ब्यौरे के साथ परिवर्तन का दिनांक, जो खनन पट्टे धारक के नाम, राष्ट्रियता या अन्य विवरण के सम्बन्ध में हो _____
- 14— पट्टे का परित्याग (relinquishment) या समाप्ति का दिनांक _____
- 15— अभ्युक्तिर्षी _____
- 16— जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर _____

एचएन एम. एम. 5

नीलाम पट्टों के लिए विज्ञापित क्षेत्रों का रजिस्टर—(देखें नियम 22)

नीलाम एवं निविदा पट्टों के लिए घोषित क्षेत्रों का रजिस्टर:

- 1- क्रम संख्या
- 2- क्षेत्र या क्षेत्रों की घोषणा का आदेश संख्या
- 3- घोषणा का दिनांक
- .
- 4- तहसील
- 5- परगना (प्लॉट) संख्या
- 6- ग्राम
- 7- गाटा (प्लॉट) संख्या
- .
- 8- क्षेत्रफल
- .
- 9- जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
- 10- नीलामी एवं निविदा द्वारा पट्टा पर देने से वापस लेना
- (क) आदेश संख्या
- (ख) आदेश का दिनांक
- (ग) जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

अध्याय 10

खनन के लिए नीलाम पट्टे का आवेदन प्रपत्र (देखें नियम 26)

यह अनुबन्ध आज _____ दिनांक _____ को उत्तराखण्ड के राज्यपाल (जिन्हें आगे "राज्य सरकार" कहा गया है, जिस पर पदावधि के अन्तर्गत यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तान्किती भी समझे जायेंगे), एक पक्ष और _____

यदि पट्टेदार व्यक्ति विशेष हो : (व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय) (जिसे आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावधि के अन्तर्गत यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उसके दायद, निष्पादक, प्रशासक तथा प्रतिनिधि भी समझे जायेंगे) दूसरा पक्ष _____

यदि पट्टेदार एक से अधिक हो :- (व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय) तथा _____

_____ (व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय) (जिसे आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावधि के अन्तर्गत यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उसके दायद, निष्पादक, प्रशासक तथा प्रतिनिधि भी समझे जायेंगे)

यदि पट्टेदार निबद्ध फर्म हो : (भागीदार का नाम और पता) आवरण _____ निवासी _____ आवरण _____ निवासी _____ जो सही इन्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 (एक्ट संख्या 9, 1932) के अधीन निबध्तिता फर्म _____ (फर्म का नाम) के नाम और फर्म के अधीन भागीदारी के कारोबार कर रहे हैं और जिसका निबद्ध कार्यालय _____ गमर में _____ पर है, (जिन्हें आगे "लाईसेन्सधारी" कहा गया है), (जिस पर पदावधि के अन्तर्गत, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उक्त समस्त भागीदार, उसके अपने-अपने दायद, निष्पादक तथा विधिक प्रतिनिधि भी समझे जायेंगे)

यदि पट्टेदार निबद्ध कम्पनी हो :

(कम्पनी का नाम) जो _____ (एक्ट, जिसके अधीन निर्गमित है) के अधीन निबद्ध कम्पनी है और जिसका कार्यालय _____ में है (पता) निबद्ध जिसको आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावधि के अन्तर्गत, यदि संदर्भ में ऐसा ग्राह्य हो, उत्तराधिकारी भी समझे जायेंगे) दूसरे पक्ष के बीच किया गया।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) के अनुसार किये गये नीलाम के पट्टेदार/पट्टेदारों को बोली का _____ रु (उच्चतम बोली की धनराशि) राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टे के लिए _____ वर्ष/वर्षों को निमित्त एतदधीन लिखित अनुसूची के भाग-1 में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में _____ हेक्टेयर (स्वीकृत कुल क्षेत्रफल) के लिए स्वीकार कर लिया गया है और उसने/उन्होंने प्रतिभूति स्वरूप _____ रुपये (उच्चतम बोली का मन्वीय प्रतिशत धनराशि) की धनराशि राज्य सरकार को पत्र में जमा कर दी है।

यह इसका साक्ष्य है कि इस उपस्थान-पत्र और गिनतिलिखित अनुसूची द्वारा उल्लिखित और उक्तमें दिए गये और पट्टेदार/पट्टेदारों की ओर से पुरतान किए जाने वाले, पतान तथा सम्पादन किए जाने वाले

पट्टाधार/स्वाभित्ती प्रसविदाओं तथा अनुसूची के प्रतिफल में राज्य सरकार एतद्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों को निम्नलिखित प्रदान और पट्टान्तरित करता है:-

(यहां खनिज/खनिजों का उल्लेख किया जावे) जिन्हें गंगे और अभिदिष्ट अनुसूची में "उक्त" "खनिज" कहा गया है, की समस्त खान तल्प (beds) संदर सीम्स (veins seams) जो उक्त अनुसूची के भाग-1 में अभिदिष्ट भूमि में या उसके नीचे स्थित हों, के साथ, जिनके सम्बन्ध में उन प्रतिबन्धों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए प्रयोग या उपयोग किया जाएगा जो ऐसी स्वतंत्रताओं, अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग तथा उपयोग करने के बारे में हों शिवाय इसके और इसमें से आरक्षित उक्त नियमावली में उल्लिखित स्वतंत्रताओं, अधिकारों तथा विशेषाधिकार राज्य सरकार में पट्टान्तरित हो जायेंगे। दिनांक 20..... से वर्ष की आगामी अवधि के लिए पट्टेदार/पट्टेदारों की एतद्वारा दिए गए और पट्टान्तरित ऐसे भू-गृहादि धारण करना, जिनसे खनिज निकलने लगे और राज्य सरकार को उक्त अनुसूची के भाग-2 में उल्लिखित स्वाभित्ती का भुगतान उक्त निर्दिष्ट मिन्न-मिन्न समयों पर होने लगे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा उक्त भाग के उपबन्धों के अधीन हो और पट्टेदार एतद्वारा राज्य सरकार के साथ प्रसविदा करता है/करते है और राज्य सरकार एतद्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों के साथ प्रसविदा करती है, जैसा कि उक्त नियमावली में अभिव्यक्ति है और एतद्वारा इसके साथ दिए गए पदों के बीच परस्पर सहमत हुआ है और जैसा कि उक्त अनुसूची के भाग-3 में अभिव्यक्ति है।

(ऊपर अभिदिष्ट अनुसूची)

भाग-1

इस पट्टे का क्षेत्र

पट्टे का स्थान और क्षेत्र : यह समस्त भू-खण्ड, जो जिला की तहसील गाम के अन्तर्गत खसरा संख्या कुल क्षेत्रफल है0 जो कि नदीतल में स्थित है, जिसका चित्रण इसमें संलग्न नक्शे में किया गया और उसे रंजित (coloured) किया गया है और जिसकी सीमायें निम्नलिखित है:-

उत्तर में -

दक्षिण में -

पूर्व में -

तथा

पश्चिम में -

और जिसे एतद्वारा "उक्त भू-खण्ड" कहा गया है तथा जिसके जी0पी0एस0/डी0जी0पी0एस0 कॉर्डिनेट्स निम्नवत है:-

1-

2-

3-

4-

भाग-2

इस पट्टे द्वारा संरक्षित पट्टाधनराशि

पट्टाधनराशि : (1) पट्टेदार, इस पट्टे की अवधि में राज्य सरकार को पट्टे पर दिए गये क्षेत्र के लिए निर्धारित वार्षिक निष्पत्ती की मात्रा टन के समन्वय में निम्नलिखित पट्टाधनराशि का भुगतान करेगा/करेंगे

किश्तों की संख्या	धनराशि	दिनांक - जब किश्त दिया जायेगा
1	2	3

पट्टाधनराशि कटौती आदि से मुक्त होगा : (2) इस माग में उल्लिखित पट्टाधनराशि की किश्तों का अंतिम भुगतान बिना किसी कटौतियों के राज्य सरकार को किश्तों में विभागीय पे-मेंट गेटवे/कोषागार में जमा करके किया जायेगा तथा जमा रसीद/चालान की एक प्रति जिला अधिकारी एवं जिला खान अधिकारी को भेजी जायेगी।

पट्टाधनराशि का समय पर भुगतान न किया जाये तो कार्यवाही की प्रक्रिया : (3) यदि इस उपस्थापन-पत्र (presents) की शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन राज्य सरकार को देय पट्टाधनराशि की किसी किश्त का भुगतान पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा निर्धारित समय के भीतर न किया जाये तो उसे ऐसे अधिकारी के, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशिष्ट आज्ञा द्वारा निर्दिष्ट करे, प्रमाण पत्र पर उसी रीति से वसूल की जा सकती है जैसा मालगुजारी का इकाया।

भाग-3

सामान्य उपबन्ध

निम्नो प्रस्तावितलों और शर्तों को भंग करने पर पट्टा समाप्त किया जा सकता है : (1) यदि पट्टेदार उत्तराखण्ड उपखनिज (परिंदार) नियमानली, 2023 के किली नियम या इस पट्टे की किसी प्रस्तावित तथा किसी शर्त का भंग करे तो राज्य सरकार पट्टा समाप्त कर सकती है और प्रतिभूति जमा की पूर्णतः या अंशतः जमा कर सकती है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पट्टा समाप्त धिये जाने के पूर्व पट्टेदार/पट्टेदारों को उन्हें भंग करने का स्पष्टीकरण देने के लिए यथोचित अवसर दिया जायेगा।

पट्टेदार पट्टे की समाप्ति पर अपनी सम्पत्तियों को हटायेगा/हटायेगे : (2) पट्टेदार इस उपस्थापन पत्र के आधार पर देस पट्टासमतासि का पहलै मुगतान और उन्मोचन कर चुकने पर उक्त अधि की समाप्ति पर उसकी शीघ्रतर समाप्ति पर या तत्पश्चात् तीन कलेण्डर मास के भीतर (जब तक कि पट्टा इस भाग के खण्ड-1 के अधीन समाप्त न कर दिया जाए और उस वसा में किसी समय ऐसी समाप्ति के पश्चात् कम से कम एक कलेण्डर मास में) और अधिक से अधिक तीन कलेण्डर मास में अपने जाम के लिए ऐसी सभी या किसी मशीन, संयंत्र, गवन, संरचनायें और अन्य निर्माण कार्य और अस्थाई आपारा स्थानों (conveniences) को उखाड सकता है/सकते हैं और हटा सकता है/सकते हैं, जो उक्त मूमि में या उस पर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा रखे गये हों।

पट्टे की समाप्ति के पश्चात् एक मास से अधिक समय से छोडी गयी सम्पत्ति की जवती :- (3) यदि उक्त अधि की समाप्ति या उसके शीघ्रतर समाप्ति के प्रभावी होने के पश्चात् एक कलेण्डर मास के अन्त में उक्त मूमि में या उस पर कोई इंजन, मशीन, संयंत्र, गवन, संरचनायें तथा अन्य निर्माण कार्य और अस्थाई आपारा स्थान या अन्य सम्पत्ति रहे तो उनके सम्बन्ध में, यदि वे ऐसे लिखित नोटिस देने के पश्चात् जिसमें जिला खान अधिकारी द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों से उन्हें हटाने की अपेक्षा की गई हो एक कलेण्डर मास के भीतर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा न उठाये जायें, तो यह समझा जायेगा कि बत/वे राज्य सरकार की सन्मति हो गई है और किसी प्रतिकर का मुगतान किए बिना या उसके सम्बन्ध में पट्टेदार/पट्टेदारों को कोई डिजाव दिए बिना उसकी बिक्री या निस्तारण ऐसी स्थिति से किया जा सकता है, जो राज्य सरकार सचित समझे।

शर्तें-

- 1- पट्टेदार मा0 उन्वतम न्यायालय/मा0 सद्दीय हरित आधिकरण/मा0 सच्च न्यायालय एवं केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समस-सामय पर पारित आदेशों/निर्देशों का अक्षरतः अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- 2- अन्य ऐसी शर्तें, जो जिला खान अधिकारी आवश्यक समझें, उल्लिखित की जायेगी।

स्टाम्प शुल्क : (6) स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिए पट्टान्तरित मूमि से प्रत्याशित स्वामित्व प्रतिवर्ष रकम है।

इसके साथ के रूप में यह उपस्थापन पत्र एतद्धीन जारी हुई रीति से रूपर उल्लिखित दिनांक और शर्तों को निष्पादित किया गया है।

उत्तराखण्ड के राज्य के लिए और उनकी ओर से

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

गवाहों के हस्ताक्षर

1-

2-

पट्टेदार/पञ्चायत के हस्ताक्षर

गवाहों के हस्ताक्षर

1-

2-

प्रपत्र-एम. एम. 7

नौलाम एवं निविदा पट्टा का रजिस्टर- (देखें नियम-27)

- 1- क्रम संख्या
- 2- भूमि का विवरण
- (क) तहसील
- (ख) परगना
- (ग) ग्राम
- (घ) गाटा (प्लॉट) संख्या
- (ङ) क्षेत्रफल
- 3- भूमि का कुल क्षेत्रफल
- 4- खनिज या खनिजों का नाम
- 5- पट्टेदार का नाम
- 6- पट्टेदार का पूरा पता
- 7- पट्टा प्रारम्भ होने का दिनांक
- 8- पट्टा अवसान होने का दिनांक
- 9- पट्टाधनराशि
- 10- अस्थुक्ति
- 11- जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

प्रपत्र-एम.एम. 8

खनन अनुज्ञा-पत्र के लिए प्रार्थना-पत्र (देशीय नियम-52)

(तीन प्रतिष्ठे में देना है)

स्थान _____ दिनांक _____ 20_____

समय _____ बजे

दिनांक _____ को प्राप्त हुआ

पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,

भूतल एवं खनिकर्म विभाग,

जनपद _____

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता हूँ/करती हूँ कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड खनन अधिनियम (परिहार) नियमावली 2023 के अध्याय-6 के अधीन खनन अनुज्ञा-पत्र दिया जाये।

(2) इस प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में देय शुल्क _____ रु. जमा कर दिया गया है।

(3) अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये हैं :-

(1) प्रार्थी का नाम और पूरा पता _____

(2) क्या प्रार्थी अशासकीय व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म या संघ है _____

(3) यदि प्रार्थी:-

(क) व्यक्ति विशेष है, तो उसकी राष्ट्रियता _____

(ख) निजी कम्पनी है तो कम्पनी के सभी सदस्यों की राष्ट्रियता और उसके निबंधन का स्थान _____

(ग) सार्वजनिक कम्पनी है तो निदेशकों की राष्ट्रियता, भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा धृता अंश पूंजी का का प्रतिशत तथा उसके निषमन का स्थान _____

(घ) फर्म या संघ है तो फर्म के सभी भागीदारों या संघ के सभी सदस्यों की राष्ट्रियता _____

(4) प्रार्थी का व्यवसाय या उसके कारोबार का प्रकार _____

(5) खनन, जिसे/जिन्हें प्रार्थी खनन करना चाहता है :

(क) खनन का नाम _____

(ख) जितना खनन किया जाना हो उसकी कुल मात्रा _____

(6) आवधिक खनन के लिए खनन अनुज्ञा-पत्र अपेक्षित है _____

(7) उस क्षेत्र का ब्यौरा, जिसके सम्बन्ध में अनुज्ञा-पत्र अपेक्षित है _____

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	खेताङ्क	क्या रिफ्त ठै या किसी द्वारा धुल है और यदि धुल है तो उसके बारे
					ग्राम : क्षेत्रों की वशा में ग्राम का भाग और यदि ग्राम के केवल एक भाग के लिये प्रार्थना-पत्र दिया गया हो, तो खसरा (ग्राम) संख्या, प्रत्येक ऐसे खेत या उसके भाग का, जिसके लिये प्रार्थना-पत्र दिया गया हो, हेक्टर में क्षेत्रफल _____
					(9) वन क्षेत्रों की वशा में कार्यवृत्ति (वर्किंग सर्किल) का नाम, घनराशि (cubage) और फालत क्षेत्रों (falling serise) यदि कोई हों, वन में ज्ञात और सीमांकित क्षेत्रों के सम्बन्ध में क्षेत्र का विवरण तथा एकड़ों में विस्तार (लगना)।
					(9) मू-कर सर्वेक्षण के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की वशा में, धरातल मानचित्र में त्रिभुज स्थलों के हवाले से क्षेत्र के प्रारम्भिक स्थल का विवरण और सीमा-रेखा की ऐसी-व दूरियाँ और उसके धरातल मानचित्र में दिए गये क्षेत्र के तदनुक्रम उभासलान वीक-वीक दिक्स्थिति (4" = 1 मील पैमाना)।
					(10) रीति जिसके अनुसार संग्रह किये गए खनिज का उपयोग किया जाएगा।
					(11) प्रार्थी के वित्तीय संसाधन।
					(12) वांछित अभिलेख जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किये जायेंगे—
					(क) ऊपर 2 पर उल्लिखित धनराशि के लिए संलग्न रसीद वाले ऑनलाइन पेमेंट गेट-वे एसीड/फोसफास चलान आदि के विवरण।
					(ख) मू-कर सर्वेक्षण मानचित्र की चार सत्यापित प्रतियाँ।
					(ग) कसरा खतौनी की सत्यापित प्रतियाँ।
					(घ) अधिकाधिक खनन आदेसता प्रमाण पत्र जो सम्बन्धित जिला खान अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया हो की प्रति।
					(ङ) आसकर बकाया न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र/साथ पत्र की प्रति।
					(च) अधिकाधिक धरित प्रमाण पत्र की प्रति।
					(छ) मूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण की सादाप्रति।
					(ज) जी०एफ०सी० प्रमाण पत्र की प्रति।
					(झ) हेतियत प्रमाण पत्र की प्रति।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिए गये विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य चीजें देने को तैयार हूँ/हैं, जो आपके द्वारा अपेक्षित हैं।

स्थान

दिनांक

भवदीय,

प्रार्थी के हस्ताक्षर

अवश्य :- यदि प्रार्थना-पत्र पर प्रार्थी के अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जायें तो अधिकार पत्र (power of Attorney) संलग्न किया जाना चाहिये।

प्रपत्र- एम.एन. 9

खतन अनुज्ञा-पत्रों के लिए प्रार्थना-पत्र का रजिस्टर—(देखें नियम-58)

- (1) क्रम संख्या _____
- (2) खतन अनुज्ञा-पत्र के लिए प्रार्थना-पत्र का दिनांक _____
- (3) खनिज का नाम _____
- (4) जिस क्षेत्र के लिए प्रार्थना-पत्र दिया गया हो:
 - (क) तहसील _____
 - (ख) परगना _____
 - (ग) ग्राम _____
 - (घ) प्लॉट संख्या _____
 - (ङ) क्षेत्रफल _____
- (5) जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर _____
- (6) अनुज्ञा-पत्र न देने या देने की आज्ञा का दिनांक
और जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर _____
- (7) यदि अनुज्ञा-पत्र दिया जाये तो उसके ब्यौरे :
 - (क) दिया गया कुल क्षेत्र :
 - (ख) अनुज्ञात खनिज की कुल मात्रा :
 - (ग) अवधि जिसके लिए दिया गया हो
 - (घ) कूल स्वामित्व की धनसारी
 - (ङ) चालान संख्या सहित स्वामित्व जमा करने का दिनांक
 - (च) अनुज्ञा-पत्र जारी करने का दिनांक
 - (छ) अनुज्ञा-पत्र की समाप्ति का दिनांक
 - (ज) जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

प्रपत्र - एम.एम. 10

खनन अनुज्ञा पत्र का आदर्श प्रपत्र (वैलें नियम 55)

श्री/सर्वश्री _____ को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिष्कार) नियमावली, 2023 के नियम 52 के अधीन ग्राम _____ में _____ (खनिज) का खनन करने के लिये अनुज्ञा-पत्र देने के निमित्त प्रार्थना-पत्र दिया है और जो _____ (रूपया _____) रुपये का प्रार्थना-पत्र शुल्क तथा _____ रुपये प्रतिटन/घन मी० की दर से स्वामित्व का भी रूपया _____ अग्रिम मुनतान कर दिया है। एतद्वारा नीचे उल्लिखित नूनि से _____ टन/घन मी० खनिज को, आज से _____ मास अर्थात् दिनांक _____ से दिनांक _____ को अवधि के भीतर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुये हटाने की अनुज्ञा दी जाती है।

नूनि के बारे

तहसील	परगना	ग्राम	गाटा (जाट) संख्या	एकड़ में क्षेत्रफल
1	2	3	4	5

स्थान :

दिनांक :

अनुज्ञा-पत्र देने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर और उसका पदनाम।

शर्तें :

- (1) अनुज्ञा-पत्र धारक, राज्य सरकार को किसी भी तौर पर पत्र के दावे की अतिपूर्ति करता रहेगा और इस प्रकार के दावे को उसका उत्पन्न होते ही स्वयं निरहित करेगा।
- (2) अनुज्ञा-पत्र धारक ऐसी रीति से खनिज निकालेगा जिससे कोई सड़क, सार्वजनिक मार्ग, भवन, भू-मृदादि, सार्वजनिक भू-स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति पर कोई बाधा न पड़े या उसे क्षति न पहुंचे।
- (3) अनुज्ञा-पत्र धारक संश्लेष किये गये सभी खनिजों का लेखा रखेगा और तदर्थ नियुक्त प्राधिकारी को ऐसे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।

दिनांक :

अनुज्ञा-पत्र देने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर और उसका पदनाम।

86 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 16 जून, 2023 ई0 (ज्येष्ठ 26, 1945 शक संमत्)

Geology & Mining Department

Uttarakhand



Uttarakhand minor mineral (concession) rules, 2023

o/Transit pass form for transportation of minor mineral from mining lease/permit see rule 70(2 & 3)

Form MM-11

Owner Name:
Lease Address:

Form MM-11 No.
Date and Time:

1. Type of Vehicle
2. Registration No. of Vehicle
3. Name of Driver
4. Mobile No. of Driver.
5. Name of Mineral
6. Weight of Mineral (In Tons)
7. Sale value/Approximate value (Before Tax)
8. Payable CGST.....
9. Payable SGST.....
10. Payable Royalty
11. Name of Purchaser
12. GSTIN of Purchaser
13. Registration No. of Purchaser
14. Address of Destination
15. Total Travel Distance

This form is valid up to : Date & Time (Manual)

Geology & Mining Department

Uttarakhand



Uttarakhand minor mineral (concession) rules, 2023

e-Transit pass form for transportation of minor mineral from mining lease/permit see rule 70(3)

Form MM-11 O/S

Owner Name:

Form MM-11 No.

Lease Address:

Date and Time:

1. Type of Movement:
2. Type of Vehicle
3. Registration No. of Vehicle
4. Name of Driver
5. Mobile No. of Driver.
6. Name of Mineral
7. Weight of Mineral (In Tons)
8. Sale value/Approximate value (Before Tax)
9. Payable IGST.....
10. Payble Royalty
11. Name of Purchaser
12. GSTIN of Purchaser
13. Registration No. of Purchaser
14. Address of Destination
15. Total Travel Distance

This form is valid upto- Date & Time (Auto generated)

२४. चत्तारखण्ड असाधारण मजदूर, 16 जून, 2023 ई० (जि/ख 26, 1945 शक सम्बन्ध)

प्रपत्र- एम.एम. 12

मासिक विवरणी

(नियम 73 देखिये)

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,

भूजत्व एवं खनिकर्म विभाग,

जनपद.....

माह/वर्ष की विवरणी :-

(1) पट्टेदार/पट्टेदारों का/के नाम/पते

(2) पट्टे का विवरण खनिज का नाम

(3) पट्टे की अवधि क्षेत्रफल एकड़ में, ग्राम तहसील.....

जिला

(4) नियोजित श्रमिकों की संख्या कुशल अकुशल

माह का नाम	खनिज का नाम	माह में उत्पादन	माह में भेजा गया परिमाण	स्टाक में अवशेष
1	2	3	4	5

देय स्वामित्व /पट्टाधनराशि की नियत दर	माह में भुगतान किया गया स्वामित्व	स्वामित्व का अवशेष यदि कोई हो	अभ्युक्ति
6	7	8	9

(5) खनन योजना के अनुसार कार्य करने की रीति का संक्षिप्त उल्लेख किया जाना चाहिये और फार्व-प्रणाली की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिये।

स्थान

अभिष्कर्ता

पट्टेदार/पट्टेदारों या उत्तरके/उनके

दिनांक

के हस्ताक्षर और मोहर

प्रतिलिपि-

(1) महानिदेशक/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, चत्तारखण्ड, मोपालमानी, देहरादून।

(2) सम्बन्धित क्षेत्र के जिलाधिकारी।

प्रपत्र-एम०एम० 13

अपील या पुनरीक्षण के लिए प्रार्थना-पत्र
का आदर्श प्रपत्र (नियम 77, 78 और 79)

सेवा में,

महोदय,

- (1) आवेदन करने वाले व्यक्ति/व्यक्ति विशेष/फर्म या कम्पनी या संस्था का नाम/पता.....
- (2) व्यक्ति/व्यक्ति विशेष/फर्म या कम्पनी या संस्था का व्यवसाय,
- (3) अधिकारी के आदेश की संख्या और दिनांक, जिसके विरुद्ध अपील/पुनरीक्षण दायर किया जाए, (प्रतिनिधि संलग्न की जाय)
- (4) खनिज/खनिजों का नाम, जिसके/जिनके लिए अपील/पुनरीक्षण दायर किया जाए.....
- (5) क्षेत्र का विवरण जिसके लिए अपील/पुनरीक्षण आवेदन पत्र दायर किया जा रहा है—

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	दायाफत क्षेत्र का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5

(क्षेत्र/क्षेत्रों का मानचित्र संलग्न किया जाएगा)

- (6) क्या उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम-79 में निर्दिष्ट रीति के अनुसार रुपये का प्रार्थना पत्र शुल्क जमा किया गया है?.....
- (7) क्या अधिकारी द्वारा दिये गए आदेश को संसूचित किया जाने के दिनांक के 60 दिन या 90 दिन के भीतर प्रार्थना पत्र दिया गया है।.....
- (8) पक्ष/पक्षकारों, जो बनाये गये हों, यदि कोई हों, का/के नाम और पूरा पता.....

(9) याचिका की प्रतियों की संख्या, जो संलग्न की गयी हों (प्रत्येक बनाये गये पक्षकारों के लिए अतिरिक्त संख्या में प्रतियों के संलग्न किया जाना चाहिये) :-

(10) अपील/पुनरीक्षण के आधार :-

- (क) संविधान तथ्य
- (ख) सवाव
- (ग) प्रार्थना

(11) यदि अपील/पुनरीक्षण का प्रार्थना पत्र अभिकरण पत्र धारक (The holder of power of Attorney) द्वारा दिया गया है तो अभिकरण पत्र संलग्न किया जाएगा।.....

स्थान

दिनांक

नवदीय
प्रार्थी के हस्ताक्षर

यदि कोई पक्षकार नहीं बनाया गया है, तो प्रार्थना पत्र तीन प्रतियों में दिया जाएगा।
यदि इनके अतिरिक्त कोई हों, तो बनाये गये प्रत्येक पक्षकार के लिए एक अतिरिक्त प्रति संलग्न की जाएगी।

आज्ञा से
डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय
सचिव।

फोटोसंयुक्त (आर०ई०) 10 ऑफिस/257-2023-200+100 (कम्प्यूटर/रीजियो)

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

संख्या 2254 / खनन/भूखनि0नि0/ई0नीला0- 129/2024-25,

दिनांक 22 जुलाई, 2024

आशय पत्र (Letter of Intent)

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 977/VII-A-1/2023- 24ख/2007, दिनांक 16 जून, 2023 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के अध्याय-4 के नियम-20 (1), (2) एवं (4) में राजस्व नदी तल उपखनिज लॉटों की घोषणा किये जाने, घोषित उपखनिज लॉटों का ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन की कार्यवाही के प्राविधानों के दृष्टिगत निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 4842/ख0ख0ला0/ई0नी0/वि0का0ज्ञ0/भू0खनि0नि0/2023-24, दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 के द्वारा विज्ञापितकरण हेतु प्रदत्त स्वीकृत के क्रम में कार्यालय के निविदा आमंत्रण प्रपत्र संख्या 4895/UTR_007/भू0खनि0नि0/ई0नीला0/2023-24, दिनांक 19.12.2023 के द्वारा जनपद उत्तरकाशी की तहसील चिन्यालीसौड के ग्राम गैलाडी क्षेत्रान्तर्गत उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 10(1) जलमग्न खसरा नं0 4 मध्य रकवा 0.050 है0, खसरा नं0 251म0 रकवा 0.545 है0, कुल रकवा 0.595 है0 उपखनिज क्षेत्र हेतु प्रति वर्ष उपखनिज की निकासी की मात्रा 32,130 टन एवं आधार मूल्य रू0 22,49,100.00 निर्धारित करते हुए, उक्त उपखनिज लॉट को नियमावली के नियम 20(2) के प्रावधानानुसार 05 है0 से कम क्षेत्रफल हेतु राज्य के मूल निवासी/निवासियों की समितियों/फर्म/कम्पनियों को 05 वर्ष की अवधि हेतु ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन के लिए तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा में इच्छुक बोलीदाताओं हेतु निर्धारित समय-सारणी के अनुसार ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसके क्रम में तकनीकी निविदा निर्धारित तिथि दिनांक 10.01.2024 (बुधवार) को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति के द्वारा खोली गयी, जिसमें न्यूनतम 03 अर्ह निविदादाता प्राप्त न होने के कारण निदेशालय के आदेश संख्या 5485/ख0ख0/भू0खनि0नि0/ई-निविदा तकनी0नि0/2023-24, दिनांक 12.01.2024 के द्वारा उक्त लॉट की निविदा की कार्यवाही को निरस्त करते हुए पुनः निविदा आमंत्रण किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।

निदेशालय के पत्र संख्या 5542/भू0खनि0नि0/ई0नीला0/2023-24 दिनांक 18.01.2024 के द्वारा प्रकाशित निविदा आमंत्रण सूचना के क्रम में जनपद उत्तरकाशी के उक्त लॉट गैलाडी की दिनांक 31.01.2024 (बुधवार) समय अपराह्न 12:00 बजे तकनीकी निविदा खोली जानी निर्धारित थी। महाप्रबन्धक (सी0एण्डआर0 आर0एस0डब्लू), टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड, भागीरथीपुरम, टिहरी गढ़वाल के पत्र दिनांक 06.01.2024 के द्वारा उक्त उपखनिज लॉट में खनन/चुगान हेतु अनापत्ति प्रदान न किये जाने के कारण निदेशालय के कार्यालय आदेश दिनांक 31 जनवरी, 2024 के द्वारा उक्त लॉटों की तकनीकी निविदा को खोले जाने की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गयी। निदेशालय के पत्र दिनांक 23 फरवरी, 2024 के क्रम में महाप्रबन्धक, (सी0एण्ड आर0आर0एस0डब्लू) टी0एच0डी0सी0 इण्डिया लिमिटेड, भागीरथीपुरम, जनपद टिहरी गढ़वाल के पत्र दिनांक 23.03.2024 के द्वारा जनपद उत्तरकाशी की तहसील चिन्यालीसौड के क्षेत्रान्तर्गत 02 लॉट तुल्याडा (सुनारगांव) एवं गैलाडी में खनन/चुगान कार्य हेतु दी गयी अनापत्ति के क्रम में उक्त निविदाओं की तकनीकी निविदा दिनांक 13.06.2024 को खोली गयी, जिसमें न्यूनतम 03 अर्ह निविदादाता प्राप्त न होने के कारण उक्त लॉट की निविदा को कार्यालय पत्र संख्या 25.06.2024 के द्वारा निरस्त करते हुए पुनः निविदा आमंत्रण की अनुमति प्रदान की गयी। निविदा आमंत्रण संख्या 1703/भू0खनि0नि0/ई0नीला0/ 2023-24 दिनांक 28 जून, 2024 के द्वारा पुनः ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसके क्रम में तकनीकी निविदा का परिणाम दिनांक 15 जुलाई, 2024 एवं वित्तीय निविदा का परिणाम दिनांक 18 जुलाई, 2024 को घोषित किया गया।


उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राइजेज प्रो0 श्री विनोद डोमाल पुत्र श्री नत्थी लाल, ग्राम चक्रगाँव पट्टी बड़कोट, तहसील बड़कोट, जिला उत्तरकाशी H1 बोलीदाता घोषित होने के फलस्वरूप, उनके द्वारा बोली गई उच्चतम बोली रू0 22,60,000.00 (रू0 बाईस लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि (Security Money) उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत रू0 5,65,000.00 (रू0 पांच लाख पैसठ हजार मात्र) आंगणित होती है, नियमावली के उक्त नियम-25(1) में किये गये प्रावधानानुसार H1 बोलीदाता के द्वारा निविदा में प्रतिभाग करने हेतु आधार मूल्य रू0 22,49,100.00 के 25 प्रतिशत के समतुल्य रू0 5,62,275.00 के सापेक्ष केनरा बैंक देहरादून, द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में निर्गत एफ0डी0आर0 संख्या 140127917050/1, दिनांक 09.01.2024, रू0 6,00,000.00 (रू0 छः लाख मात्र) के द्वारा निदेशालय

में जमा की गई है, के अन्तर की धनराशि (रु० 5,65,000.00—6,00,000.00 = +35,000.00) + रु० 35,000.00 (रु० पैंतीस हजार मात्र) अधिक है, उक्त अधिक जमा की गयी धनराशि वापस लिया जाना है तो उच्चतम बोली की धनराशि रु० 22,60,000.00 की धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत रु० 5,65,000.00 के समतुल्य नवीन एफ०डी०आर० के रूप में जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में बंधक हो, की धनराशि जमा कराये जाने हेतु H1 बोलीदाता को निर्देशित किया गया। उक्त के सम्बन्ध में H1 बोलीदाता के पत्र दिनांक 19.07.2024 के द्वारा उक्त लॉट में अधिक जमा धनराशि को समायोजित कर उक्त लॉट में आशय पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार H1 बोलीदाता मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राइजेज प्रो० श्री विनोद डोमाल पुत्र श्री नत्थी लाल, ग्राम चक्रगॉव पट्टी बड़कोट, तहसील बड़कोट, जिला उत्तरकाशी द्वारा प्रतिभूति धनराशि उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत जमा कराये जाने के फलस्वरूप उक्त नियमावली के नियम 25(2) के प्राविधानानुसार मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राइजेज प्रो० श्री विनोद डोमाल पुत्र श्री नत्थी लाल, ग्राम चक्रगॉव पट्टी बड़कोट, तहसील बड़कोट, जिला उत्तरकाशी के पक्ष में जनपद उत्तरकाशी की तहसील चिन्यालीसौड के ग्राम गैलाडी क्षेत्रान्तर्गत उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 10(1) जलमग्न खसरा नं० 4 मध्य रकवा 0.050 है०, खसरा नं० 251म० रकवा 0.545 है०, कुल रकवा 0.595 है० उपखनिज क्षेत्र के चुगान/खनन हेतु 05 वर्ष की अवधि हेतु चुगान/खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु 06 माह की अवधि हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है:-

1. सफल बोलीदाता द्वारा आशय पत्र में स्वीकृत क्षेत्र का उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(2) के प्राविधानानुसार सीमाबन्धन किये जाने, खनन योजना तैयार कराने, पर्यावरणीय अनुमति, एन०बी०डब्ल्यू०एल० (यदि आवश्यक हों) की अनुमति प्राप्त किये जाने की कार्यवाही 06 (छः) माह के अन्तर्गत सम्पादित की जायेगी।
2. नियमावली के नियम 25(2) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा आशय पत्र की स्वीकृति से 02 वर्ष की अवधि तक आशय पत्र में उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों को पूर्ण न करने की दशा में सम्बन्धित आशयपत्रधारक से उच्चतम बोली का 05 प्रतिशत की धनराशि प्रतिवर्ष अतिरिक्त वसूल की जायेगी।
3. नियमावली के नियम 25(4) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा आशय पत्र पर स्वीकृत खनन क्षेत्र हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के ई०आई०ए० नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति (Environmental Clearance), स्वीकृत क्षेत्र के राष्ट्रीय पार्क/सेन्चुरी के 10 कि०मी० की परिधि के अन्तर्गत स्थिति होने की दशा में एन०बी०डब्ल्यू०एल० (National Board of Wild Life) की अनुमति एवं वन भूमि होने पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन वन भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी अनुमति (Forest Clearance) व मानक जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायें, प्राप्त की जायेगी।
4. नियमावली के नियम 25(3) एवं 31(4) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा विभाग में पंजीकृत आर०क्यू०पी० से खनन योजना तैयार कराकर 04 प्रतिशत अनुमोदन हेतु खनन योजना अनुमोदन शुल्क रु० 50,000/- निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराते हुए सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिला खान अधिकारी द्वारा उक्त खनन योजना को परीक्षण व सत्यापन के उपरान्त संस्तुति सहित अनुमोदन हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जायेगा तथा तदनुसार निदेशक द्वारा सम्यक विचारोपरान्त खनन योजना का अनुमोदन किया जायेगा।
5. नियमावली के नियम 25(5) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा शासन, मा० न्यायालयों एवं मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।
6. नियमावली के नियम 25(6) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा खनन पट्टा के संबंध में की जा रही कार्यवाही के दौरान आकस्मिक निधन अथवा गम्भीर आशक्त होने की दशा में अग्रेत्तर कार्यवाही उनके विधिक वारिस द्वारा की जा सकेगी।


7. नियमावली के नियम 25(8) के प्राविधानानुसार आशयपत्र में उल्लिखित समस्त अपैचारिकताएँ पूर्ण करने के उपरान्त आशयपत्रधारक द्वारा समस्त अभिलेख निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड के पोर्टल पर ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यालय में जमा कराया जायेगा तथा महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की ऑनलाइन/ऑफलाइन संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा स्वीकृत किया जा सकेगा।
8. सफल बोलीदाता द्वारा महाप्रबन्धक, (सी०एण्ड आर०आर०एस०डब्लू०) टी०एच०डी०सी० इण्डिया लिमिटेड, भागीरथीपुरम, जनपद टिहरी गढ़वाल के पत्र दिनांक 23.03.2024 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।


(राजपाल लेघा)
निदेशक
कृते महानिदेशक

संख्या २२५५ /खनन/भू०खनि०नि०/ई०नीला०-129/2024-25, तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
3. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद उत्तरकाशी।
4. मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इण्टरप्राइजेज प्रो० श्री विनोद डोमाल पुत्र श्री नत्थी लाल, ग्राम चक्रगौव पट्टी बड़कोट, तहसील बड़कोट, जिला उत्तरकाशी।


(राजपाल लेघा)
निदेशक
कृते महानिदेशक